

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_176518

UNIVERSAL
LIBRARY

सरल भारतीय शासन

[भारतीय शासन पद्धति का साधारण ज्ञान]

—: * :—

लेखक

भारतीय शासन, नागरिक शास्त्र, नागरिक शिक्षा, और
भारतीय राज्य शासन, आदि के

रचयिता

भगवानदास केला

—: * :—

प्रकाशक

लाला रामनारायण लाल

पब्लिशर और बुकसेलर

—: * :—

द्वितीय संस्करण]

सन १९३६ ई०

[मूल्य आठ आने

निवेदन

हिन्दी के राजनीति-साहित्य में, हमारी 'भारतीय शासन' अपने विषय की सर्व प्रथम पुस्तकों में से है। सन् १९१५ ई० में उसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ, तभी उसका एक स्थान बन गया। क्रमशः उसका क्षेत्र बढ़ता गया। हमारे पास उसके प्रचार तथा विज्ञापन आदि के साधन न होते हुए भी, उसके सात संस्करण हो चुके हैं, और वह हिन्दी साहित्य सम्मेलन की मध्यमा, उत्तमा, सम्पादन-कला आदि परीक्षाओं का पाठ्य ग्रन्थ है, तथा काशी विद्यापीठ, कई एक गुरुकुलों और अन्य राष्ट्रीय तथा सरकारी शिक्षा संस्थाओं में भी पढ़ायी जाती है। शासन विषय के अन्य जिज्ञासुओं में भी उसका अन्धा मान है।

सन् १९२८ ई० में हमें ज्ञात हुआ कि बहुत से स्थानों में शासन पद्धति का विषय ऐसी माध्यमिक कक्षाओं में भी पढ़ाया जाता है, जिनके लिये वह पुस्तक कुछ कठिन है, तथा कुछ अधिक भी है। इनकी आवश्यकता को लक्ष्य में रख कर यह पुस्तक सविनय हिन्दी संसार की सेवा में उपस्थित की गयी।

बहुधा ऐसी पुस्तकों की रचना में, सरलता की-आड़ में, वर्तमान शासन पद्धति का समर्थन या प्रशंसा की जाया करती है। परन्तु, जब कि यहाँ शासन पद्धति में महान परिवर्तनों की आवश्यकता हो, और कुछ परिवर्तन हो भी रहे हों, हम ऐसा करना अनावश्यक और अनुचित समझते हैं। हाँ, यह ठीक है कि छोटी आयु वाले अथवा प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करने वाले

पाठक टीका टिप्पणियों या आलोचनाओं से यथेष्ट लाभ नहीं उठा सकते। अस्तु, हमने इस पुस्तक में शासन पद्धति सम्बन्धी बातों के वर्णन मात्र से ही संतोष किया। पुस्तक बहुत बड़ी न हो जाय, इस लिये हमने राज्य के विविध कार्यों का इसमें विचार नहीं किया; सेना, पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, डाक तार आदि का वर्णन हमारी 'नागरिक शिक्षा' नामक पुस्तक में किया गया है।

हर्ष का विषय है कि 'भारतीय शासन' की भांति प्रस्तुत पुस्तक का भी एक स्थान हां गया है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा, प्रयाग महिला-विद्यापीठ की विद्या विनोदिनी, जैसी परीक्षाओं में यह पाठ्य-पुस्तक के रूप में स्वीकृत है तथा, अन्य साधारण पाठकों के लिये यह उपयुक्त मानी जाती है। इसके इस दूसरे संस्करण में हमने सन् १९३४ ई० के शासन विधान के अनुसार परिवर्तन कर दिया है, तथा और भी आवश्यक बातें यथेष्ट संशोधित तथा स्पष्ट कर दी हैं। इसमें हमने मित्रवर प्रोफेसर दयाशंकर जी दुबे एम० ए० के परामर्श से लाभ उठाया है; श्री दुबे जी ने इसकी भूमिका लिखने की भी कृपा की है। श्री प्रकाशक जी ने इसे जल्दी छपाने की कृपा की है। हम उपर्युक्त दोनों सज्जनों के कृतज्ञ हैं। विविध महानुभावों के ऐसे सहयोग के आसरे ही हम कुछ साहित्य कार्य कर सके हैं, और भविष्य में करने का विश्वास करते हैं।

भारतीय ग्रन्थमाला }
 वृन्दावन

विनीत
 भगवानदास केरूप

भूमिका

भारतीय विद्यार्थियों के लिये भारतीय शासन के ज्ञान की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है । भारतवर्ष के अधिकांश विद्यार्थी पांच ऋः श्रेणियों तक ही पढ़कर अपनी शिक्षा समाप्त कर देते हैं । उन्हें इस विषय का ज्ञान तब ही दिया जा सकता है, जब कि यह छोटी श्रेणियों में पाठ्य विषय हो, और इसपर सरल भाषा में ऐसी पुस्तकें लिखी जायँ, जिन्हें वे आसानी से समझ सकें । छोटी श्रेणियों के विद्यार्थियों के अतिरिक्त उन पाठकों के लिये भी, जिनकी भाषा सम्बन्धी योग्यता साधारण ही है, अथवा जिन्हें अन्य कार्य-वश समयाभाव रहता है, यह आवश्यक है कि शासन पद्धति सम्बन्धी मुख्य मुख्य बातों का ज्ञान देने वाली सरल पुस्तक मिल सकें ।

हिन्दी भाषा में इस प्रकार की पुस्तकों की बहुत कमी है । इसे दूर करने के उद्देश्य से, मेरे मित्र श्री० भगवानदास जी केलाने यह पुस्तक लिखी है । मेरी सभक्त से आप इस कार्य के लिये विशेष रूप से उपयुक्त हैं । आपने यह विषय चार वर्ष प्रेम महा-विद्यालय (वृन्दावन) में भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी कई श्रेणियों को पढ़ाया है । आपकी लिखी ' भारतीय शासन ' पुस्तक बहुत लोक-प्रिय हुई है; उसके सात संस्करण हो चुके हैं, और वह ब्रिटिश भारत के कई प्रान्तों, तथा कई देशी रियासतों के शिक्षा विभागों द्वारा स्कूलों के पुस्तकालयों के लिये

स्वीकृत, और अनेक शिक्षा संस्थाओं की पाठ विधि में सम्मिलित है।

इस 'सरल भारतीय शासन' पुस्तक की विशेषता यह है कि यह सरल होने के अतिरिक्त वर्णनात्मक है, इसमें विषाद-प्रस्त विषयों पर विचार नहीं किया गया है। यह उचित ही है, क्योंकि छोटी श्रेणियों के विद्यार्थियों तथा साधारण योग्यता वाले पाठकों से ऐसे विषयों का भली भाँति समझने और उन पर निष्पक्ष भाव से विचार करने की आशा नहीं की जा सकती। इस पुस्तक के इस दूसरे संस्करण में सन् १९३५ ई० के शासन सुधारों की भी मुख्य मुख्य बातें दे दी गयी हैं। इससे इसकी उपयोगिता बढ़ गयी है।

आशा है 'भारतीय शासन' के समान इस पुस्तक का भी यथेष्ट प्रचार होगा। मैं मध्य प्रान्त, संयुक्त प्रान्त, बिहार और पंजाब के, तथा हिन्दी भाषा भाषी विविध देशी राज्यों के शिक्षा विभागों के अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी संस्थाओं की छोटी श्रेणियों के पाठ्य विषयों में भारतीय शासन पद्धति के विषय को स्थान दें, और इस पुस्तक से यथेष्ट लाभ उठावें।

दारागंज, प्रयाग

१-६-३६

दयाशंकर दुबे

एम० ए०, एल-एल० बी०

अध्यापक, अर्थ शास्त्र विभाग;

प्रयाग विश्व विद्यालय।

विषय-सूची

पाठ विषय	पृष्ठ
१—विषय-प्रवेश	१
२—पंचायतें	६
३—ज़िला-बोर्ड	१३
४—म्युनिसिपैलिटियाँ	१७
५—ज़िले का शासन	२५
६—प्रान्तीय सरकार	२६
७—प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल	३७
८—भारत सरकार	५६
९—भारतीय व्यवस्थापक मंडल	६७
१०—भारत मंत्री	७७
११—सरकारी आय व्यय	८०
१२—देशी राज्य	६२
१३—पार्लिमेंट और शासन सुधार	१०२
१४—संघ शासन	११०
परिशिष्ट—पारिभाषिक शब्द	११६



सरल भारतीय शासन

पहला पाठ

विषय-प्रवेश

—:०:—

पाठको ! तुम में से कोई संयुक्त प्रान्त का होगा, कोई मध्य प्रान्त का, कोई पंजाब, बिहार या अन्य प्रान्त का, और, कोई किसी देशी रियासत का । तथापि तुम सब हो, भारतवासी । तुम्हारा देश एक है, इसका नाम भारतवर्ष या हिन्दुस्थान है । तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे माता पिता यहीं रहते आये हैं । बड़े होकर तुम में से अधिकांश इसी देश में, अपनी अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न कार्य करेगे । तुम इस देश की प्रधान भाषा हिन्दी लिख पढ़ सकते हो, तुमने यहाँ के भूगोल और इतिहास का भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है । अब तुम इस योग्य हो कि इस बात को भी समझ सको कि इस देश का राज्य प्रबन्ध किस प्रकार होता है । और, यह जान लेना बहुत ज़रूरी है ।

तुम बहुधा चौकीदार और तहसीलदार ही नहीं, कलेक्टर (डिप्टी कमिश्नर) या गवर्नर और गवर्नर-जनरल आदि के बारे में कुछ बातें सुनते हो । तुम्हारे शहर में म्युनिसिपैलिटी होगी, या तुम्हारा गाँव ज़िला-बोर्ड (या ज़िला-कौंसिल) के क्षेत्र में होगा । तुम कभी कभी यह भी सुनते होगे कि अब इस तरह का क़ानून बन गया है या बदल गया है । इन अधिकारियों,

संस्थाओं तथा कार्यों के विषय में, तुम्हें इस पुस्तक में कुछ सिलसिलेवार बातें बतलाई जायँगी। इसे पढ़कर तुम यह जान लोगे कि इस देश का शासन किस तरह किया जाता है, सरकार किसे कहते हैं, और वह क्या कार्य करती है।

अच्छा, इस विषय को आरम्भ करने से पहले यह जान लेना चाहिये कि इस देश में कितनी भूमि है, यहाँ कितने आदमी रहते हैं, तथा राज्य प्रबन्ध की दृष्टि से इस देश के कितने भाग हैं। ये बातें तुमने पहले पढ़ली होंगी, फिर भी इस पुस्तक को पढ़ते समय तुम्हें इन बातों को स्मरण कर लेना चाहिये।

क्षेत्रफल—भारतवर्ष की उत्तर से दक्षिण तक अधिक से अधिक लम्बाई द्वां हजार मील है, और पूर्व से पश्चिम तक इसकी अधिक से अधिक चौड़ाई है, लगभग एक हजार नौ सौ मील। इस देश का क्षेत्रफल लगभग उन्नीस लाख वर्ग मील है।

जन-संख्या—भारतवर्ष के मनुष्यों की गणना प्रति दसवें वर्ष होती है, पिछली बार सन् १९३१ में हुई थी। उसके अनुसार इस देश में हिन्दू, मुसलमान आदि सब मिलाकर लगभग छत्तीस करोड़ आदमी रहते हैं।

राजनैतिक भाग—राज्य प्रबन्ध की दृष्टि से भारतवर्ष के पाँच भाग हैं :—

- (१) स्वाधीन राज्य ।
- (२) फ्रांसोसी और पुर्तगीज़ राज्य ।
- (३) बर्मा ।
- (४) ब्रिटिश भारतवर्ष । और,
- (५) देशी राज्य ।

स्वाधीन राज्य—भारतवर्ष में स्वाधीन राज्य अब केवल नेपाल और भूटान ही हैं। ये दोनों हिन्दू राज्य हैं। इनकी सीमा पर भारत सरकार का एक एक प्रतिनिधि रहता है। इन प्रतिनिधियों को इन राज्यों के आन्तरिक प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने का कुछ अधिकार नहीं होता।

नेपाल का प्रधान शासक महाराजाधिराज कहलाता है। वास्तविक शासन अधिकार मन्त्री को है। मन्त्री से नीचे जंगी लाट होता है, जो मन्त्री के देहान्त पर प्रायः उसके पद का अधिकारी हो जाता है। इस राज्य का क्षेत्रफल चव्वन हजार वर्ग मील, और जन-संख्या छपन लाख है। इसे भारत सरकार से प्रति वर्ष दस लाख रुपये मिलते हैं।

भूटान का क्षेत्रफल बीस हजार वर्ग मील और जन-संख्या लगभग ढाई लाख है। इसे भारत सरकार से सालाना एक लाख रुपया मिलता है और, यह बाहरी मामलों में उसकी सलाह से काम करता है। भीतरी मामलों में यह स्वतन्त्र है। प्रधान शासक महाराजा कहाता है।

फ्रांसीसी और पुर्तगीज़ राज्य—नुम्हें ज्ञात होगा कि सत्तरहवीं शताब्दी में यहाँ व्यापार करने के लिये कई योरपियन जातियों के आदमी आये थे। पीछे समय पाकर इन्होंने यहाँ अधिकार जमाने का भी यत्न किया। कुछ लड़ाइयों की हार जीत तथा सन्धियों के बाद अधिकांश भारतवर्ष में अंगरेजों का अधिकार या प्रभाव हो गया। तथापि, कुछ स्थान फ्रांसीसी और पुर्तगीज़ लोगों के पास रह गये।

फ्रांस के अधीन पाँच नगर हैं :—

- १—यनाम (गोदावरी नदी के डेल्टे के किनारे पर),
- २—माही (मालवार के किनारे पर),
- ३—कारीकल (कारोमंडल के किनारे पर),
- ४—पांडेचरी (कारोमंडल के किनारे पर), और,
- ५—चन्द्रनगर (कलकत्ते के पास) ।

इन सब स्थानों का क्षेत्रफल २०३ वर्ग मील और, जन-संख्या पौने तीन लाख के लगभग है। इन स्थानों में पांडेचरी मुख्य है। यही इन सब की राजधानी है, जिसमें इनका प्रबन्ध करने के लिये एक गवर्नर तथा उसकी सहायतार्थ एक मन्त्री, कुछ विविध विभागों के सेक्रेटरी, और एक न्यायाध्यक्ष, रहते हैं। फ्रांस की भारतीय प्रजा की ओर से दो प्रतिनिधि फ्रांस की पार्लिमेंट अर्थात् क़ानून बनाने वाली महासभा में भाग लेते हैं।

पुर्तगाल के अधीन तीन स्थान हैं :—

- १—गोवा—(बम्बई के दक्षिण में),
- २—डामन (गुजरात के किनारे पर),
- ३—ड्यू (काठियावाड़ के किनारे पर) ।

इन तीनों स्थानों का क्षेत्रफल केवल साढ़े चौदह सौ वर्ग मील और जन-संख्या लगभग छः लाख है। इन स्थानों के लिये एक गवर्नर-जनरल, गोवा (राजधानी) में रहता है। उसकी प्रायः पाँच साल में बदली होती है। उसकी प्रबन्धकारिणी और व्यवस्थापक दोनों प्रकार की सभाएँ हैं।

बर्मा—यह अब तक ब्रिटिश भारत का ही एक प्रान्त था। सन् १९३५ ई० के शासन विधान से इसे भारतवर्ष से पृथक् करके, इसके लिए पृथक् शासन व्यवस्था निर्धारित कर

दी गयी है। यहाँ की सरकार वे सब कार्य करती हैं जो ब्रिटिश भारत में प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकार करती हैं, यहाँ प्रधान शासक गवर्नर है, और उसका सम्राट् से सीधा सम्बन्ध है। बर्मा के व्यवस्थापक मंडल की दो सभाएँ हैं:—(१) सिनेट और (२) प्रतिनिधि सभा (हाऊस-ऑफ-रिप्रेजेंटेटिव्स)। सन् १९३१ ई० की मनुष्य गणना के अनुसार यहाँ की जन-संख्या एक करोड़ सैंतालीस लाख, और क्षेत्रफल २ लाख ३३ हजार वर्ग मील है।

ब्रिटिश भारत—ब्रिटिश भारत, भारतवर्ष के उस भाग को कहते हैं, जो अंगरेजों के अधीन है। इसका क्षेत्रफल लगभग ग्यारह लाख वर्ग मील और जन-संख्या लगभग पच्चीस करोड़ है। इसका प्रधान अधिकारी गवर्नर-जनरल कहलाता है। इंग्लैंड नरेश, भारतवर्ष के सम्राट् हैं। वे इंग्लैंड में रहते हैं, उनकी तरफ से यहाँ गवर्नर-जनरल या वाइसराय काम करता है। ब्रिटिश भारत में इस समय कुल १७ प्रान्त हैं। ग्यारह प्रान्तों में गवर्नर शासन करते हैं, और छः में चीफ कमिश्नर। इनकी शासन पद्धति का वर्णन आगे के पाठों में किया जायगा।

देशी राज्य—देशी राज्य भारतवर्ष के वे भाग हैं जिनका आन्तरिक शासन बहुत कुछ यहाँ के ही राजा या सरदार आदि करते हैं, परन्तु जो बाहरी मामलों में सर्वथा ब्रिटिश सरकार के अधीन हैं। ये राज्य सब मिलाकर ५६२ हैं। इनका कुल क्षेत्रफल सात लाख वर्ग मील से अधिक, और जन-संख्या आठ करोड़ से अधिक है। इनकी शासन पद्धति बारहवें पाठ में बताया जायगी।

ब्रिटिश भारत, और देशी राज्यों का क्षेत्रफल और जन-संख्या आगे नक्शे में दी गयी हैं।

ब्रिटिश भारत

संख्या	प्रान्त	क्षेत्रफल (वर्ग मील)	जन-संख्या (सन् १९३१ ई०)
१	आसाम	५५,०००	८६,२२,०००
२	बंगाल	७८,०००	५,०१,१४,०००
३	बिहार	६६,०००	३,२३,७२,०००
४	बम्बई	७७,०००	१,८०,४४,०००
५	मध्य प्रान्त और बरार	६६,०००	१,५३,२३,०००
६	मदरास	१,३६,०००	४,६३,२६,०००
७	पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त	१४,०००	२४,२५,०००
८	उड़ीसा	२२,०००	६६,०५,०००
९	पंजाब	६६,०००	२,३५,८१,०००
१०	संयुक्तप्रान्त आगरा अवध	१,०६,०००	४,८४,०६,०००
११	सिंध	४६,०००	३८,८७,०००
योग	गवर्नरों के प्रान्त	८,०१,०००	२५,५०,०८,०००
१	बिलोचिस्तान	५४,२००	४,६३,०००
२	अजमेर मेरवाडा	२,७००	५,६०,०००
३	अनन्दमान निकोबार	३,१००	२६,०००
४	कुर्ग	१,६००	१,६३,०००
५	देहली	६००	६,३६,०००
६	पंथ पिपलोदा	२	×
योग	चीफ कमिश्नरों के प्रान्त	६२,२००	१८,५१,०००
	ब्रिटिश भारत	८,६३,२००	२५,६८,५९,०००

देशी राज्य

संख्या	देशी राज्य	क्षेत्रफल (वर्ग मील)	जन-संख्या (सन् १९३१ ई०)
१	हैदराबाद ...	८२,६६८	१,४४,३६,१४८
२	मैसूर ...	२६,३२६	६५,५७,३०२
३	बड़ौदा ...	८,१६४	२४,४३,००७
४	कश्मीर ...	८४,५१६	३६,४६,२४३
५	ग्वालियर ...	२६,३६७	३५,२३,०७०
६	सिक्किम ...	२,८१८	१,०६,०८८
७	पश्चिम भारत एजन्सी ...	३५,४४२	३६,६६,२५०
८	पंजाब एजन्सी ..	३१,२४१	४४,७२,२१८
९	पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत ए०	२२,८३८	२२,५६,२२८
१०	बिलोचिस्तान एजन्सी...	८०,४१०	४,०५,१०६
११	मध्य भारत एजन्सी	५१,५६७	६६,३२,७६०
१२	राजपूताना एजन्सी ...	१,२६,०५६	१,१२,२५,७१२
१३	मदरास एजन्सी ...	१०,६६८	६७,५४,४८४
१४	पंजाब में ...	५,८२०	४,३७,७८७
१५	बिहार उड़ीसा में ...	२८,६४८	४६,५२,२०७
१६	बंगाल में ...	५,४१४	६,७३,३३६
१७	बम्बई में ...	२७,६६४	४४,६८,३६६
१८	मध्य प्रान्त में ...	३१,१७५	२४,८३,२१४
१९	आसाम में ..	१२,३२०	६,२५,६०६
२०	संयुक्त प्रान्त में ...	५,६४३	१२,०६,०७०
योग		७,१२,५०८	८,१३,१०,८४५

दूसरा पाठ पंचायतें

—:#:—

स्थानीय स्वराज्य—ब्रिटिश भारत के लोगों को अपने अपने नगरों या देहातों में प्रारम्भिक शिक्षा तथा सफाई आदि का प्रबन्ध करने के लिये कुछ अधिकार मिले हुए हैं; ये कार्य जिन संस्थाओं द्वारा होते हैं, उनमें अधिकतर आदमी नगर या गाँव वालों द्वारा चुने हुए होते हैं। इन संस्थाओं को स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएँ कहते हैं। इनके मुख्य भेद ये हैं:—

१—पंचायतें ।

२—ज़िला-बोर्ड (या ज़िला-कौंसिल) ।

३—म्युनिसिपैलिटियाँ ।

इन में से पिछली दो के नाम भारतवासियों के लिये कुछ नये हैं, पंचायतें तो हमारी चिर-परिचित पुरानी संस्थाएँ हैं। पहले इन्हीं का वर्णन करते हैं ।

पंचायतें—पंचायतें यहाँ चिरकाल से चली आरही हैं। बहुत प्रचीन काल में भी भारतवर्ष के प्रत्येक गाँव (या नगर) में एक बहुत प्रभावशाली पंचायत रहती थी, जो स्थानीय रक्षा कार्य के लिए अपनी पुलिस रखती, स्वयं भूमि-कर वसूल करके राजकोष में भेजती, और छोटे मोटे दीवानी और फ़ौजदारी के झगड़ों का निपटारा करती थी। पंचायतों का यहाँ इतना विश्वास और आदर था कि अब तक भी ' पंच परमेश्वर ' की

कहावत चली आती है। पंचायतें यहाँ हिन्दुओं के ज़माने से थीं, मुसलमानी अमलदारी में भी रहीं। परन्तु अंगरेजों के शासन काल में इन संस्थाओं की आर्य तथा इनके अधिकार प्रान्तीय सरकारों ने ले लिये; पुलिस, तथा दीवानी और फ़ौजदारी की अदालतें स्थापित कर दी गयीं। इससे पंचायतों का क्रमशः ह्रास होगया। यद्यपि अब भी कुछ जातियों में सामाजिक विषयों का निपटारा करने के लिये जातीय पंचायतें हैं, तथा पंचायती मंदिर या धर्मशाला आदि बनती हैं। परन्तु ये प्राचीन परिपाटी के स्मृति-चिह्न मात्र हैं।

अब कुछ वर्ष से पुनः नवीन रूप से सरकार द्वारा पंचायतें स्थापित करने का उद्योग हो रहा है। इनके अधिकार पुरानी पंचायतों की अपेक्षा बहुत कम हैं। इनके सदस्य ग्राम वालों के प्रतिनिधि भी नहीं होते। ये एक प्रकार की सरकारी संस्थाएँ सी ही हैं। इनका कार्य सरकारी कर्मचारियों की सहायता से, और उनके ही निरीक्षण और नियंत्रण में होता है।

भिन्न भिन्न प्रान्तों की पंचायतें—अब भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रान्तों में पंचायत-क़ानून (या पंचायत-ऐक्ट) बन गया है; प्रत्येक प्रान्त के पंचायत-क़ानून के अनुसार उस प्रान्त की पंचायतों के अधिकार और संगठन सम्बन्धी नियम निर्धारित होगये हैं, और प्रान्त के किसी गाँव में पंचायत स्थापित हो सकती है। बहुत से स्थानों में पंचायतें खुल भी गयी हैं। प्रत्येक प्रान्त के नियमों में कुछ कुछ भिन्नता है।

पंचायतों की स्थापना—जिस ज़िले के किसी हिस्से में पंचायत-क़ानून जारी हो, उसके किसी ग्राम या ग्राम-समूह में कलेक्टर (या डिप्टी कमिश्नर) पंचायत स्थापित कर सकता

है। यदि किसी ग्राम में पंचायत न हो और उसके निवासी पंचायत स्थापित कराना चाहें तो उसके कुछ प्रतिष्ठित आदिमियों को कलेक्टर के यहाँ दरखवास्त देनी चाहिये। कलेक्टर इस बात की जाँच करेगा कि वहाँ पंचों का कार्य करने योग्य काफ़ी आदिमी मिल सकते हैं या नहीं। यदि इस जाँच का फल अनुकूल हो, तो कलेक्टर पंचों को नामज़द कर देता है, और उन पंचों में से एक को सरपंच नियत कर देता है, [पंच, सरपंच बनाने तथा उन्हें धर्खास्त करने का अधिकार उसी को होता है]। जब यह सब कार्रवाई हो चुकती है तो पंचायत सम्बन्धी आवश्यक फार्म, रजिस्टर आदि सामान पंचायत को भेज दिया जाता है, और यह निश्चय हो जाता है कि सप्ताह में किस किस दिन और किस स्थान पर, तथा किस समय पंचायत अपना काम किया करेगी।

संयुक्त प्रान्त का पंचायत-क़ानून; पंच और सरपंच—संयुक्त प्रान्त का ग्राम-पंचायत-क़ानून सन् १९२० ई० में बना था। उसके अनुसार इस प्रान्त में पञ्चों की संख्या ५ से कम, और ७ से अधिक नहीं होती। ग्राम वालों की इच्छा मालूम करके कलेक्टर पंच नियत करता है। दो पंच पेसे होने चाहिये जो पढ़ लिख सकें। नीचे लिखे व्यक्ति पंच नियुक्त होने के योग्य नहीं होते :—(१) स्त्रियाँ, (२) जो पेसा दिवालिया हो जो बरी न किया गया हो, (३) जिसकी उम्र २५ वर्ष से कम हो, (४) जो सरकारी अथवा ग्राम सम्बन्धी नौकरी करता हो, (५) जिसे गत ५ वर्ष में किसी अपराध के लिए क़ैद की सज़ा हुई हो, और (६) जो पंचायत के क्षेत्र में न रहता हो। पंच तीन वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं, परन्तु कोई व्यक्ति दूसरी बार नियुक्त हो

सकता है। जब तक पंचों की संख्या तीन से कम न हो जाय, पंचायत का काम गैर-क़ानूनी नहीं समझा जाता।

सरपंच को लिखना पढ़ना अवश्य आना चाहिये। वह पंचायत का सभापति होने के अतिरिक्त, ग्राम-कोष और उसका हिसाब तथा अन्य आवश्यक कागज़ और रजिस्टर रखता है, सम्मन को तामील करवाता है, और समय समय पर कलेक्टर को पंचायत सम्बन्धी रिपोर्ट देता रहता है। पंचायत के कागज़ और रजिस्टर रखने के लिये, कलेक्टर की अनुमति से एक क्लर्क नियत किया जा सकता है। पंचायतों में पेश होने वाले मुक़दमों में किसी पक्ष की ओर से कोई वकील पैरवी नहीं कर सकता।

पंचायतों के अधिकार और कार्य—पंचायतों को दीवानी और फ़ौजदारी दोनों तरह के कुछ अधिकार प्राप्त हैं। सफ़ाई के, और आधारा फिर करनुक़सान पहुँचाने वाले मवेशियों के सम्बन्ध में भी उन्हें कुछ अधिकार दिये गये हैं।

पंचायतों को समय समय पर स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं तथा सरकार से कुछ रक़म मिलती है। इसके अतिरिक्त, वे निर्धारित नियमों के अनुसार, अपने क्षेत्र के आदमियों पर कुछ कर लगा सकती हैं, तथा अपराधियों पर कुछ जुर्माना भी कर सकती हैं, (उन्हें कैद करने का अधिकार नहीं होता)। यदि उनका कोई कर या जुर्माना वसूल न हो तो ज़िला-मजिस्ट्रेट उसे वसूल करा देता है। पंचायतों को अपनी आय कलेक्टर की अनुमति से ही, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफ़ाई, या कच्ची सड़कों आदि के कार्य में खर्च करनी होती है।

मध्य प्रान्त की पंचायतें—अन्य प्रान्तों का पंचायत-

क़ानून संयुक्त प्रान्त के पंचायत-क़ानून से मिलता जुलता ही है; थोड़ा बहुत भेद है। उदाहरणवत् मध्य प्रान्त में पंचों की संख्या ६ से कम और १५ से अधिक नहीं हो सकती। २१ वर्ष या इससे अधिक आयु के मनुष्य पंच चुने जा सकते हैं। फ़ौजदारी मुक़दमों का निपटारा करने के लिये डिप्टी कमिश्नर सब या कुछ पंचों की एक अदालत बना देता है, जिसे 'विलेज-बेंच' कहते हैं। विलेज-बेंच को कुछ फ़ौजदारी मुक़दमे करने का अधिकार होता है। इसी प्रकार किसी ग्राम में पंचायत स्थापित हो चुकने पर डिप्टी कमिश्नर उस पंचायत के सब या कुछ पंचों का मिलाकर एक विलेज-कोर्ट स्थापित कर सकता है, और उसे कुछ दीवानी मुक़दमे करने का अधिकार दे सकता है।

मुक़दमों के सम्बन्ध में विलेज-कोर्ट और विलेज-बेंच पर डिप्टी कमिश्नर का नियंत्रण रहता है। वह, कमिश्नर की मंजूरी लेकर, किसी विलेज-बेंच या विलेज-कोर्ट का, जिसे वह अयोग्य समझे, तोड़ सकता है। वह इन संस्थाओं की किसी कार्यवाई या हुक्म को रद्द कर सकता है। दूसरे कार्यों के सम्बन्ध में पंचायत पर 'ज़िला-कौंसिल' का नियंत्रण रहता है। ज़िला-कौंसिल दो-तिहाई मेम्बरों के बहुमत से पंचायत के किसी भी प्रस्ताव या आज्ञा को रद्द कर सकती है, या उसमें फेर-फ़ार कर सकती है। वह अपना यह अधिकार लोकल बोर्ड को भी दे सकती है।

उपसंहार—पंचायतों से सफ़ाई तथा न्याय सम्बन्धी बहुत काम हो सकता है; लोगों का मुक़दमेबाज़ी में जो अपरिमित धन और शक्ति नष्ट होती है, वह बहुत कुछ बच सकती है। हाँ, अभी इन पर अधिकारियों का नियंत्रण बहुत

है। ये सरकारी कर्मचारियों द्वारा नामज़द सदस्यों की संस्थाएँ हैं, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की नहीं। इनकी आय के साधन भी बहुत कम हैं।

तीसरा पाठ ज़िला-बोर्ड

—:~:—

पिछले पाठ में पंचायतों के विषय की बातें बतायी गयी हैं। उन्हें देहातों में, विशेषतया छोटे छोटे मुकदमों मामलों को ही निपटाने का अधिकार है; कहीं कहीं वे सफ़ाई आदि का भी कुछ काम करती हैं। देहातों में (प्रारम्भिक) शिक्षा और स्वास्थ्य आदि का कार्य करने वाली मुख्य संस्थाएँ बोर्ड कहलाती हैं। इस पाठ में इस बात का विचार किया जायगा कि बोर्डों का संगठन कैसा है, तथा उनके क्या नियम आदि हैं।

बोर्डों के भेद—भारतवर्ष में ग्राम-बोर्डों के निम्न लिखित तीन भेद हैं; किसी किसी प्रान्त में तो इनमें से तीनों ही प्रकार के बोर्ड हैं और कहीं कहीं केवल दो या एक ही तरह के हैं:—

१—लोकल बोर्ड, यह एक गाँव में या कुछ ग्रामों के समूह में होता है।

२—ताल्लुका या सब-डिविज़नल बोर्ड; यह एक ताल्लुके या सब-डिविज़न में होता है। यह लोकल बोर्डों के काम की देख-भाल करता है।

३—ज़िला-बोर्ड (इसे मध्य प्रान्त में ज़िला-कौंसिल कहते

हैं); यह एक ज़िले में होता है, और ज़िले भर के लोकल बोर्डों (या ताल्लुका बोर्डों) का निरीक्षण करता है ।

बोर्डों का संगठन, और उनके सदस्य—इन बोर्डों का संगठन कुछ कुछ उसी प्रकार का होता है, जैसा म्युनिसिपैलिटियों का, जो कि अगले पाठ में बताया जायगा । यद्यपि अधिकतर बोर्डों में चुने हुए सदस्य ही अधिक होते हैं, तथापि कहीं कहीं नामज़द सदस्य भी काफ़ी होते हैं ।

किस ज़िला-बोर्ड में कितने सदस्य हों, तथा उसका सभापति चुना हुआ रहे, या नियुक्त किया जाय, यह प्रत्येक प्रान्त के ज़िला-बोर्ड क़ानून से निश्चित किया हुआ है । संयुक्त प्रान्त और मध्य प्रान्त में सभापति चुना हुआ एवं ग़ैर-सरकारी होता है ।

निर्वाचन—ज़िला-बोर्डों के सदस्यों (तथा सभापति) का चुनाव प्रायः चार वर्ष में होता है । सदस्यों के चुनाव के लिये प्रत्येक ज़िला कुछ हल्कों या 'सर्कलों' में बंटा हुआ होता है, और यह निश्चित रहता है कि अमुक हल्के से इतने सदस्य चुने जाने चाहिये । प्रत्येक निर्वाचक, सदस्य बनने के लिये, उम्मेदवार हो सकता है ।

ज़िला-बोर्ड के लिये निर्वाचक होने के वास्ते किसी व्यक्ति में कुछ योग्यताओं का होना आवश्यक है । जिसमें वे योग्यताएँ न हों, वह निर्वाचक नहीं हो सकता । निम्न लिखित व्यक्ति तो निर्वाचक हो ही नहीं सकते, चाहे उनमें क़ानून से निश्चित की हुई योग्यताएँ क्यों न हों :—

१—जो ब्रिटिश प्रजा न हो ।

२—जो अदालत से पागल ठहराये गये हों ।

३—जा इक्कीस वर्ष से कम आयु के हों ।

ज़िला-बोर्डों के सदस्यों का चुनाव करने वाले निर्वाचकों को अपना मत ('वोट') देते समय अपने उत्तरदायित्व को भली भाँति समझ लेना चाहिये; तभी इन संस्थाओं से यथेष्ट लाभ हो सकता है ।

बोर्डों के कार्य—बोर्डों को, अपने ग्राम्य क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई आदि के कार्य करने होते हैं । उनके अतिरिक्त, उन्हें कृषि और पशुओं की उन्नति के लिये भी विविध कार्य करने चाहिये । इस प्रकार उनके मुख्य कार्य ये हैं:—

१—सड़कें बनवाना और उनकी मरम्मत करवाना । उन पर पेड़ लगवाना तथा उन पेड़ों की रक्षा करना । २—प्रारम्भिक शिक्षा का प्रचार करना (देहातों में प्राइमरी या मिडिल स्कूल ज़िला-बोर्डों के ही होते हैं) । ३—चिकित्सा और स्वास्थ्य का प्रबन्ध करना, चेचक या स्लेग आदि का टीका लगवाना, पशुओं के इलाज के लिये पशु-चिकित्सालय की व्यवस्था करना । ४—बाज़ार, मेला, नुमायश या कृषि-प्रदर्शनी आदि का प्रबन्ध करना । ५—पीने के पानी के प्रबन्ध के लिये तालाब या कुएँ खुदवाना या उनकी मरम्मत करवाना । ६—कांजी हौज़ अर्थात् ऐसे स्थान की व्यवस्था करना, जहाँ खेती आदि की हानि करने वाले जानवर रोक कर रखे जाते हैं । [जिस आदमी का पशु नुक़सान करते हों, वह उन्हें इस स्थान में भेज देता है, जब उनका मालिक उन्हें लेने के लिये आता है, तो उसे निर्धारित जुर्माना देना पड़ता है] । ७—घाट, नाव, पुल आदि का प्रबन्ध

करना । ८—सार्वजनिक सुभीते के अन्य आवश्यक कार्य करना । इस प्रकार, बोर्डों का कर्तव्य कितना महान है, यह स्पष्ट है ।

बोर्डों की आय—बोर्डों के कार्य हम बता चुके । ब्रिटिश भारत के बोर्डों के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है, इक्कीस करोड़ से भी अधिक । उपर्युक्त कार्यों तथा इस जन-संख्या को देखते हुए उनकी कुल वार्षिक आय, जो लगभग सोलह करोड़ रुपये हैं, बहुत कम है । आय अधिकतर उस महसूल से होती है जो भूमि पर लगाया जाता है, और जो सरकारी वार्षिक लगान या मालगुजारी के साथ ही प्रायः एक आना या अधिक फ्री रुपये के हिसाब से वसूल करके इन बोर्डों को दे दिया जाता है । इसके अतिरिक्त विशेष कार्यों के लिये सरकार उन्हें कुछ रकम, कुछ शर्तों से प्रदान कर देती है । आय के अन्य साधन तालाब, घाट, सड़क पर के महसूल, पशु-चिकित्सा और स्कूलों की फ्रीस, कांजी हौज़ की आमदनी, मेले नुमायशों पर कर, तथा सार्वजनिक उद्यानों का भूमि-कर हैं । प्रायः लोकल बोर्डों या ताल्लुका-बोर्डों की कोई स्वतंत्र आय नहीं होती, उन्हें समय समय पर जिला-बोर्डों से ही कुछ रुपया मिल जाता है, वे उस रुपये को जिला-बोर्ड की इच्छा या सम्मति के विरुद्ध खर्च नहीं कर सकते ।

सरकारी नियंत्रण—कलेक्टर (या डिप्टी कमिश्नर) अथवा कमिश्नर अक्सर इनके काम की देख-भाल करते हैं । कलेक्टर को तो इनके सम्बन्ध में बहुत अधिक अधिकार हैं, जब वह यह समझे कि जिला-बोर्ड का कोई काम, या कोई प्रस्ताव आदि ऐसा है, जिससे सार्वजनिक हित को हानि

होगी तो वह उस काम को बन्द कर सकता है, तथा उस प्रस्ताव को अमल में लाये जाने से रोक सकता है।

यदि प्रान्तीय सरकार यह समझे कि कोई बोर्ड अपना काम ठीक तरह नहीं करता और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, तो वह उसे तोड़ सकती है। इस दशा में उसका नया चुनाव होगा। अस्तु, यदि सदस्य तथा सभापति यथेष्ट प्रयत्न करें तो वे इन संस्थाओं द्वारा लोक-सेवा या सार्वजनिक हित का बहुत कार्य कर सकते हैं।

चौथा पाठ

म्युनिसिपैलिटियाँ

—:~:—

पिछले पाठ में बोर्डों के बारे में बताया जा चुका है। जो काम देहातों में बोर्डों द्वारा हाता है उसे शहरों में म्युनिसिपैलिटियाँ करती हैं। इस पाठ में इन संस्थाओं के विषय में आवश्यक बातें बतायी जायँगी।

म्युनिसिपैलिटियों का क्षेत्र—म्युनिसिपैलिटियों का कार्यक्षेत्र नगर या शहर है। इनके दो उद्देश्य हैं, नगर का सुधार होना, और जन-साधारण को सार्वजनिक कार्य करने की व्यावहारिक शिक्षा मिलना। ब्रिटिश भारत में सब मिलाकर साढ़े सात सौ म्युनिसिपैलिटियाँ हैं, इनमें से लगभग ७४ तो ऐसी हैं, जिनमें से प्रत्येक में पचास हजार या इससे अधिक आदमी रहते हैं। कुल म्युनिसिपैलिटियों की सीमा में २० भा० शा—२

२ करोड़ १२ लाख, अर्थात् ब्रिटिश भारत की जन-संख्या के लगभग आठ फ़ी सदी आदमी रहते हैं। प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी की सीमा निश्चित की हुई है, उस सीमा के भीतर ही वह अपना काम करती है।

म्युनिसिपैलिटियों का संगठन—आरम्भ में म्युनिसिपैलिटियाँ कलकत्ते, बम्बई आदि बड़े बड़े शहरों में स्थापित की गयी थीं। उस समय इनके चलाने में सरकार का बहुत हाथ था। लोगों ने इनके काम में कुछ उत्साह से भाग नहीं लिया। इनकी विशेष उन्नति और प्रचार सन् १८८४ ई० से हुआ, जब लार्ड रिपन ने इनके अधिकार बढ़ाये।

अधिकांश ब्रिटिश भारत में प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी के कुल सदस्यों में से आधे से तीन-चौथाई तक जनता द्वारा चुने हुए होते हैं, और, शेष सरकार द्वारा नामज़द। नामज़द किये हुए सदस्यों में सिविल सर्जन, एग्ज़िक्यूटिव एंजिनियर आदि कुछ सरकारी कर्मचारी तथा कुछ अन्य व्यक्ति होते हैं।

म्युनिसिपैलिटी के सदस्य अपनी पहली बैठक में सभापति या चेयरमेन का चुनाव करते हैं। इस पद के लिये प्रायः गैर-सरकारी व्यक्ति चुना जाता है, यह आवश्यक नहीं है कि वह म्युनिसिपैलिटी के सदस्यों में से ही हो। उपसभापति, सदस्यों में से ही चुना जाता है। इस पद के लिये कभी कभी दो दो व्यक्ति भी चुने जाते हैं, एक 'सीनियर वाइस चेयरमेन' कहलाता है, और दूसरा, जिसका पद इस से छोटा होता है, 'जूनियर वाइस चेयरमेन' कहा जाता है।

म्युनिसिपैलिटियों के काम में सहायता देने के लिये कई छोटी छोटी कमेटियाँ या समितियाँ भी रहती हैं, जैसे शिक्षा

समिति, स्वास्थ्य समिति आदि। प्रत्येक समिति में एक एक सभापति तथा चार ङः अन्य सदस्य होते हैं। इन समितियों में एक दो सज्जन ऐसे मिलाये हुए ('को-आप्टेड') भी होते हैं, जो म्युनिसिपैलिटी के सदस्य नहीं होते, परन्तु जिन्हें समिति से सम्बन्ध रखने वाले विषय का ज्ञान या अनुभव होता है। इन मिलाये हुए सज्जनों का अपनी अपनी समिति में अन्य सदस्यों की तरह मत देने आदि का अधिकार होता है, परन्तु ये म्युनिसिपल कमेटी की मीटिंग में भाग नहीं ले सकते।

निर्वाचन—म्युनिसिपैलिटी के सभापति, उपसभापति तथा सदस्यों का कार्य-काल चार वर्ष का होता है; अर्थात् चार साल के बाद फिर नया निर्वाचन (चुनाव) या इलेक्शन होता है। उसमें पुराने सदस्य तथा सभापति, उपसभापति भी चुने जा सकते हैं।

म्युनिसिपैलिटियों के लिये निर्वाचक या मतदाता (वोटर) होने के वास्ते, किसी व्यक्ति की प्रायः वैसी ही बातें अयोग्यता मानी जाती हैं, जैसी बोर्डों के निर्वाचक होने के वास्ते अयोग्यता बतलायी गयी हैं। प्रत्येक प्रान्त में निर्वाचकों को योग्यता सम्बन्धी साधारण नियम समान हैं, व्यौरेवार बातों में थोड़ी बहुत भिन्नता है। साधारणतया ऐसा प्रत्येक व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) निर्वाचक हो सकता है जो म्युनिसिपैलिटी की सीमा में कम से कम ङः मास से रहता हो, इक्कीस या अधिक वर्ष का हो, और जो निर्धारित किराये वाले मकान में रहता हो, या उसका मालिक हो, या जिसकी आय निर्धारित रकम से अधिक हो, या जो म्युनिसिपैलिटी का निर्धारित

गृह-कर ('हाउस टैक्स') आदि म्युनिसिपल कर या 'रेट' देता हो ।*

निर्वाचकों को चाहिये कि खूब सोच समझ कर, ऐसे उम्मेदवार के लिये ही मत ('वोट') दें, जो सदस्य बनने के सर्वथा योग्य हो, और जिससे नगर का विशेष हित होने की आशा हो। अपने किसी स्वार्थवश, या किसी प्रकार के लिहाज के कारण, अयोग्य आदमी को कभी 'मत' नहीं देना चाहिये ।

सदस्य—सदस्यों के चुनाव के लिये प्रत्येक नगर कुछ मोहल्लों या 'वार्डों' में विभक्त होता है। किस 'वार्ड' से कितने सदस्य चुने जायेंगे, यह निश्चित रहता है। प्रत्येक निर्वाचक, म्युनिसिपैलिटी का सदस्य बनने के लिए उम्मेदवार हो सकता है। जिनके पक्ष में अधिक मत या 'वोट' आते हैं, वे सदस्य चुने जाते हैं। [सदस्य के लिये आंगरेजी शब्द 'मेम्बर' है, यह भी बोल चाल में आता है।] सदस्य 'म्युनिसिपल कमिश्नर' कहलाते हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर होकर आदमी अपने नगर के सुधार तथा उन्नति का बहुत काम कर सकते हैं, उन्हें जनता की सेवा का बहुत अवसर मिलता है। जो सज्जन शिक्षित हों और इस कार्य के लिये यथेष्ट समय देकर जनता की सेवा करना चाहें, उन्हें ही यह पद प्राप्त करना चाहिये। केवल प्रतिष्ठा के लिये 'म्युनिसिपल कमिश्नर' बनना, और पीछे अपना कर्तव्य और उत्तरदायित्व ठीक तरह न निभाना अनुचित है।

* इस कर में चूंगी या महसूल की रकम शामिल नहीं होती। जो लोग यह 'रेट' देते हैं, वे 'रेट पेयर' या कर-दाता कहलाते हैं।

म्युनिसिपैलिटियों के कार्य—साधारणतः म्युनिसिपैलिटियों के मुख्य कार्य ये हैं :—

(१) सर्व साधारण की सुविधा की व्यवस्था करना, सड़क बनवाना, उनकी मरम्मत कराना, उन पर छिड़काव कराना और वृक्ष लगवाना, डाक-बंगला या सराय आदि सार्वजनिक मकान बनवाना, कहीं आग लग जाय तो उसे बुझवाना, अकाल, जल की बाढ़ या अन्य विपत्ति के समय जनता की सहायता करना ।

(२) स्वास्थ्य रक्षा, अस्पताल या औषधालय खोलना चेचक और प्लेग के टीके लगाने तथा मैले पानी के बहने का प्रबन्ध करना, और कूत की बीमारियाँ रोकने के लिये उचित उपाय काम में लाना । पीने के लिये स्वच्छ जल (नल आदि) की व्यवस्था करना, खाने के पदार्थों में कोई हानिकारक वस्तु तो नहीं मिलायी गयी है, इसका निरीक्षण करना ।

(३) शिक्षा, विशेषतया प्रारम्भिक शिक्षा प्रचार के लिये, पाठशालाओं की समुचित व्यवस्था करना, मेले और नुमायश कराना ।

(४) रोशनी (जिसमें बिजली की रोशनी भी सम्मिलित है) कराना, ट्रामवे तथा छांटी रेलों के बनाने में सहायता देना ।

आमदनी—ब्रिटिश भारत की सब म्युनिसिपैलिटियों की वार्षिक आय लगभग बारह करोड़ रुपये होती है । आय के साधन भिन्न भिन्न प्रान्तों में पृथक् पृथक् हैं । प्रायः मुख्य साधन ये हैं :—

(१) चुंगी; यह इन संस्थाओं की सीमा के अन्दर आने

घाले माल तथा जानघरों पर लगती है। संयुक्त प्रान्त में इस कर की इतनी प्रधानता है कि कुछ ज़िलों में म्युनिमिपैलिटियों का नाम ही 'चुंगी' पड़ गया है। (२) मकान और ज़मीन पर कर। (३) व्यापार और पेशों पर कर। (४) सड़कों और नदियों के पुलों पर कर। (५) सवारियों, गाड़ो, इक्का, बग्गी, साइकल, मोटर और नाव पर कर। (६) पानी, रोजनी, हाट बाज़ार, क़साइख़ाने, पायख़ाने आदि पर कर। (७) हैसियत, जायदाद और जानघरों पर कर। (८) यात्रियों पर कर; यह कर एक निर्धारित दूरी से अधिक के फ़ासले से आने वालों पर लगता है, और प्रायः रेलवे टिकट के मूल्य के साथ ही वसूल कर लिया जाता है। (९) म्युनिसिपल स्कूलों की फ़ीस। (१०) सरकारी सहायता या ऋण।

म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी—म्युनिसिपैलिटी के सभापति और उपसभापति के विषय में पहिले कहा जा चुका है। ये अधिकारी अवैतनिक होते हैं, अर्थात् इन्हें कुछ वेतन नहीं मिलता। इनके अतिरिक्त प्रत्येक म्युनिमिपैलिटी में कुछ वेतन पाने वाले कर्मचारी होते हैं। इनमें सेक्रेटरी का पद बहुत महत्त्व का होता है। यह म्युनिसिपल आफ़िस का प्रधान कर्मचारी होता है। इसकी नियुक्ति तो म्युनिसिपल कमेटी द्वारा ही होता है, परन्तु उसमें प्रायः शर्त यह रहती है कि उसके चुने हुए आदमी को सरकार पसन्द कर ले। छोटी म्युनिसिपैलिटियों के लिये सेक्रेटरी की मंजूरी कमिश्नर देता है और बड़ी के लिये प्रान्तीय सरकार का मंत्री।

सफ़ाई के काम की देख-भाल के लिये हैल्थ-आफ़िसर तथा सेनिटरी इन्स्पेक्टर, और मेहतरों के काम की निगरानी

के लिये जमादार रहते हैं। नल या पानी की व्यवस्था के लिये तथा सड़क, पुल, नाली आदि की मरम्मत के लिये ऐंजिनियर और आंधरसियर हांते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ और भी कर्मचारी होते हैं।

सरकारी नियंत्रण—प्रायः म्युनिसिपैलिटियों का धन की बड़ी जरूरत रहती है। जिन कामों के लिये वे सरकार से सहायता लेती हैं, उनके सम्बन्ध में उन्हें सरकारी शर्तों का पालन करना होता है। कुछ म्युनिसिपैलिटियों को अपना वार्षिक बजट सरकार से स्वीकार कराना होता है, तथा कुछ म्युनिसिपैलिटियों के लिये यह आवश्यक है कि यदि वे कोई नया कर लगावें तो पहिले उसकी स्वीकृति ले लें। इसके अतिरिक्त, म्युनिसिपैलिटियों के कामों की देख-रेख सरकार करती है, यदि किसी का काम ठीक न हो तो सरकार उसे तोड़ भी सकती है। ऐसी दशा में नया चुनाव होगा। ऐसा अवसर कम आता है। तथापि इससे यह स्पष्ट है कि म्युनिसिपैलिटियों पर सरकारी नियन्त्रण रहता है।

सरकारी नियंत्रण रहते हुए भी, म्युनिसिपैलिटियों के सदस्य तथा अन्य कर्मचारी यदि जी लगा कर, सेवा भाव से काम करें, तो वे अपने अपने नगर की बहुत भलाई कर सकते हैं। हमारी कुछ म्युनिसिपैलिटियाँ वास्तव में बड़ा प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं।

अन्य स्थानीय स्वराज्य संस्थाएँ—कुछ नगरों में म्युनिसिपैलिटियों की तरह अन्य संस्थाएँ हांती हैं :—

बम्बई, कलकत्ते, मद्रास और रंगून इन बड़े बड़े शहरों की

म्युनिसिपैलिटियाँ 'कारपोरेशन' कहलाती हैं। इनकी आय व्यय तथा अधिकार अधिक होते हैं। इनके सभापति 'मेयर' कहे जाते हैं।

दस हजार से कम आदमियों के कस्बों में 'नोटीफाइड एरिया' होते हैं। इनकी आय-व्यय कम होती है और अधिकांश सदस्य नामजद रहते हैं।

बड़े बड़े शहरों की उन्नति या सुधार के लिये कभी कभी विशेष कार्य करने होते हैं, जैसे संकुचित सड़कों को चौड़ी करना, घनी बस्तियों को हवादार बनाना, गरीबों और मजदूरों के लिये मकानों की व्यवस्था करना, आदि। इन कामों को म्युनिसिपैलिटियाँ नहीं कर सकतीं, उन्हें तो अपना राजमर्रा का काम ही बहुत है। अतः इनके वास्ते 'इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट' बनाये जाते हैं। ये कलकत्ता, बम्बई, रंगून, इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर आदि में हैं। इनके सदस्य सरकार, म्युनिसिपैलिटियों, या व्यापारिक संस्थाओं द्वारा नामजद किये जाते हैं। ये अपने अधिकार-गत भूमि आदि का किराया तथा आवश्यकतानुसार सहायता या ऋण लेते हैं।

कलकत्ता, बम्बई, मद्रास; चटगाँव, करांची और रंगून आदि बन्दरगाहों का स्थानीय प्रबन्ध करने वाली संस्थाएँ 'पोर्ट ट्रस्ट' कहाती हैं। ये घाटों पर मालगोदाम बनाते हैं, और व्यापार के सुभीते के अनुसार, नाव और जहाज़ की सुव्यवस्था करते हैं। इनके सभासद 'ट्रस्टी' कहलाते हैं। कलकत्ते के सिवाय सब पोर्ट ट्रस्टों में निर्वाचित सदस्यों की अपेक्षा नामजद ही अधिक रहते हैं। ये ही ऐसी स्वराज्य संस्थाएँ हैं जिनके सदस्यों का

कुछ भत्ता मिलता है। माल लदाई और उतराई, गोदाम के किराये, तथा जहाज़ों के कर से जो आमदनी होती है, वही इनकी आय है।

पाँचवाँ पाठ ज़िले का शासन

—:~:—

तुम यह जानते ही हो कि ब्रिटिश भारत १७ प्रान्तों में बंटा हुआ है। इन प्रान्तों में से मद्रास प्रान्त को छोड़ कर शेष सब में कुछ कमिश्नरी, तथा प्रत्येक कमिश्नरी में कुछ ज़िले हैं। मद्रास प्रान्त में कमिश्नरी नहीं हैं, केवल ज़िले ही हैं। इस पाठ में यह बताया जायगा कि ज़िले का शासन किस तरह होता है, उसमें कौन कौन से अफ़सर क्या क्या काम करते हैं। पहिले यह जान लेना उचित होगा कि भारतवर्ष के राज्य प्रबन्ध में ज़िले के शासन का विषय कितने महत्त्व का है।

शासन व्यवस्था में ज़िले का स्थान—प्रत्येक कमिश्नरी में तीन या अधिक ज़िले होते हैं। प्रत्येक ज़िले का औसत क्षेत्रफल चार हजार वर्गमील तथा उसकी औसत मनुष्य-संख्या नौ लाख है। कोई ज़िला छोटा है, कोई बड़ा। ज़िलों की कुल संख्या २३० है। राज्य की कल जैसी एक ज़िले में चलती दिखायी पड़ती है, वैसी ही प्रायः अन्य ज़िलों में भी है। जैसे अफ़सर एक में काम करते हैं, वैसे ही औरों में भी हैं। जनता के काम काज का मुख्य स्थान ज़िला है। जो मनुष्य अन्य प्रान्तों

तथा दूसरे शहरों से कुछ सम्बन्ध नहीं रखते, उन्हें भी बहुधा ज़िले में काम पड़ जाता है। यहाँ के शासन-कार्य को देख कर ही साधारण आदमी देश के राज्य-प्रबन्ध के विषय में कुछ अनुमान किया करते हैं।

ज़िला-मजिस्ट्रेट के कार्य—प्रत्येक ज़िले का प्रधान अफ़सर ज़िला-मजिस्ट्रेट कहलाता है। उसे पंजाब, मध्य प्रान्त आदि में 'डिप्टी कमिश्नर' और बंगाल संयुक्त, प्रान्त, बिहार आदि में 'कलेक्टर' कहते हैं। 'कलेक्टर' का अर्थ है, वसूल करने वाला। ज़िला-मजिस्ट्रेट को 'कलेक्टर' इसलिये कहते हैं कि उस पर ज़िले की मालगुज़ारी वसूल करने की ज़िम्मेवारी होती है। वह अपने ज़िले के भूमि सम्बन्धी मामलों पर विचार करता है, सरकार और प्रजा के सम्बन्ध का ध्यान रखता है और ज़मींदारों और किसानों आदि के झगड़ों का फैसला करता है। दुर्भिक्ष अथवा अन्य आवश्यकता के समय कृषकों को सरकारी सहायता उसकी सम्मति के अनुसार मिलती है। ज़िले के खज़ाने का वही उत्तरदाता है। उसे म्युनिसिपैलिटियों तथा ज़िला-बोर्डों की निगरानी का अधिकार है। उसे अव्वल दर्जे की मजिस्ट्रेट्री के भी अधिकार प्राप्त हैं, जिनसे वह एक एक अपराध पर साधारणतः दो साल की कैद और एक हजार रुपये तक जुर्माना कर सकता है। ज़िले की सब प्रकार की सुख शांति का वही उत्तरदाता है। वही स्थानीय पुलिस की निगरानी भी करता है। इस बात के निश्चय करने में, कि कहाँ पुल, सड़क इत्यादि बनने चाहिये, कहाँ सफ़ाई का प्रबन्ध होना चाहिये, तथा ज़िले के किन किन स्थानों को स्थानीय स्वराज्य का अधिकार मिलना चाहिये, उसी की सम्मति प्रामाणिक मानी जाती है।

ज़िले में जिस बात का प्रबन्ध ठीक न हो उसका सुधार करना, और हर एक बात की रिपोर्ट उच्च कर्मचारियों के पास भेजना, उसी का कर्तव्य है। ज़िले की आन्तरिक दशा जानने तथा उसे सुधारने के विचार से उसे देहातों में दौरा भी करना होता है।

ज़िले के अन्य कार्यकर्ता—ज़िले में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे, शान्ति रखना, भगड़ों का फ़ैसला करना, मालगुज़ारी घसूल करना, सड़क, पुल आदि बनवाना, अकाल में लोगों की सहायता करना, रोगियों का इलाज करना, म्युनिसिपल तथा लोकल बोर्डों की निगरानी रखना, जेलखाना और पाठशाला आदि का निरीक्षण करना, इत्यादि। इन विविध कार्यों के लिये ज़िले में कई एक अफ़सर रहते हैं, जैसे स्कूलों के डिप्टी इन्स्पेक्टर, पुलिस के सुपरिंटेंडेंट या पुलिस कमान, अस्पतालों के भिविल सर्जन, जेलों के सुपरिंटेंडेंट। निर्माण कार्य के लिये एग्ज़िक्यूटिव ऐंजिनियर, और न्याय कार्य के ज़िला-जज आदि होते हैं।

ये अफ़सर अपने पृथक् पृथक् विभागों के उच्च कर्मचारियों के अधीन होते हैं; परन्तु शासन के विचार से ज़िला-जज और मुंसिफ़ आदि को छाड़ कर सब पर ज़िला-मजिस्ट्रेट ही प्रधान होता है। इसके कार्य में सहायता देने के लिये डिप्टी और सहायक मजिस्ट्रेट भी रहते हैं।

ज़िले के भाग और उनके अधिकारी—प्रायः प्रत्येक ज़िले के कुछ भाग होते हैं, उन्हें सब-डिविज़न कहते हैं। हर एक सब-डिविज़न एक डिप्टी कलेक्टर अथवा 'पेक्सट्रा पेसिस्टेंट कमिश्नर' के अधीन रहता है। अपनी अपनी अमलदारी में

सब-डिविज़नों के अफ़सरों के अधिकार, थोड़े बहुत भेद से कलेक्टर-मजिस्ट्रेटों के समान ही होते हैं। बंगाल और बिहार को तथा संयुक्त प्रान्त के कुछ भाग को छाड़ कर अन्य सब-डिविज़न के भागों का नाम तहसील (या ताल्लुका) है। तहसील, पंजाब और संयुक्त प्रान्त में तहसीलदारों के अधीन हैं,* जो प्रजा और सरकार के बीच मानों मध्यस्थ रूप हांते हैं। उनका काम दोनों को एक दूसरे के विषय में आवश्यक सूचना देते रहना है। ये अपने इलाके के माल और क़ौजदारी के ही काम के उत्तरदाता नहीं हैं, वरन् ये म्युनिसिपैलिटियों और देहाती बांडों में भी यथोचित कार्य करते हैं। इनका विशेष कार्य लगान वसूल करना है। इनके सहायक कर्मचारी नायब तहसीलदार, पेशकार, क़ानूगो, रेव्यू-इन्स्पेक्टर आदि हांते हैं। हर एक तहसील में कई कई गाँव हांते हैं।

गाँवों के अधिकारी—गाँवों में लम्बरदार (पटेल) चौकीदार और पटवारी रहते हैं; ये तहसीलदार को उनके काम में सहायता देते हैं।

लम्बरदार अपने गाँव का सब से बड़ा अधिकारी हांता है, यह किसानों से मालगुज़ारी और आबपाशी की रक़म एकत्र करके तहसील में भेज देता है, वहाँ से वह ज़िले में भेजी जाती है।

चौकीदार पहरा देता तथा चौकसी करता है, पुलिस में प्रति सप्ताह मृतकों व नवजात बालकों को ख़बर देता है, और चोरी, लूट-मार तथा अन्य अपराधों की रिपोर्ट करता है। चौकीदारों

* अन्य प्रान्तों में तहसील या ताल्लुके के प्रधान पदाधिकारी के भिन्न भिन्न नाम हैं।

का अफसर मुखिया कहलाता है। यह पुलिस को आवश्यक विषयों की सूचना देता रहता है।

पटवारी अपने हल्के (ग्राम या ग्राम-समूह) के किसानों और ज़मींदारों के हक़ हक़ूक़ के कागज़ रखता है, और प्रत्येक परिवर्तन की रिपोर्ट सरकार में करता है। वह खेतों के नक्शे तथा 'खेवट' 'खतौनी' आदि रखता है।

बंगाल, बिहार में तथा संयुक्त प्रान्त के कुछ भागों में तहसीलदार, नम्बरदार और पटवारी आदि कर्मचारी नहीं रहते। सब-डिविज़नल अफसर के नीचे, थानेदार तथा एक एक ग्राम-समूह के लिये दफ़ादार, और प्रत्येक ग्राम में चौकीदार रहते हैं।

छठा पाठ

प्रान्तीय सरकार

—:०:—

ज़िले का शासन किस तरह होता है, यह तुम पिछले पाठ में पढ़ चुके। अब तुम प्रान्तों के राज्य-प्रबन्ध के विषय में आसानी से विचार कर सकते हो। बड़े होने पर तुम्हें पास वाले दूसरे ज़िलों से काम पड़ेगा; सम्भव है वह ज़िले तुम्हारे ही प्रान्त के हों या किसी दूसरे प्रान्त के।

प्रान्तों के भाग, कमिश्नरियाँ—प्रान्तों के शासन-प्रबन्ध का हाल जानने के लिये पहिले कमिश्नरियों के बारे में कुछ बातें जानना आवश्यक है। तुम पिछले पाठ में पढ़ चुके हो

कि मद्रास प्रान्त को छोड़ कर, प्रत्येक बड़े प्रान्त में चार पाँच कमिश्नरियाँ होती हैं। कमिश्नरी के अफसर को कमिश्नर कहते हैं। यह शासन सम्बन्धी कोई विशेष कार्य नहीं करता, केवल अपने अधीन ज़िला-अफसरों के काम की जाँच पड़ताल करता है। ज़िलों से जो रिपोर्ट या पत्रादि प्रान्तीय सरकार के पास जाते हैं, वे सब कमिश्नरों के हाथ से गुज़रते हैं। कमिश्नर माल ('रेव्यू') के मुकदमों की अपील भी सुनता है। मालगुज़ारी के बन्दोबस्त में इसका काम केवल परामर्श देना है, पर विशेष दशाओं में इसे मालगुज़ारी की वसूलयाची रोकने का अधिकार है।

कमिश्नरों को अपनी अपनी कमिश्नरी की म्युनिसिपैलिटियों के काम को देखने-भालने के भी कुछ अधिकार होते हैं। परन्तु इनका विशेष सम्बन्ध मालगुज़ारी से रहता है। मालगुज़ारी के प्रबन्ध के लिये पंजाब और मध्यप्रान्त में फ़ाइनेंशल कमिश्नर हैं, और संयुक्त प्रान्त, बिहार और बंगाल में रेव्यू बोर्ड हैं। रेव्यू बोर्ड में एक से लेकर चार तक, मेम्बर होते हैं। फ़ाइनेंशल कमिश्नर और रेव्यू बोर्ड मालगुज़ारी के सम्बन्ध में कलेक्टरों और कमिश्नरों के कार्य की देख-भाल करते हैं। माली मामलों में यह कमिश्नरों के निर्णय के विरुद्ध अपील भी सुनते हैं।

प्रान्तों का वर्गीकरण—तुम यह तो जान ही चुके हो कि भारतवर्ष में कुल सतरह प्रान्त हैं। प्रान्तीय सरकारों को स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। सब प्रान्तों का शासन एक ही तरह नहीं होता। राज्य-प्रबन्ध की दृष्टि से प्रान्तों के दो भेद हैं :—

(१) चीफ़ कमिश्नरों के प्रान्त और (२) गवर्नरों के प्रान्त । अब हम इनकी शासन पद्धति का विचार करते हैं । पहले चीफ़ कमिश्नरों के प्रान्तों को लीजिये ।

चीफ़ कमिश्नरों के प्रान्त—सन् १९३५ ई० के विधान के अनुसार निम्न-लिखित प्रान्त चीफ़ कमिश्नरों के प्रान्त हैं—

१—ब्रिटिश बिलोचिस्तान ।

२—देहली ।

३—अजमेर-मेरवाड़ा ।

४—कुर्ग ।

५—अदमान-निकोबार ।

६—पन्थ पिपलोदा नाम का क्षेत्र । (यह प्रान्त नवीन विधान के अनुसार बनाया गया है, पहले नहीं था ।)

इन प्रान्तों का शासन चीफ़ कमिश्नर द्वारा, गवर्नर-जनरल करता है । चीफ़ कमिश्नरों की नियुक्ति गवर्नर-जनरल अपनी मर्जी से करता है । इन प्रान्तों के लिये क़ानून भारतीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा बनाये जाते हैं; केवल कुर्ग में व्यवस्थापक सभा है ।

कुछ चीफ़ कमिश्नर अपने प्रान्त का शासन करने के अनिरिक्त, राज्य प्रबन्ध सम्बन्धी अन्य कार्य भी करते हैं । ब्रिटिश बिलोचिस्तान का चीफ़ कमिश्नर बिलोचिस्तान की रियासतों का, और अजमेर-मेरवाड़े का चीफ़ कमिश्नर राजपूताने की रियासतों का एजेंट होता है । इसी प्रकार कुर्ग का चीफ़ कमिश्नर मैसूर रियासत का रेज़िडेंट होता है ।

गवर्नरों के प्रान्तों का शासन—इन प्रान्तों में प्रधान

अधिकारी गवर्नर कहलाता है। वह अपने प्रान्त की सुख, शान्ति और उन्नति के लिये उत्तरदाता होता है। सब प्रान्तों के गवर्नरों का वेतन और दर्जा बराबर नहीं है। बंगाल, बम्बई और मद्रास के गवर्नर ऊँचे माने जाते हैं। सब गवर्नरों की नियुक्ति सम्राट् द्वारा होती है, परन्तु उक्त तीन प्रान्तों के गवर्नर, इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों में से, भारत मन्त्री की सिफारिश से नियत होते हैं। अन्य गवर्नर प्रायः भारतीय सिविल सर्विस के सदस्यों में से, गवर्नर-जनरल के परामर्श से चुने जाते हैं। सब प्रान्तों के गवर्नरों का वार्षिक वेतन विधान द्वारा निर्धारित है।* वेतन के अतिरिक्त उन्हें भत्ता आदि भी इतना काफ़ी दिया जाता है, जिससे वह अपने पद का कार्य सुविधा और मान-मर्यादा पूर्वक कर सकें, अर्थात् उनकी शान-शौकत भली-भाँति बनी रहे।

प्रान्तीय विषयों का प्रबन्ध—कुछ प्रान्तीय विषयों के सम्बन्ध में गवर्नर अपनी मर्जी या व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य कर सकता है; उन्हें छोड़ कर शेष विषयों में वह अपने मन्त्री मण्डल की सहायता या परामर्श से काम करता है। किसी विषय में गवर्नर अपनी मर्जी या व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य कर सकता है, या नहीं, इसके सम्बन्ध में स्वयं गवर्नर का किया हुआ फैसला ही अंतिम माना जाता है।

विशेषतया निम्न लिखित विषयों में गवर्नर अपनी मर्जी के अनुसार कार्रवाई कर सकता है। (क) मन्त्रियों की नियुक्ति,

*मद्रास १,२०,०००)	पंजाब १,००,०००)	पश्चिमोत्तर-
बम्बई „	बिहार „	सीमाप्रान्त ६६,०००)
बंगाल „	मध्यप्रान्त-बरार ७२,०००)	उड़ीसा „
संयुक्तप्रान्त „	आसाम „	सिन्ध „

बर्खास्तगी, तथा उनकी वेतन निश्चय करना। (ख) मंत्री मण्डल का सभापति होना। (ग) प्रांतीय सरकार के कार्य-सञ्चालन सम्बन्धी नियम बनाना।

विशेषतया निम्न लिखित विषयों में गवर्नर अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य कर सकता है :—(क) जिन विषयों में गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व है। (ख) पुलिस सम्बन्धी नियमों की व्यवस्था (ग) आतङ्कवाद का दमन।

मन्त्री मण्डल—पहले कहा गया है कि प्रांतीय विषयों में गवर्नर को सहायता या परामर्श देने के लिये एक मन्त्री मण्डल रहता है। इसका सभापति गवर्नर होता है। मन्त्रियों की संख्या निर्धारित नहीं है। वे गवर्नर द्वारा चुने जाते हैं, और जब तक वह चाहता है, वे अपने पद पर बने रहते हैं। अगर कोई मन्त्री लगातार छः महीने तक प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डल का सदस्य न हो तो वह इस समय के पूरा होने पर मन्त्री नहीं रहता। मन्त्रियों का वेतन प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डल समय समय पर निर्धारित करता है, और जब तक मंडल निर्धारित न करे, गवर्नर उसका निश्चय करता है, परन्तु किसी मन्त्री का वेतन उसके कार्यकाल में बदला नहीं जाता।

गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व—गवर्नर निम्न लिखित विषयों के लिये विशेष रूप से उत्तरदायी होता है—यह उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार के प्रति है, भारतीय जनता अर्थात् उस के प्रतिनिधियों के प्रति नहीं—जब कभी उसे अपने इस उत्तरदायित्व पर आघात पहुँचता हुआ प्रतीत होता

स० भा० शा०—३

है, तो वह अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार (मंत्रियों की सलाह के विरुद्ध भी) कार्य कर सकता है ।

१—प्रान्त या उसके किसी भाग के शांति-भङ्ग का निवारण करना ।

२—अल्प संख्यकों के उचित हितों की रक्षा करना ।

३—वर्तमान तथा भूत-पूर्व सरकारी कर्मचारियों (सिविलियनों, आई० सी० एस० आदि) और उनके आश्रितों के उचित हितों का ध्यान रखना ।

४—व्यापारिक और जाति-गत भेद भाव के क़ानून न बनने देना ।

५—देशी नरेशों के अधिकारों और मान-मर्यादा की रक्षा करना ।

६—जो क्षेत्र अंशतः पृथक् (' एक्सकल्यूडेड ') किये हुए हों, उनके शासन और शान्ति का प्रबन्ध करना ।

ब्रिटिश भारत के विविध प्रांतों में कुछ कुछ भाग पृथक् या अंशतः पृथक् क्षेत्र घोषित किये गये हैं । इनकी सूची काफ़ी बड़ी है । कहीं कोई ज़िला, कहीं कोई तहसील या तालुका आदि ऐसा क्षेत्र ठहराया गया है । अनेक स्थानों में असीम खनिज या अन्य प्रकार की सम्पत्ति और सुन्दर प्राकृतिक दृश्य है । पृथक् किये हुए क्षेत्रों का शासन-प्रबन्ध गवर्नर के हाथ में रहता है, और अंशतः पृथक् क्षेत्रों में, उसका विशेष उत्तरदायित्व होता है; इन में मन्त्रियों को उतना अधिकार नहीं होता जितना उन्हें प्रांत के अन्य भागों के सम्बन्ध में होता है । ब्रिटिश अधिकारी इनके ज़िये प्रतिनिधि शासन पद्धति अनुपयुक्त समझते हैं । यह व्यवस्था पिछड़े हुए भू-भाग या आदिम निवासियों की रक्षा, तथा देश-हित के नाम पर

की जाती है। इन क्षेत्रों में पुलिस आदि के अधिकारियों का ही प्रभुत्व होता है, नागरिकों के अधिकार अत्यल्प होते हैं, उन्हें अपने प्रांत के अन्य बंधुओं के साथ समानता से रहने और विकसित होने का अवसर नहीं दिया जाता। भारतीय जनता इस व्यवस्था को अत्यन्त हाजिर समझती है।

गवर्नर मंत्रियों को अपनी इच्छानुसार आज्ञा दे सकता है, यदि मंत्री उसकी आज्ञा का पालन न करें तो गवर्नर व्यवस्थापक मंडल को भंग करके, अथवा बिना भंग किये ही उन्हें त्यागपत्र देने के लिये बाध्य कर सकता है, और उनके स्थान पर अपनी इच्छानुसार नयी नियुक्तियाँ कर सकता है। यदि गवर्नर को अपनी आज्ञा पालन कराने के लिये उपयुक्त मंत्री न मिले तो वह समस्त शासन कार्य अपने हाथ में ले सकता है।

सेक्रेटरी—प्रत्येक मन्त्री की सहायतार्थ प्रायः एक एक सेक्रेटरी, सरकारी अफसरों या प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद् के निर्वाचित सदस्यों में से नियत किया जाता है। जो सेक्रेटरी व्यवस्थापक परिषद् के सदस्यों में से नियत होते हैं, उन्हें कौंसिल-सेक्रेटरी कहते हैं। उनका वेतन व्यवस्थापक परिषद् के मत से निश्चय होता है।

गवर्नर का, विविध विभागों के सेक्रेटरियों से जो सम्बन्ध होता है, वह मंत्रियों के द्वारा न होकर सीधा भी हो सकता है। और, वह किसी भी विषय की जानकारी के लिये उन्हें आदेश कर सकता है। इस प्रकार केवल कुछ विशेष विषयों में ही नहीं, साधारण रोज़मर्रा के शासन कार्य में भी गवर्नर का पूरा नियंत्रण और अधिकार हो सकता है।

गवर्नर जनरल का नियंत्रण—जो कार्य गवर्नर अपनी मर्जी या व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कर सकता है, उसके सम्बन्ध में वह गवर्नर-जनरल के नियंत्रण में रहता है, और गवर्नर-जनरल द्वारा समय समय पर दी हुई सूचनाओं के अनुसार व्यवहार करता है। ये सूचनाएँ गवर्नर के नाम सम्राट् द्वारा जारी किये हुए आदेशपत्र के अनुसार ही होती हैं। परन्तु गवर्नर के, उपर्युक्त व्यवस्था के विपरीत किये हुए कार्य के भी औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इससे गवर्नर की शक्ति का अनुमान किया जा सकता है।

एडवोकेट-जनरल—गवर्नरों के प्रान्तों में से प्रत्येक में एक एक एडवोकेट-जनरल रहता है। इस पद के लिये उस प्रान्त का गवर्नर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है, जिसमें हाईकोर्ट का जज होने की योग्यता हो। उसका कर्तव्य प्रान्तीय सरकार को ऐसे विषयों पर परामर्श देना और ऐसे अन्य कानूनी कार्य करना, होता है, जो, गवर्नर समय समय पर उसके लिये निर्धारित करे। वह उस समय तक अपने पद पर आरुढ़ रहता है, जब तक कि गवर्नर चाहे; और उसे उतना वेतनादि मिलता है, जितना गवर्नर निश्चय करे।

सातवाँ पाठ

प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल

—:०:—

पाठको ! पहिले पाठ से तुम्हें यह मालूम हो गया कि प्रान्तों में शासन किस प्रकार होता है। आओ, अब यह विचार करें कि प्रान्तों के शासन प्रबन्ध के लिये क़ानून कौन बनाता है, और वे किस प्रकार बनाये जाते हैं।

अपने अपने प्रान्त सम्बन्धी कुछ क़ानून बनाने का अधिकार गवर्नरों के सब प्रान्तों को मिला हुआ है। चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों में से केवल कुर्ग में व्यवस्थापक परिषद् है; अन्य प्रान्तों के लिये क़ानून बनाने का काम, भारतीय व्यवस्थापक मंडल करता है। वही उन विषयों के क़ानून भी बनाता है, जिन का सम्बन्ध दो या अधिक बड़े, अर्थात् गवर्नरों के प्रान्तों से हो। उसका वर्णन आगे किया जायगा।

प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल की सभाएँ और उनकी अवधि—पहले बताया जा चुका है कि ब्रिटिश भारत के ग्यारह प्रान्त 'गवर्नर के प्रान्त' कहलाते हैं। इनके व्यवस्थापक मंडलों में एक-एक गवर्नर के अतिरिक्त, छः प्रान्तों अर्थात् (१) मद्रास, (२) बम्बई, (३) बंगाल, (४) संयुक्त प्रान्त, (५) बिहार और (६) आसाम में दो दो सभाएँ, और शेष पाँच प्रान्तों अर्थात् पंजाब, मध्यप्रान्त और बरार, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, उड़ीसा, और सिंध में एक एक सभा है। जिन छः

प्रान्तों के व्यवस्थापक मण्डलों में दो दो सभाएँ हैं, उनकी उन सभाओं के नाम क्रमशः व्यवस्थापक परिषद् (लेजिस्लेटिव कौंसिल), और व्यवस्थापक सभा (लेजिस्लेटिव एसेम्बली) हैं। जहाँ एक ही सभा है, वह व्यवस्थापक सभा कहलाती है। किसी प्रान्त की व्यवस्थापक सभा (एसेम्बली) यदि वह पहले भंग न की जाय तो अपनी प्रथम बैठक के निर्धारित दिन से, अधिक से अधिक पाँच वर्ष तक रहती हैं, इस समय के बाद वह भंग हो जाती है। व्यवस्थापक परिषद् एक स्थायी संस्था होती है, जो कभी भङ्ग नहीं होती, इसके यथा-सम्भव एक-तिहाई सदस्य निर्धारित नियमों के अनुसार प्रति तीसरे वर्ष बदलते रहेंगे।

इन सभाओं के सम्बन्ध में अन्य बातें जानने से पहले यह ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है कि इनके सदस्यों को चुनने में कौन कौन व्यक्ति भाग नहीं ले सकते, और कैसी योग्यता के व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं।

कौन कौन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते ?—
निर्वाचक सूची में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं किया जाता, जो इक्कीस वर्ष का न हो, और ब्रिटिश प्रजा न हो।

जो व्यक्ति पागल हो, और न्यायालय से पागल ठहराया गया हो, वह निर्वाचक नहीं हो सकता।

सिक्ख, मुसलमान, पेंगलो-इण्डियन, योरपियन या भारतीय ईसाई निर्वाचक संघों से क्रमशः इन्हीं जातियों के व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं। प्रायः ये व्यक्ति साधारण निर्वाचक संघ में मत नहीं दे सकते।

साधारण निर्वाचन में कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचक संघ में मत नहीं दे सकता। हाँ, किसी निर्वाचक संघ में मत देने वाला व्यक्ति स्त्रियों के चुनाव के लिये विशेष रूप से बनाये हुए निर्वाचक संघ में मत दे सकता है।

निर्वाचन सम्बन्धी अपराध का दोषी व्यक्ति मत देने का अधिकारी नहीं होता। जो व्यक्ति इस प्रकार मत देने के अयोग्य हो जाय, उसका नाम निर्वाचक सूची से काट दिया जाता है।

देश बहिष्कार, या कैद की सजा भुगतने वाला व्यक्ति मत नहीं दे सकता।

स्त्रियों के मताधिकार के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि जिस स्त्री का नाम उसके पति के देहान्त के समय, उसके पति की योग्यता के कारण निर्वाचक सूची में दर्ज हो, उसका नाम उक्त सूची में तब तक दर्ज रहता है, जब तक कि वह फिर विवाह न करले, या उसमें कोई उपर्युक्त अयोग्यता न हो जाय। एक आदमी की योग्यता के आधार पर एक ही स्त्री मताधिकारिणी हो सकती है।

सदस्यों की योग्यता आदि—वही व्यक्ति प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल की किसी सभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होता है जिसका नाम निर्वाचक संघ की सूची में दर्ज होता है और (क) जो ब्रिटिश प्रजा हो, (ख) जो व्यवस्थापक सभा की मेम्बरी के लिये पच्चीस वर्ष, और व्यवस्थापक परिषद की मेम्बरी के लिये तीस वर्ष से कम का न हो, तथा (ग) जिसमें निर्धारित योग्यता हो।

कोई व्यक्ति प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा या परिषद का सदस्य चुने जाने, या होने के अयोग्य ठहराया जाता है अगर

क—वह कोई सरकारी नौकरी करता हो ।

ख—वह पागल हो ।

ग—वह पेसा दिवालिया हो, जो बरी न किया गया हो ।

घ—वह निर्वाचन सम्बन्धी निर्धारित अपराध का दोषी पाया गया हो ।

च—वह न्यायालय में किसी अन्य अपराध का अपराधी ठहराया गया हो, और उसे देश-बहिष्कार या दो वर्ष से अधिक की कैद की सज़ा मिली हो ।

यदि कोई पेसा व्यक्ति सदस्य के रूप में, किसी सभा में बैठे और मत दे, जिसमें सदस्यता की योग्यता न हो, या जो सदस्य होने के लिये अयोग्य ठहराया गया हो, तो जितने दिन वह बैठेगा और मत देगा, उस पर प्रति दिन पाँच सौ रुपये के हिसाब से दण्ड होगा ।

सदस्यों के विशेषाधिकार, भत्ता आदि—जहाँ तक कोई सदस्य इन सभाओं के नियमों की अवहेलना न करे, उसे इन में भाषण करने की स्वतन्त्रता है । किसी सदस्य पर सभाओं या इनकी कमेटियों में भाषण या मत देने के कारण, या सभा के आदेशानुसार उसकी रिपोर्ट, मत या कार्रवाई प्रकाशित करने के कारण, कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती । अन्य बातों में सदस्यों के विशेषाधिकार वे हैं, तथा उन्हें पेसा भत्ता आदि मिलता है, जो व्यवस्थापक मंडल निर्धारित करे ।

प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाएँ—प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं के कुल सदस्यों की संख्याएँ इस प्रकार हैं :—

बंगाल २५०, मदरास २१५, बम्बई १७५, बिहार १५२, मध्य प्रान्त बरार ११२, संयुक्त प्रान्त २२८, पंजाब १७५, आसाम १०८, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त ५०, उड़ीसा ६०, और सिन्ध ६० । सब सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, परन्तु निर्वाचक बहुत से संघों में विभक्त हैं ; अब कुल निर्वाचक संघ १५ हैं । यह बान नागरिक हितों के विरुद्ध है ।

संयुक्त प्रान्त के निर्वाचक संघों से सदस्यों का निर्वाचन निम्न लिखित हिसाब से होता है :—

साधारण १४०, मुस्लिम ६४, एंग्लो इंडियन १, योरपियन २, भारतीय ईसाई २, व्यापार उद्योग और खान ३, जमींदार ६, विश्वविद्यालय १, श्रम ३, बिर्या-साधारण ४, बिर्या-मुसलमान २ ।

निर्वाचक कौन हो सकता है ?—जिन व्यक्तियों में निर्वाचक की, पहले बताई हुई अयोग्यता न हो, और जिन में निम्न लिखित योग्यताएँ हों, * वे ही प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के किसी निर्वाचक संघ की सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं:—

१—जो, निर्वाचक संघ के क्षेत्र की सीमा के अन्दर रहने वाले हों; और

* भारतवर्ष में कुल मिला कर लगभग साढ़े तीन करोड़ पुरुष की मत दे सकते हैं । भिन्न भिन्न प्रान्तों में निर्वाचकों की साम्प्रतिक योग्यता सम्बन्धी नियमों में भेद है । स्थानाभाव से हमने यहाँ संयुक्त प्रान्त के ही मुख्य मुख्य नियमों का उल्लेख किया है ।

- २—(क) जो संयुक्त प्रान्त में ऐसे मकान के मालिक हों, जिसका वार्षिक किराया २५) ६० या उससे अधिक हो, या
- (ख) जो संयुक्तप्रान्त में ऐसे शहर में, जहाँ पर म्युनिसिपैलिटी द्वारा हैसियत-कर लिया जाता हो, (१५०) ६० की वार्षिक आय पर यह कर देते हों, या
- (ग) जो भारत सरकार को आय-कर देते हों, या
- (घ) जो ऐसे ज़मीन के मालिक हों, जिसकी आय निर्धारित रक़म या उससे अधिक हो, या

[संयुक्त प्रान्त में, कुमाऊं की पहाड़ी पट्टियों में ज़मीन के सब मालिक तथा सब 'खैकार' तथा अन्य स्थानों में ५) ६० वार्षिक मालगुज़ारी वाला ज़मीन के मालिक निर्वाचक हो सकते हैं।]

- (च) जिनके अधिकार में निर्धारित या उससे अधिक आय की ज़मीन हो, या

[संयुक्त प्रान्त में १०) ६० या अधिक वार्षिक लगान देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं।]

- (छ) जिन में शिक्षा सम्बन्धी निर्धारित योग्यता हो, या
- (ज) जो भारतीय सेना के पेंशन पाने वाले या नौकरी छोड़ चुकने वाले अफ़सर या सिपाही हों।

कुमाऊं की पहाड़ी पट्टियों में वह व्यक्ति भी निर्वाचक संघ में मत दे सकता है जो वहाँ किसी गाँव में शिल्पकार हो, और गाँव के शिल्पकार परिवारों से निर्धारित रीति से प्रतिनिधि चुना गया हो।

किसी स्त्री का नाम निर्वाचक सूची में निम्न लिखित दशा में भी दर्ज किया जाता है:—

क—अगर वह भारतीय सेना के पेन्शन पाने वाले या नौकरी ब्रॉड चुकने वाले अफसर या सिपाही की पेन्शन पाने वाली विधवा या माता हो, या

ख—अगर उसे लिखना पढ़ना आता हो, या

ग—अगर उसके पति में निर्धारित योग्यता हो,

[इस प्रसंग में पति के लिये जो आर्थिक योग्यता निर्धारित की गयी है, वह पूर्व सूचित साधारण योग्यता से कुछ अधिक है।]

ये योग्यताएँ साधारण तथा जातिगत निर्वाचक संघों के विषय की हैं। विशेष अर्थात् (क) व्यापार उद्योग और खान, (ख) जमींदार, (ग) विश्व विद्यालय, और (घ) श्रम के निर्वाचक संघों के निर्वाचकों के लिये अन्य योग्यताएँ निर्धारित हैं।

प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदें—व्यवस्थापक परिषदों के सदस्यों की कुल संख्याएँ इस प्रकार हैं :—मद्रास ४४ से ४६ तक, बम्बई २६ या ३०, बंगाल ६३ से ६५ तक, संयुक्त प्रान्त ५८ से ६० तक, बिहार २६ या ३०, आसाम २१ या २२। भिन्न भिन्न प्रान्तों में ३ से १० तक सदस्य गवर्नर द्वारा नामजुद होते हैं। बंगाल में २७ और बिहार में १२ सदस्य उस उस प्रान्त की व्यवस्थापक सभा द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से, चुने जाते हैं।

इन परिषदों के सदस्यों के निर्वाचकों के लिये साम्प्रतिक तथा अन्य योग्यता का परिमाण प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं के निर्वाचकों की अपेक्षा अधिक निर्धारित किया गया है।

व्यवस्थापक मंडल का अधिवेशन—प्रत्येक प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल की सभा या सभाओं का, प्रति वर्ष, कम से कम एक अधिवेशन होता है। गवर्नर प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल की दोनों या एक सभा का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर कर सकता है, जिसे वह उचित समझे। वह सभाओं का कार्य-काल बढ़ा सकता है, और प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा (एसेम्बली) को भंग कर सकता है।

गवर्नर का अधिकार—गवर्नर अपनी मर्जी से व्यवस्थापक सभा में, और यदि उसके प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद् हो तो किसी भी सभा में, या दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में भाषण कर सकता है। वह दोनों में से किसी भी सभा में किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपना संदेश भेज सकता है चाहे वह प्रस्ताव मंडल के सामने उस समय विचाराधीन हो, या न हो। जिस सभा में कोई संदेश भेजा जायगा, वह यथा-सम्भव शीघ्रता-पूर्वक संदेश में सूचित विषय का विचार करेगी। अगर गवर्नर अपनी मर्जी से यह तसदीक करदे किसी क़ानून के मसविदे, उस के अंश या संशोधन से उसके शान्ति-रक्षा सम्बन्धी विशेष उत्तरदायित्व पर असर पड़ता है तो वह इस विषय का आदेश करके उस मसविदे आदि के सम्बन्ध में होने वाली कार्रवाई को रोक सकता है।

मन्त्रियों और ऐडवोकेट-जनरल के अधिकार—प्रत्येक मन्त्री को, और ऐडवोकेट-जनरल को व्यवस्थापक सभा में, और यदि उस प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद् हो तो किसी भी सभा में, या दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में बोलने और कार्रवाई में

भाग लेने का अधिकार होता है। मन्त्री उस सभा में मत दे सकते हैं, जिसके वे सदस्य हों।

सभाओं के पदाधिकारी—प्रांतीय व्यवस्थापक सभा अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उप-सभापति चुनती है। इन्हें क्रमशः 'स्पीकर' और 'डिप्टी स्पीकर' कहा जाता है। जब ये व्यवस्थापक सभा के सदस्य न रहें तो इन्हें अपना पद छोड़ देना पड़ता है। ये गवर्नर को लिखित सूचना देकर अपने पद का त्याग कर सकते हैं, और व्यवस्थापक सभा के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पास किये हुए प्रस्ताव द्वारा अपने पदसे हटाये जा सकते हैं, हाँ ऐसे प्रस्ताव को उपस्थित करने की सूचना चौदह दिन पहले दी जानी चाहिये।

जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति, और उसका भी पद रिक्त होने की दशा में गवर्नर द्वारा नियुक्त किया हुआ सदस्य इस पद के कार्य का सम्पादन करता है। सभापति और उप-सभापति को प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाता है।

उपर्युक्त नियम (पद त्याग के विषय को छोड़ कर), जिस प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद् है, वहाँ उस परिषद् के लिये भी व्यवहार में आते हैं।

सभाओं के कुछ नियम—इन सभाओं में से प्रत्येक की बैठक में, एवं दोनों की संयुक्त बैठक में, पेश होने वाले प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत के अनुसार होता है। सभापति या उसके स्थान पर कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रथम मत देने का अधिकार नहीं होता; हाँ, जब किसी प्रश्न के पक्ष और

विषय में समान मत हों तो उपर्युक्त पदाधिकारी को अपना निर्णायक मत देना होता है।

ये सभाएँ अपने सदस्यों के कुछ स्थान रिक्त होने की दशा में भी, अपना कार्य कर सकती हैं। अगर किसी समय प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा की मीटिंग में कुल सदस्यों के छठे भाग से कम उपस्थित हों, या परिषद् की मीटिंग में दस सदस्यों से कम हों तो सभापति या उनके स्थान पर कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वह सभा की कार्यवाही को उस समय तक स्थगित कर दे जब तक कि उनकी ऊपर लिखी कमी दूर न हो जाय।

प्रत्येक सभा का हर एक सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व गवर्नर के सामने राजभक्ति की शपथ लेता है। कोई सदस्य दोनों सभाओं का सदस्य नहीं हो सकता। अगर किसी सभा का सदस्य, सभा की अनुमति बिना, साठ दिन तक सभा की सब बैठकों से अनुपस्थित रहे तो सभा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है।

प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल का कार्य क्षेत्र—
जिन विषयों के सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल कानून बना सकता है, वे संक्षेप में निम्न लिखित हैं:—

१—सार्वजनिक शांति (सेना छोड़कर), अदालतों का संगठन और फ़ीस (संघ न्यायालय छोड़कर)। २—संघ न्यायालय का छोड़ कर, अन्य न्यायालयों का इस सूची के विषयों के सम्बन्ध में निर्णय देने का अधिकार; माल की अदालतों की कार्य पद्धति। (३) पुलिस। (४) जेल। (५) प्रान्त का सार्वजनिक

ऋण । (६) प्रान्तीय सरकारी नौकरियाँ, नौकरी-कमीशन । (७) प्रान्तीय पेन्शन । (८) प्रान्तीय निर्माण कार्य, भूमि और इमारतें (९) सरकारों तौर से भूमि प्राप्त करना । (१०) पुस्तकालय तथा अजायबघर । (११) प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के चुनाव (१२) प्रान्तीय मन्त्रियों, तथा व्यवस्थापक सभाओं और परिषदों के सभापति, उपसभापति और सदस्यों का वेतन और भत्ता । (१३) स्थानीय स्वराज्य संस्थाएँ । (१४) सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई; अस्पताल, जन्म और मृत्यु का लेखा । (१५) तीर्थयात्रा । (१६) कृत्रिमान् । (१७) शिक्षा । (१८) सड़कें, पुल, घाट, और आवागमन के अन्य साधन (बड़ी रेलों को छोड़ कर) । (१९) जल-प्रबन्ध, आबपाशी, नहर, बांध, तालाब और जल से उत्पन्न होने वाली शक्ति । (२०) कृषि, कृषि-शिक्षा और अनुसन्धान, पशु-चिकित्सा तथा कांजी हाउस । (२१) भूमि, मालगुजारों और किसानों के पारस्परिक सम्बन्ध । (२२) जंगल । (२३) खान, तेल के कुओं का नियंत्रण, और खनिज उन्नति । (२४) मछलियों का व्यवसाय । (२५) जंगली पशुओं की रक्षा । (२६) गैस, और गैस के कारखाने । (२७) प्रान्त के अन्दर का व्यापार वाणिज्य, मेले तमाशे, साहूकारा और साहूकार । (२८) सराय । (२९) उद्योग धन्धों की उन्नति, माल की उत्पत्ति, पूर्ति और वितरण । (३०) खाद्य पदार्थों आदि में मिलावट; तोल और माप । (३१) शराब और अन्य मादक वस्तुओं सम्बन्धी क्रय विक्रय और व्यापार (अफीम की उत्पत्ति छोड़ कर) । (३२) गरीबों का कष्ट-निवारण, बेकारी । (३३) कारपोरेशनों का संगठन, संचालन और परि-समाप्ति; अन्य व्यापारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक आदि संस्थाएँ; सहकारी समितियाँ । (३४)

दान, और दान देने वाली संस्थाएँ । (३५) नाटक, थियेटर और सिनेमा । (३६) जुआ और सट्टा ; (३७) प्रान्तीय विषयों सम्बन्धी क़ानूनों के विरुद्ध हाने वाले अपराध । (३८) प्रांत के काम के लिये आंकड़े तैयार करना । (३९) भूमि का लगान, और मालगुजारी सम्बन्धी पैमायश । (४०) आबकारी, शराब, गांजा, अफीम आदि पर कर । (४१) कृषि सम्बन्धी आय पर कर । (४२) भूमि, इमारतों, पर कर । (४३) कृषि-भूमि के उत्तराधिकार सम्बन्धी कर । (४४) खनिज अधिकारों पर कर । (४५) व्यक्ति-कर । (४६) व्यापार, पेशे-धन्धे पर कर । (४७) पशुओं और किशतियों पर कर । (४८) माल की विक्री और विज्ञापनों पर कर । (४९) चुँगी । (५०) विलासिता की वस्तुओं पर कर; इस में दावत, मनोरंजन, जुए सट्टे पर का कर सम्मिलित है । (५१) स्टाम्प । (५२) प्रान्त के भीतर के जल-मार्गों में जाने वाले माल और यात्रियों पर कर । (५३) मार्ग-कर ('टोल') । (५४) अदालती फीस को छोड़ कर किसी प्रान्तीय विषय सम्बन्धी फीस ।

प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के अधिकारों की सीमा—गवर्नर-जनरल की पूर्ण स्वीकृति बिना प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल की सभा में कोई ऐसा प्रस्ताव या संशोधन उपस्थित नहीं किया जा सकता:—

(क) जो पार्लिमेंट के ब्रिटिश भारत सम्बन्धी किसी क़ानून को रद्द ('रिपील') या संशोधित करता हो, या जो उससे असंगत हो ।

(ख) जो गवर्नर-जनरल के किसी क़ानून या आर्डिनैस को रद्द या संशोधित करता हो, या उससे असंगत हो ।

(ग) जिसका प्रभाव किसी ऐसे विषय पर पड़ता हो, जो गवर्नर-जनरल को अपनी मर्जी से करना हो ।

(घ) जो योरपियन ब्रिटिश प्रजा सम्बन्धी फ़ौजदारी कार्य-पद्धति पर प्रभाव डालता हो ।

गवर्नर की पूर्व स्वीकृति बिना कोई ऐसा प्रस्ताव या संशोधन उपस्थित नहीं किया जा सकता:—

(१) जो गवर्नर के किसी क़ानून या आर्डिनैस को रद्द या संशोधित करता हो, या उससे असंगत हो ।

(२) जो पुलिस सम्बन्धी किसी क़ानून के प्रस्ताव का रद्द या संशोधित करता हो, या उसपर असर डालता हो ।

प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल को ऐसा क़ानून बनाने का अधिकार नहीं है, जिसका प्रभाव ब्रिटिश भारत या उसके किसी भाग के लिये पार्लिमेंट के क़ानून बनाने के अधिकार पर पड़े, या जिस का सम्बन्ध सम्राट् से, या भारत मंत्री के बनाये हुए नियमों से, या गवर्नर या गवर्नर-जनरल के अपनी मर्जी या व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार बनाये हुए नियमों से हो ।

नवीन विधान में इस बात की पूरी व्यवस्था की गयी है, कि इङ्ग्लैंड में बसे हुए ब्रिटिश प्रजाजनों के साथ भारतवर्ष में वैसा ही व्यवहार हो, जैसा भारतीय प्रजाजनों के साथ होता है, कोई भेद भाव मूलक क़ानून न बनाया जाय । उन्हें ब्रिटिश भारत में आने में कोई बाधा न हो, न उन्हें जन्म-स्थान, जाति, वंश, भाषा, निवास-स्थान आदि के आधार पर यहाँ यात्रा करने, सम्पत्ति प्राप्त करने और बेचने, सरकारी पद प्राप्त करने, या व्यापार अथवा उद्योग धंधा करने में कोई बाधा रहे ।

प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों का कार्य—प्रत्येक प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के तीन कार्य हैं:—(१) शासन कार्य की जाँच करने के लिये आवश्यक प्रश्न पूछना और प्रस्ताव करना, (२) क़ानून बनाना, और (३) सरकारी आय-व्यय निश्चित करना। अधिवेशन साधारणतः दिन के ग्यारह से पाँच बजे तक होते हैं। आरम्भ के पहले घंटों में प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं। सभाओं के अन्य कार्य के दो भाग होते हैं, सरकारी और गैर-सरकारी। गैर-सरकारी काम के लिये गवर्नर कुछ दिन निर्धारित कर देता है, अन्य दिनों में सरकारी कार्य होता है। सेक्रेटरी विचारणीय विषयों की सूची तैयार करता है, उसी के अनुसार कार्य हाता है; सभापति की अनुमति के बिना किसी नवीन विषय पर विचार नहीं किया जाता। सदस्यों का राजभक्ति की शपथ लेने के बाद परिषदों के कार्य में भाग लेने का अधिकार होता है। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर परिषद में विचार नहीं हो सकता; उनके अन्तिम निर्णय का अधिकार गवर्नर को है। सार्वजनिक महत्व के किसी खास विषय की बहस करने के लिये परिषद के अधिवेशन का कुछ शर्तों के साथ, मुलतवी करने का प्रस्ताव किया जा सकता है। काम प्रायः अंगरेज़ी में होता है, अंगरेज़ी न जानने वाले सदस्य अपने प्रान्त की प्रधान भाषा में भाषण कर सकते हैं।

प्रत्येक प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल को एक परिमित सीमा में यह अधिकार है कि वह अपने प्रान्त अथवा उसके किसी भाग की शान्ति अथवा सुप्रबन्ध के लिये सार्वजनिक महत्व का क़ानून बनावे, या अपने प्रान्त सम्बन्धी क़ानूनों का संशोधन करे। कुछ विषयों के क़ानून बनाने या उन पर

विचार करने के पूर्व, गवर्नर की, और कुछ विशेष दशाओं में गवर्नर-जनरल की, स्वीकृति ली जानी आवश्यक है ; यह पहले बताया जा चुका है ।

प्रश्न—मंडल का कोई सदस्य निर्धारित नियमों का पालन करते हुए अपने प्रान्त सम्बन्धी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पूछ सकता है । ऐसे विषयों के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, जिनका सम्बन्ध भारतवर्ष की किसी देशी रियासत से, या किसी विदेशी राज्य से हो, या जो अदालत में पेश हों । प्रश्न पूछने की सूचना कुछ समय पूर्व देनी पड़ती है । सभा में सरकारी सदस्य उन का उत्तर देते हैं । एक प्रश्न का उत्तर मिल चुकने पर कोई सदस्य ऐसा पूरक प्रश्न पूछ सकता है, जिससे पूर्व प्रश्न के विषय में कुछ प्रकाश पड़े ।

प्रस्ताव—व्यवस्थापक सभा का, और यदि उस प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद भी हो तो किसी भी सभा का, प्रत्येक सदस्य अपने प्रान्त सम्बन्धी कुछ सार्वजनिक विषय के प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है । प्रस्ताव उपस्थित करने की सूचना, सभा की बैठक होने के कुछ दिन पहले देनी हांती है । सब प्रस्ताव सिफारिश के रूप में होते हैं । यदि प्रस्ताव मंडल में स्वीकृत हां जाय तो उसकी नक़ल गवर्नर के पास भेजी जाती है । गवर्नर चाहे तो उसे स्वीकार कर सकता है, पर वह ऐसा करने के लिये बाध्य नहीं होता ।

जिन विषयों का सम्बन्ध किसी देशी रियासत या विदेशी राज्य से हो, अथवा जिन विषयों पर अदालत में विचार हो रहा हो, उन पर प्रस्ताव उपस्थित नहीं किये जा सकते ।

क़ानून कैसे बनते हैं ?—व्यवस्थापक सभा तथा परिषद् के प्रत्येक सदस्य का अधिकार है कि वह व्यवस्थापक सभा या परिषद् में विचारार्थ किसी ऐसे विषय का क़ानूनी मसविदा या 'बिल' उपस्थित करे, जिस पर परिषद् को विचार करने का अधिकार हो। सरकारी मसविदा सरकार का ऐसा सदस्य उपस्थित करता है, जिसका उससे सम्बन्ध हो। जब कोई मसविदा नियमानुसार उपस्थित हो चुकता है तो वह प्रायः एक विशेष कमेटी में भेजा जाता है। इस कमेटी का चेयरमेन वह सरकारी सदस्य होता है, जो इस विषय का अधिकार रखता हो। उसकी रिपोर्ट उस सभा में पेश की जाती है, जिसका कि उक्त प्रस्तावक, सदस्य हो। पश्चात् मसविदे के प्रत्येक वाक्यांश पर पृथक् पृथक् विचार किया जाता है। सर्व सम्मति या बहुमत द्वारा स्वीकृत होने पर मसविदा उस सभा में पास हुआ कहा जाता है।

यदि उस प्रान्त में दूसरी व्यवस्थापक सभा हो तो उपर्युक्त पहली सभा में पास हुआ मसविदा, दूसरी सभा में भेजा जाता है। जब यह इस सभा में भी उसी रूप में पास हो जाता है, या ऐसे संशोधनों सहित पास होजाता है, जिन्हें पहली सभा स्वीकार कर ले, तो यह मसविदा दोनों सभाओं में, अर्थात् व्यवस्थापक मंडल में पास हुआ कहा जाता है।

यदि कोई मसविदा जो व्यवस्थापक सभा में पास होगया है, और व्यवस्थापक परिषद् में भेज दिया गया है, परिषद् में आने के बारह महीने समाप्त होने तक गवर्नर की स्वीकृति के लिये न भेजा जाय तो गवर्नर उस पर विचार करने और मत लेने के लिये दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक करा सकता है। यदि गवर्नर

को यह प्रतीत हो कि मसविदा अर्थ सम्बन्धी है, अथवा ऐसे विषय सम्बन्धी है, जिसका प्रभाव उन कार्यों पर पड़ेगा जिनके विषय में उसे अपनी मर्जी या व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना है, तो वह बारह महिने से पूर्व भी सभाओं की संयुक्त बैठक करा सकता है। यदि दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में मसविदा (यदि कोई संशोधन दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृत हो तो उसके सहित), दोनों सभाओं के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पास होजाय तो वह दोनों सभाओं में पास हुआ समझा जाता है।

प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा, या जिस प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद भी है, दोनों सभाओं द्वारा पास किया हुआ मसविदा गवर्नर के सामने रखा जाता है। गवर्नर को यह अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से उसको सम्राट् की आर से स्वीकार करे, या अपनी स्वीकृति को रोकले, या उसे गवर्नर-जनरल के विचारार्थ रख छोड़े। गवर्नर को यह भी अधिकार है कि वह मसविदे को इस संदेश सहित लौटादे कि सभा या सभाएँ मसविदे या उसके किसी अंश पर पुनः विचार करें, विशेषतया उसके द्वारा सूचित संशोधनों को उपस्थित करने का विचार करें। इस पर सभा या सभाओं को उस मसविदे के सम्बन्ध में पुनः विचार करना पड़ता है।

प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा पास किया हुआ मसविदा, जब उसे गवर्नर स्वीकार करले और सम्राट् अस्वीकार न करे, कानून बन जाता है। यदि गवर्नर उक्त मसविदे को गवर्नर-जनरल या सम्राट् की स्वीकृति के लिये रख छोड़े तो क्रमशः इन की

स्वीकृति मिलने पर वह क़ानून बनता है। सम्राट् को अधिकार है कि वह चाहे जिस प्रान्तीय क़ानून को रद्द कर दे।

प्रान्तीय आय-व्यय सम्बन्धी नियम—फरवरी मास में गवर्नर प्रति वर्ष प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के सामने उस वर्ष के अनुमानित आय-व्यय का नक्शा उपस्थित कराता है। उसमें दो प्रकार की मद्धों की रक़में पृथक् पृथक् दिखायी जातो हैं :—(१) जिनपर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा का मत लिया जाता है, और (२) जिन पर मत नहीं लिया जाता। कर निर्धारण तथा व्यय के लिये माँग के प्रस्तावों पर व्यवस्थापक परिषद् का मत नहीं लिया जाता।

व्यय की निम्न लिखित मद्धों पर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा को मत देने का अधिकार नहीं है:—

(क) गवर्नर का वेतन और भत्ता, तथा उसके कार्यालय सम्बन्धी निर्धारित व्यय।

(ख) प्रान्तीय ऋण सम्बन्धी व्यय, सूद आदि।

(ग) मंत्रियों और ऐडवोकेट-जनरल का वेतन और भत्ता।

(घ) हाईकोर्ट के जजों का वेतन और भत्ता।

(च) 'पृथक्' क्षेत्रों के शासन सम्बन्धी व्यय।

(छ) अदालती निर्णयों के अनुसार होने वाला व्यय।

(ज) अन्य व्यय जो नवीन शासन विधान या किसी प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के क़ानून के अनुसार किया जाना आवश्यक हो। इसके अन्तर्गत उन सब कर्मचारियों के वेतन और भत्ते भी सम्मिलित हैं, जो भारत मंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, जैसे इंग्लिश सिविल सर्विस, या इंग्लिश पुलिस सर्विस आदि के कर्मचारी।

कोई प्रस्तावित व्यय उक्त मद्दों में से किसी में आता है, या नहीं, इसका निर्णय गवर्नर अपनी मर्जी से करता है। (क) को छोड़ कर शेष मद्दों पर व्यवस्थापक मंडल में वादानुवाद हो सकता है। उपर्युक्त (क) से (ज) तक की मद्दों को छोड़ कर अन्य मद्दों के खर्च पर व्यवस्थापक सभा का मत लिया जाता है। परन्तु यदि सभा किसी मद्द का खर्च स्वीकार न करे, या घटा कर स्वीकार करे, और इससे गवर्नर की सम्मति में उस के उत्तरदायित्व को पूरा करने में बाधा उपस्थित हो तो वह अपने विशेष अधिकार से, अस्वीकार की हुई या घटाई हुई माँग की पूर्ति कर सकता है। गवर्नर की इच्छा बिना मंत्री मंडल या व्यवस्थापक सभा किसी कार्य के लिये रुपया खर्च करना, कर लगाना या उधार लेना स्वीकार नहीं कर सकती।

बजट उपस्थित करते समय अर्थ मंत्री उस के सम्बन्ध में अपना भाषण देता है, पश्चात् अगले दिन सदस्य उस पर अपने विचार प्रकट करते हैं। इस के बाद जिस विभाग की आलोचना या शिकायत करनी हांती है, उस की मद्द में कटौती कर के कोई सदस्य उस के लिये एक रुपये की स्वीकृति सूचित करता है। ऐसी कटौतियों पर विचार हो चुकने के पश्चात् अन्य कटौतियों का विचार होकर, एक एक मद्द के खर्च की माँग की जाती है। बजट की बहस के लिये निश्चित किये हुए सप्ताह के अन्तिम दिन के पाँच बजे कटौतियों की समाप्ति ('गिलोटिन') हो जाती है, इसके बाद किसी कटौती पर बहस नहीं हांती। सदस्य के आग्रह पर कटौती की रकम पर मत लिये जाते हैं, और यदि वह स्वीकार हो जाय तो उस मद्द की रकम को उस में आवश्यक कमी करके मंजूर किया जाता है।

इस प्रकार उस दिन सारा शेष कार्य थोड़ी देर में ही निपटा लिया जाता है।

कार्य पद्धति के नियमों का निर्माण—शासन विधान के नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक सभा अपनी कार्य पद्धति के नियम बना सकती है। परन्तु उस के अध्यक्ष से परामर्श करके कुछ विषयों के नियम गवर्नर भी बना सकता है। जिस प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद् भी हो, उस में, गवर्नर दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक तथा पारस्परिक विचार विनिमय के नियम उन के सभापतियों का परामर्श लेकर बनाता है।

दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद् का अध्यक्ष सभापति होता है, और उसकी अनुपस्थिति में वह व्यक्ति सभापति का कार्य करता है जो कार्य पद्धति के नियमों के अनुसार निश्चित हो।

गवर्नर के क़ानून बनाने के अधिकार;—गवर्नर को आर्डिनैस बनाने का अधिकार (१) व्यवस्थापक मण्डल के अवकाश के समय में होता है, और (२) उसके कार्य काल में भी। जब किसी प्रान्त के व्यवस्थापक मण्डल का कार्यकाल न हो, यदि गवर्नर को यह निश्चय हो जाय कि तत्कालीन परिस्थिति में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह अपनी सम्मति के अनुसार आवश्यक आर्डिनैस बना सकता है।

इसी प्रकार प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के कार्य काल में भी, गवर्नर, जब कि वह अपने उत्तरदायित्व के विचार से आवश्यक समझे, निर्धारित काल के लिये वैसा ही क़ानून बना सकता है, जैसा कि मण्डल। अर्थात्, उसको कुछ विषयों में

मंडल के समान अधिकार प्राप्त हैं, और वह मंडल की इच्छा के विरुद्ध भी उनका अस्थायी रूप से प्रयोग कर सकता है।

यही नहीं, कुछ दशाओं में वह स्थायी रूप से भी क़ानून बना सकता है। इस प्रसङ्ग में, विधान में यह नियम है कि यदि गवर्नर को किसी समय यह निश्चय हो जाय कि उसके उत्तरदायित्व को पालन करने के लिये उसकी मर्जी से काम करने या उसके व्यक्तिगत निर्णय का उपयोग करने के सम्बन्ध में क़ानून से व्यवस्था होनी चाहिये तो वह सन्देश भेज कर सभा या सभाओं को तत्कालीन परिस्थिति का परिचय करायेगा, और वह या तो 'गवर्नर का क़ानून' बना देगा, या अपने संदेश के साथ प्रस्ताव का मसविदा लगा देगा। दूसरी दशा में, वह एक मास के बाद 'गवर्नर का क़ानून' बना देगा जो या तो उसी रूप में होगा जैसा कि उसने सभा या सभाओं में मसविदा भेजा था, या उसमें उसकी मर्जी के अनुसार आवश्यक संशोधन होंगे। हाँ, ऐसा करने से पूर्व यदि किसी सभा की ओर से उसे प्रस्ताव या संशोधन सम्बन्धी कोई निवेदन पत्र दिया गया तो वह उस पर विचार करेगा।

स्मरण रहे कि अब तक गवर्नरों को आर्डिनैस जारी करने, या क़ानून बनाने का अधिकार न था, यह अधिकार उन्हें नवीन शासन विधान से ही मिला है।

पृथक् या अंशतः पृथक् क्षेत्रों की व्यवस्था—इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार के प्रसंग में लिखा जा चुका है। प्रान्तीय (या केन्द्रीय) व्यवस्थापक मंडल का कोई क़ानून इन पर उस समय तक लागू नहीं होता, जब तक कि गवर्नर

सार्वजनिक सूचना द्वारा ऐसी हिदायत न करे। गवर्नर किसी क़ानून के सम्बन्ध में ऐसी हिदायत देते हुए यह सूचित कर सकता है कि क़ानून या उसका कोई निर्दिष्ट भाग अमुक अपवादों या परिघर्तनों सहित लागू होगा। गवर्नर इन क्षेत्रों के लिये नियम बना सकता है, और उसके नियम उन क़ानूनों को रह या संशोधित कर सकते हैं, जो इन क्षेत्रों सम्बन्धी हों। ये नियम गवर्नर-जनरल के सामने उपस्थित किये जायेंगे, और उसकी स्वीकृति होने तक इन पर कोई अमल न होगा।

विधानात्मक शासन न चलने पर कार्य में लाये जाने वाले नियम; गवर्नर की घोषणा—यदि किसी समय गवर्नर को यह निश्चय हो जाय कि तत्कालीन परिस्थिति में प्रांतीय शासन कार्य इस विधान के अनुसार नहीं चल सकता तो वह घोषणा निकाल कर सूचित कर सकता है कि (क) अमुक कार्य वह स्वयं अपनी मर्जी से करेगा, (ख) प्रांतीय संस्था या अधिकारियों के सब या कुछ अधिकारों का वह स्वयं उपयोग करेगा। इस घोषणा में इसको व्यवहृत करने के उपयोगी आवश्यक नियमों का उल्लेख किया जा सकता है। हाँ, गवर्नर हाईकोर्ट के अधिकार नहीं ले सकता, और न इस न्यायालय सम्बन्धी, नवीन शासन विधान के किसी नियम को स्थगित कर सकता है।

आठवाँ पाठ भारत सरकार

—:०:—

पाठको ! इस पुस्तक के छठे पाठ में, तुम्हें यह मालूम हो गया है कि ब्रिटिश भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों का शासन किस प्रकार होता है। अब इस पाठ में तुम्हें यह बताया जायगा कि भारत सरकार या 'गवर्नमेन्ट आफ़ इण्डिया' किसे कहते हैं, और वह क्या क्या कार्य करती है।

भारत सरकार का अर्थ है, कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल, ('गवर्नर, जनरल-इन-कौंसिल') स्मरण रहे कि यहाँ कौंसिल से मतलब गवर्नर जनरल की प्रबन्धकारिणी सभा है, व्यवस्थापक नहीं।

गवर्नर-जनरल या वाइसराय—गवर्नर-जनरल, भारत सरकार का सब से महत्व पूर्ण अंग है, और उसे उसके अन्य पदाधिकारियों की अपेक्षा विशेष अधिकार हैं। वह ब्रिटिश भारत के प्रान्तीय शासन की निगरानी करता है, और सब गवर्नरों (तथा चीफ़ कमिश्नरों) से ऊपर है, इसलिये वह गवर्नर-जनरल कहलाता है। वह सम्राट् के प्रतिनिधि की हैसियत से देशी राज्यों में जाता है, सभा या दरबार करता है, और घोषणा-पत्र आदि निकालता है, इसलिये वह वायसराय कहलाता है। 'वायसराय' का अर्थ बादशाह का प्रतिनिधि है। साधारण व्यवहार में 'गवर्नर-जनरल' और 'वायसराय' शब्दों में कोई

भेद नहीं माना जाता । अपने प्रधान मन्त्री की सिफारिश से सम्राट् किसी योग्य, अनुभवी, एवं साधारणतः 'लार्ड' उपाधि-प्राप्त व्यक्ति को गवर्नर-जनरल नियत करता है । इसकी अवधि प्रायः पाँच साल की होती है, परन्तु यह समय सुभीते के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है । इसका वार्षिक वेतन २,५०,८०० रुपये हैं, इसके अतिरिक्त उसे बहुत सा भत्ता आदि मिलता है, जिससे वह अपने पद का कार्य सुविधा और मान-मर्यादा पूर्वक कर सके, अर्थात् उसकी शान शौकत भली भाँति बनी रहे ।

गवर्नर-जनरल के अधिकार—अपनी प्रबन्धकारिणी सभा की अनुपस्थिति में गवर्नर-जनरल, किसी प्रान्तीय सरकार या किसी पदाधिकारी के नाम, स्वयं कोई आज्ञा निकाल सकता है । आवश्यकता होने पर वह ब्रिटिश भारत या उसके किसी भाग की शान्ति और सुशासन के लिए छः महीने के वास्ते अस्थायी क़ानून (आर्डिनैस) बना सकता है । यदि वह चाहे तो किसी आदमी को, जिसे किसी अदालत ने फ़ौजदारी के मामले में अपराधी ठहराया हो, बिना किसी शर्त के, या कुछ शर्त लगाकर, क्षमा कर सकता है । उसे (१) भारत सरकार, (२) भारतीय व्यवस्थापक मंडल, (३) प्रान्तीय सरकारों, (४) प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों, और (५) नरेन्द्र मंडल के सम्बन्ध में विविध अधिकार हैं ।

इस पाठ में उसके भारत सरकार सम्बन्धी अधिकारों का ही वर्णन किया जायगा । उसके अन्य अधिकारों का उल्लेख दूसरे पाठों में प्रसंगानुसार किया गया है । यहाँ हमें पहले यह बतलाना है कि गवर्नर-जनरल की कौंसिल का संगठन कैसा है ।

गवर्नर-जनरल की कौंसिल-गवर्नर-जनरल की कौंसिल अर्थात् प्रबन्धकारिणी सभा में इस समय स्वयं गवर्नर-जनरल के अतिरिक्त छः सदस्य हैं। सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घट बढ़ सकती है। हाँ, कम से कम तीन सदस्य ऐसे होने चाहिये जिन्होंने भारतवर्ष में दस वर्ष भारत सरकार की नौकरी की हो। कानूनी योग्यता के लिये एक सदस्य हाईकोर्ट का ऐसा वकील, अथवा इंगलैंड या आयरलैंड का ऐसा बैरिस्टर, होना चाहिये जिसने दस वर्ष वकालत (प्राैक्टिस) की हो। इस तरह का कोई नियम नहीं है कि इस सभा में हिन्दुस्थानियों की अमुक संख्या रहे, इस समय तीन सदस्य हिंदुस्तानी होते हैं। सदस्य, सम्राट् की अनुमति से पाँच वर्ष के लिये नियुक्त किये जाते हैं।

उपर्युक्त छः सदस्यों में से प्रत्येक को भारत सरकार के एक एक विभाग का कार्य सुपुर्द रहता है। इन विभागों का नाम तथा कार्य-क्षेत्र आवश्यकतानुसार समय समय पर बदलता रहता है। वर्तमान अवस्था में ये विभाग (१) अर्थ या 'फ़ाइनेंस' (२) स्वदेश या 'होम' (३) क़ानून (४) उद्योग तथा श्रम, (५) शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि, तथा (६) रेल और वाणिज्य विभाग हैं।* इनके अतिरिक्त, भारत सरकार के दो विभाग और होते हैं, विदेश विभाग, और सेना विभाग। विदेश विभाग स्वयं गवर्नर-जनरल के अधीन होता है, और सेना विभाग पर जंगी लाट अर्थात् 'कमांडरन चीफ़' का प्रभुत्व रहता है। अगर जंगी लाट

* रेलों के लिए पृथक् व्यवस्था हो रही है; अन्य विभागों के नाम और कार्य-क्षेत्र में भी शीघ्र परिवर्तन होने की सम्भावना है।

गवर्नर-जनरल की प्रबन्धकारिणी सभा का सदस्य हो, तो सभा में उसका पद और स्थान गवर्नर-जनरल से दूसरे दर्जे पर होता है।

सेक्रेटरी तथा अन्य पदाधिकारी—प्रबन्धकारिणी सभा के प्रत्येक सदस्य का सहायता देने के लिए उपर्युक्त प्रत्येक विभाग में एक सेक्रेटरी, एक डिप्टी सेक्रेटरी, कई एसिस्टेंट सेक्रेटरी तथा कुछ क्लर्क आदि रहते हैं। ये प्रायः भारतीय सिविल सर्विस के होते हैं, परन्तु गवर्नर-जनरल चाहे तो कुछ सेक्रेटरियों को भारतीय व्यवस्थापक सभा के निर्वाचित अथवा नामजद, सरकारी या गैर-सरकारी सदस्यों में से नियुक्त कर सकता है। ऐसे सेक्रेटरियों को कौंसिल-सेक्रेटरी कहते हैं। इनका पद उस समय तक बना रहता है जब तक गवर्नर-जनरल चाहता है। इन का वेतन भारतीय व्यवस्थापक सभा निश्चय करती है। सेक्रेटरी अपने विभाग के दफ्तर का संभालता है, और सभा की बैठक में उपस्थित होता है।

सब सेक्रेटरियों का एक विशाल कार्यालय देहली में है ; परन्तु भारत सरकार का सदर मुकाम (हैडक्वार्टर) सर्दी में देहली रहने के अतिरिक्त, गर्मी के दिनों में शिमला रहता है। इस लिये सेक्रेटरियों को आवश्यकतानुसार देहली या शिमले में रहना होता है।

भारत सरकार के अधीन डाइरेक्टर-जनरल और इन्स्पेक्टर-जनरल आदि कुछ और भी अधिकारी होते हैं। इनका काम यह है कि भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारों के विविध विभागों के कार्य की निगरानी रखें और उन्हें यथाचित परामर्श दें।

प्रबन्धकारिणी सभा के अधिवेशन—इस सभा का अधिवेशन प्रायः प्रति सप्ताह होता है। उसमें उन विषयों पर विचार होता है जिन पर गवर्नर-जनरल विचार करवाना, अथवा जिन पर कोई सदस्य सभा का निर्णय लेना, चाहें। अधिवेशन में सभापति स्वयं गवर्नर-जनरल अथवा उसका नियत किया हुआ कोई सदस्य होता है।

काम करने का ढंग—जब किसी विभाग सम्बन्धी कोई विचारणीय प्रश्न उठता है, तो उस विभाग का सेक्रेटरी उसका मसविदा तैयार करके गवर्नर-जनरल या उस सदस्य के सामने पेश करता है जिसके अधीन उक्त विभाग है। साधारणतया सदस्य उस पर जो निर्णय करता है वही अन्तिम फैसला समझा जाता है। परन्तु यदि प्रश्न विवाद-ग्रस्त हो या उसमें सरकारी नीति की बात आती हो तो सेक्रेटरी का तैयार किया हुआ मसविदा सभा में पेश होता है। सभा के निर्णय का सेक्रेटरी प्रकाशित करता है। सभा के साधारण अधिवेशनों में, मत भेद वाले प्रश्नों के विषय में, बहुमत से काम करना पड़ता है। यदि दोनों पक्ष समान हों तो जिस तरफ गवर्नर-जनरल (सभापति) मत प्रकट करे, उसी पक्ष के हक में फैसला होता है। मगर गवर्नर-जनरल को इस बात का अधिकार रहता है कि यदि उसकी समझ में सभा का निर्णय देश के लिए हितकर न हो, तो सभा के बहुमत की भी उपेक्षा कर, वह अपनी सम्मति के अनुसार कार्य कर सकता है।

गवर्नर-जनरल आदि का अवकाश तथा अनु-पस्थिति—भारतमन्त्री गवर्नर-जनरल को, और कौंसिल-युक्त

गवर्नर-जनरल की सिफारिश पर कमांडरन-चीफ को, उनके कार्य-काल में एक बार चार मास तक की छुट्टी, सार्वजनिक हित के कारण, या स्वास्थ्य अथवा व्यक्तिगत कारण दे सकता है । और, कौंसिलयुक्त गवर्नर-जनरल, कमांडरन-चीफ को छोड़कर कौंसिल के अन्य सदस्यों को उनके कार्य काल में एक बार चार मास तक की छुट्टी स्वास्थ्य अथवा व्यक्तिगत कारण दे सकता है । इस छुट्टी के समय में, उक्त पदाधिकारियों को निर्धारित भत्ता मिलता है । गवर्नर-जनरल और कमांडरन-चीफ को तो, उक्त भत्ते के अतिरिक्त, सफर खर्च सम्बन्धी इतना भत्ता और भी मिलता है जितना भारत मंत्री उचित समझे । गवर्नर-जनरल और कमांडरन-चीफ के स्थानापन्न व्यक्ति की व्यवस्था सम्राट् की अनुमति से होती है ।

यदि गवर्नर-जनरल का पद रिक्त होते समय उसका उत्तराधिकारी भारतवर्ष में न हो, तो मद्रास, बम्बई या बंगाल के गवर्नरों में से जिसकी नियुक्ति सम्राट् द्वारा पहले हुई हो, वह गवर्नर-जनरल का कार्य करता है ।

अगर कमांडरन-चीफ को त्नाड़ कर प्रबन्धकारिणी कौंसिल के किसी अन्य मेम्बर का स्थान खाली हो जाय, और उसका कोई उत्तराधिकारी विद्यमान न हो तो सकौंसिल गवर्नर-जनरल अस्थायी नियुक्ति करके उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकता है ।

भारत सरकार का कार्य—शासन सम्बन्धी विषयों के दो भाग हैं—(१) अखिल भारतवर्षीय या केन्द्रीय विषय, और (२) प्रान्तीय विषय । इसी वर्गीकरण के आधार पर, भारत

सरकार (केन्द्रीय सरकार) और प्रान्तीय सरकारों के कार्यों तथा उनकी आय के स्रोतों का निश्चय किया गया है । भारत सरकार पर केन्द्रीय विषयों का उत्तरदायित्व है । इसके अतिरिक्त वह प्रान्तों के काम को देख-भाल करती है । प्रान्तीय विषयों का वर्णन प्रान्तीय सरकार के पाठ में हो चुका है ; केन्द्रीय विषय यहाँ बतलाये जाते हैं ।

मुख्य मुख्य केन्द्रीय विषय—संक्षेप में, भारतवर्ष में मुख्य मुख्य केन्द्रीय विषय यह हैं :—

(१) देश रक्षा; भारतीय सेना तथा हवाई जहाज़, (२) विदेशों तथा विदेशियों से सम्बन्ध (३) वंशी रियासतों से सम्बन्ध । (४) राजनैतिक खर्च, (५) बड़े बन्दरगाह, (६) डाक, तार, टेलीफ़ोन और बतार के तार, (७) आयात-निर्यात कर, नमक, और अखिल भारतवर्षीय आय के अन्य साधन, (८) सिक्का, नोट आदि, (९) भारतवर्ष का सरकारी ऋण, (१०) सेविंग बैंक, (११) भारतीय हिस्सा परीक्षक विभाग, (१२) दोषानी और फ़ौजदारी क़ानून तथा उनके कार्य विधान, (१३) व्यापार, बैंक और बीमे का काम, (१४) तिजारती कम्पनियाँ और समितियाँ, (१५) अफ़ीम आदि पदार्थों की पैदावार, खपत और निर्यात का नियंत्रण, (१६) कापी राइट [किताब आदि छापने का पूर्ण अधिकार], (१७) ब्रिटिश भारत में आना, अथवा यहाँ से विदेश जाना, (१८) केन्द्रीय पुलिस का संगठन, (१९) हथियार और युद्ध-सामग्री का नियंत्रण, (२०) मनुष्य गणना और आंकड़े या स्टैटिस्टिक्स, (२१) अखिल भारतवर्षीय नौकरियाँ, (२२) प्रान्तों की सीमा, और (२३) मज़दूरों का सम्बन्ध नियंत्रण ।

भारत सरकार के अधिकार—भारत सरकार का ब्रिटिश भारत के शासन तथा सेना प्रबन्ध के निरीक्षण, तथा नियंत्रण का अधिकार है। वह कौंसिल-युक्त भारत मंत्री के नाम से ब्रिटिश भारत का किसी सम्पत्ति को बेच सकती है। प्रान्तीय सरकारों को उसकी आज्ञाएँ माननी होती हैं, वह प्रान्तों की सीमा नियत कर सकती है तथा बदल सकती है। प्रान्तीय सरकारों के निवेदन पर वह ब्रिटिश भारत के किसी हिस्से की शान्ति और सुशासन के लिये नियम बना सकती है। वह हार्डकोर्टों का अधिकार-क्षेत्र बदल सकती है, और दो साल तक के लिये जज नियत कर सकती है। जिन बातों के लिये क़ानून में व्यवस्था न की हुई हो, उनके लिये वह भारत मंत्रों की स्वीकृति लेकर नियम बना सकती है। वह एशिया के राज्यों से सन्धि या समझौता कर सकती है। प्रान्तीय सरकारों तथा व्यवस्थापक परिषदों सम्बन्धी उसके अधिकारों का उल्लेख पिछले पाठों में हो चुका है। भारतीय व्यवस्थापक मंडल के सम्बन्ध में उसके जो अधिकार हैं, उनका वर्णन अगले पाठ में किया जायगा। सारांश यह है कि सम्राट् की प्रतिनिधि होने के कारण, भारत सरकार को सम्राट् की तरह के अधिकार प्राप्त हैं।

भारत सरकार अपने कार्यों के लिये ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी है, भारतीय जनता के प्रति नहीं। अगर गवर्नर-जनरल या उसकी प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य इंग्लैंड की सरकार से किसी बात में सहमत न हों तो या तो उन्हें (१) अपने मत को दबाना पड़ता है अथवा (२) त्यागपत्र देना होता है। त्यागपत्र देने की अवस्था में उनके उत्तराधिकारियों को ब्रिटिश सरकार की आज्ञानुसार कार्य करना होता है।

गवर्नर-जनरल तथा भारत सरकार को सब कार्य भारत-मंत्री के आदेश या परामर्श के अनुसार करने होते हैं। भारत-मंत्री के विषय में तुम आगे दसवें पाठ में पढ़ोगे।

भारत सरकार की राजधानी देहली है; गर्मी में सरकार शिमला चली जाती है।

—:#:—

नवाँ पाठ

भारतीय व्यवस्थापक मंडल

—:#:—

हम पहले बता चुके हैं कि भारतवर्ष के बड़े बड़े (गवर्नरों के) प्रान्तों में क़ानून बनाने के लिये प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल हैं। अब इस पाठ में हम यह बतलायेंगे कि छोटे प्रान्तों के लिये, तथा समस्त ब्रिटिश भारत के लिये क़ानून बनाने वाली संस्था— भारतीय व्यवस्थापक मंडल—का संगठन कैसा है, तथा उसके क्या नियमादि हैं।

भारतीय व्यवस्थापक मंडल कोई एक ही सभा नहीं है, इसकी दो सभाएँ हैं। (१) भारतीय व्यवस्थापक सभा या 'लेजिस्लेटिव एसेम्बली' और (२) राज्य परिषद् या 'कौंसिल-आफ-स्टेट'। दोनों को मिलाकर भारतीय व्यवस्थापक मंडल अर्थात् 'इंडियन लेजिस्लेचर' कहते हैं।

सिधाय कुछ खास हालतों के कोई क़ानून पास हुआ नहीं समझा जाता, जब तक उसे दोनों सभाएँ स्वीकार न कर लें। दोनों सभाएँ कुछ सदस्यों का स्थान ख़ाली रहने पर भी अपना कार्य कर सकती हैं।

सदस्य—गवर्नर-जनरल की प्रबन्धकारिणी सभा का हर एक सदस्य दोनों सभाओं में से किसी एक सभा का सदस्य नामजद किया जाता है। सदस्य वे ही व्यक्ति निर्वाचित अथवा नामजद हो सकते हैं, जो निर्वाचक हों। उनकी उम्र २५ वर्ष से कम न होनी चाहिये, तथा वे सरकारी नौकर न होने चाहिये। कोई व्यक्ति भारतीय व्यवस्थापक मंडल की दोनों सभाओं में से किसी एक का ही सदस्य हो सकता है। सदस्य बनने के लिए खड़े होने वाले उम्मेदवार को ५०० जमानत के रूप में जमा करने होते हैं, यदि उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र के कुल मतों में से आठवें हिस्से से कम मिलें, तो यह जमानत जप्त हो जाती है।

भारतीय व्यवस्थापक सभा—इस सभा के कुल सदस्यों की संख्या १४३ है, जिनमें से ४० नामजद हैं। नामजद सदस्यों में २६ से अधिक सरकारी नहीं हो सकते। कुल सदस्यों में कम से कम $\frac{1}{3}$ निर्वाचित होने चाहिये, और नामजद सदस्यों में कम से कम एक-तिहाई गैर-सरकारी होने चाहिये। भिन्न-भिन्न प्रान्तों के सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न है। उदाहरणवत् संयुक्त प्रान्त में ८ गैर-मुसलिम, ६ मुसलिम, १ योरपियन, १ जमींदार, निर्वाचित हैं, और १ सरकारी तथा १ गैर-सरकारी व्यक्ति नामजद हैं। मध्य प्रान्त में ३ गैर-मुसलिम, १ मुसलिम और १ जमींदार निर्वाचित है, और १ सरकारी व्यक्ति नामजद है। इस सभा के लिये निर्धारित योग्यता के गैर-मुसलमान, मुसलमान, सिख, योरपियन, जमींदार और भारतीय व्यापारियों के भिन्न भिन्न निर्वाचक संघ बनाये हुए हैं। निर्वाचक होने के लिये साम्प्रतिक योग्यता भिन्न भिन्न प्रान्तों में पृथक् पृथक् है। संयुक्तप्रान्त में (१८०) सालाना किराये के मकान में रहने वाला या

१५०) मालगुजारी देने वाला व्यक्ति निर्वाचक होता है। मध्य प्रान्त के विविध जिलों में मकान के किराये का परिमाण १८०) या २४०), और मालगुजारी का, ६०) से १५०) तक रखा गया है।

भारतीय व्यवस्थापक सभा के सदस्यों को एम० एल० ए० (M. L. A.) का पद रहता है। यह "मेम्बर लेजिस्लेटिव एसेम्बली" का संज्ञेय है। इस सभा के सभापति और उप-सभापति इसके ऐसे सदस्य होते हैं, जिन्हें यह चुनले और गवर्नर-जनरल पसन्द कर ले। इनका वेतन तथा सदस्यों का वेतन सभा द्वारा स्वीकृत होता है।

राज्य परिषद्—राज्य परिषद् में ६० सदस्य होते हैं। ३३ निर्वाचित, और सभापति को मिला कर २७ गवर्नर-जनरल द्वारा नामजद। नामजद सदस्यों में २० तक (अधिक नहीं) अधिकारियों में से हो सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रान्तों के निर्वाचित और नामजद सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न है। उदाहरणवत् मध्य प्रान्त बरार के कुल दो सदस्य होते हैं, वे दोनों साधारण निर्वाचक संघ से निर्वाचित होते हैं। संयुक्त प्रान्त के कुल सात सदस्य होते हैं :—३ गैर-मुसलिम, निर्वाचित, २ मुसलिम, निर्वाचित, १ सरकारी, नामजद और १ गैर-सरकारी, नामजद।

राज्य परिषद् का सभापति उसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस परिषद् के सदस्यों के नामों से पहले सम्मानार्थ 'माननीय' ('अनरेबल') शब्द लगाया जाता है। परिषद् का निर्वाचन प्रायः पाँच वर्ष में होता है। गवर्नर-जनरल इस समय को आवश्यकतानुसार घटा-बढ़ा सकता है।

भारतीय व्यवस्थापक सभा की तरह राज्य परिषद् के सदस्यों के चुनाव के लिये भिन्न भिन्न निर्वाचक संघ बनाये गये हैं।

भिन्न भिन्न प्रान्तों में निर्वाचक के लिये आय-कर या ज़मीन के लगान की सीमा अलग अलग है; उदाहरणार्थ, जो आदमी मद्रास और मध्यप्रान्त में २०,०००), संयुक्तप्रान्त में १०,०००), पंजाब में १५,०००), और बिहार-उड़ीसा में १२,५००) पर आय-कर देता हो, वही निर्वाचक हो सकता है।

इसी प्रकार मध्यप्रान्त में ऐसी ज़मीन का मालिक निर्वाचक होता है, जिसका सालाना लगान ३,०००) से कम न हो, संयुक्तप्रान्त में यह रकम ५,०००), पंजाब में ७,५००), और बिहार-उड़ीसा में १,२००) है।

कुछ प्रान्तों में मुसलमान निर्वाचकों के लिये आर्थिक योग्यता का परिमाण कुछ कम रखा है। तथापि यह स्पष्ट है कि इस परिषद् के लिये प्रायः बड़े बड़े ज़मींदारों और पूँजी वालों को ही निर्वाचन अधिकार प्राप्त है।

व्यवस्थापक मंडल का कार्य—भारतीय व्यवस्थापक मंडल के तीन कार्य हैं :—(१) शासन कार्य की जाँच करने के लिये आवश्यक प्रश्न पूछना और प्रस्ताव करना, (२) क़ानून बनाना, और (३) सरकारी आय व्यय निश्चित करना। स्मरण रहे कि यह मंडल कोई ऐसी संस्था नहीं है जो स्वतन्त्रता-पूर्वक क़ानून बना सके। उसके अधिकारों की सीमा बहुत परिमित है। जब तक पार्लिमेण्ट के पक्ष से स्पष्टतया ऐसा करने का अधिकार प्राप्त न हो, भारतीय व्यवस्थापक मंडल ऐसा क़ानून

नहीं बना सकता, जो पार्लियामेंट के भारतवर्ष की राज्य-पद्धति सम्बन्धी किसी एक या अधिकार पर, अथवा सम्राट् के आदेश पर प्रभाव डाले या उसे संशोधित करे।

भारतीय व्यवस्थापक मंडल की कार्य पद्धति के नियम उसी प्रकार के हैं, जैसे प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों के प्रसंग में पहले बताए जा चुके हैं। राज्य परिषद् में १५, और व्यवस्थापक सभा में २५ सदस्यों की उपस्थिति बिना कार्य आरम्भ नहीं हो सकता।

प्रश्न—व्यवस्थापक मंडल की सभाओं का कोई सदस्य निर्धारित नियमों का पालन करने हुए सार्वजनिक महत्व का प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न उन ही विषयों के हो सकते हैं, जिनके सम्बन्ध में प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकते हैं। जब एक प्रश्न का उत्तर मिल चुके तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है जिससे पूर्व प्रश्न के विषय के सम्बन्ध में अधिक प्रकाश पड़े। सभापति का अधिकार है कि कुछ दशाओं में वह किसी प्रश्न, उसके अंग, या पूरे प्रश्न के पूछे जाने की अनुमति न दे। किसी सरकारी विभाग के सदस्य से वही प्रश्न किये जा सकते हैं, जिनसे सरकारी तौर पर उसका सम्बन्ध हो; ऐसे प्रश्न पूछे जाने की सूचना कम से कम दस दिन पहले देनी होती है।

प्रस्ताव—व्यवस्थापक मंडल के प्रस्ताव केवल सिफारिश के रूप में होते हैं, वे भारत सरकार पर बाध्य नहीं होते। इस संस्था में निम्न लिखित विषयों के प्रस्ताव उपस्थित नहीं हो सकते :—विदेशी राज्यों या भारत के देशी राज्यों सम्बन्धी कोई विषय, और ऐसे विषय जो सम्राट् के अधिकार-गत किसी स्थान की अदालत में पेश हों।

कुछ विषयों के लिये गवर्नर-जनरल की पूर्ण स्वीकृति बिना, कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता। गवर्नर-जनरल किसी प्रस्ताव या उसके किसी अंश का उपस्थित होना, इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि उस विषय के उपस्थित किये जाने से, सार्वजनिक हित को हानि पहुँचेगी, अथवा, उपस्थित किया जाने वाला विषय भारत सरकार के कार्य-क्षेत्र का नहीं है।

भारतीय व्यवस्थापक सभा या राज्य परिषद् में प्रस्ताव दो प्रकार के होते हैं, (१) किसी आवश्यक विषय पर वादानुवाद करने के लिये सभा के साधारण कार्य को स्थगित करने के, और (२) भारत सरकार से किसी कार्य के करने की सिफारिश के। पहिले प्रकार का प्रस्ताव सभा के अधिवेशन में प्रश्नोत्तर के बाद ही, सेक्रेटरी को सूचना देकर, किया जा सकता है। सभापति इस प्रस्ताव को पढ़कर सुना देता है। यदि किसी सदस्य को प्रस्ताव करने की अनुमति देने में आपत्ति हो तो सभापति कहता है कि अनुमति देने के पक्ष वाले सदस्य खड़े हो जायँ। यदि राज्य परिषद् में १५, या व्यवस्थापक सभा में २५ सदस्य खड़े हो जायँ तो सभापति यह सूचित कर देता है कि अनुमति है, और ४ बजे या इससे पहले प्रस्ताव पर विचार होगा।

दूसरे प्रकार के प्रस्ताव के लिए प्रायः १५ दिन, और कुछ दशाओं में इससे अधिक समय, पहले सूचना देनी होती है। प्रस्ताव उपस्थित किया जाय या नहीं, इसका निर्णय सभापति करता है।

क़ानून किस प्रकार बनते हैं ?—जब किसी सभा का कोई सदस्य किसी क़ानून के मसविदे (बिल) को पेश करना चाहता है तो वह नियमानुसार उसकी सूचना देता है। यदि उसके पेश करने के लिये, नियम के अनुसार, पहले ही गवर्नर-जनरल की अनुमति लेनी आवश्यक हो तो वह मांगी जाती है। अनुमति मिल जाने पर, निश्चित किये हुए दिन, मसविदा सभा में पेश किया जाता है। उस समय पूरे मसविदे के सिद्धान्तों पर विचार होता है। यदि आवश्यकता हो तो मसविदा साधारणतया उसी सभा की (जिसका सदस्य मसविदा पेश करे) या दोनों सभाओं की, विशेष कमेटी* में विचारार्थ भेजा जाता है। यह कमेटी उसके सम्बन्ध में मंशोधन, परिवर्तन, या परिष्करण आदि करके अपनी रिपोर्ट देती है। पश्चात्, बिल के वाक्यांशों पर एक एक करके विचार किया जाता है और वे आवश्यक सुधार सहित पास किये जाते हैं। फिर सम्पूर्ण मसविदा, स्वीकृत मंशोधनों सहित, पाम करने का प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। यह प्रस्ताव पास हो जाने पर मसविदा

* इस कमेटी में सरकार का क़ानून सदस्य, मसविदे से सम्बन्ध रखने वाले विभाग का सदस्य, मसविदे को पेश करने वाला तथा तीन या अधिक अन्य सदस्य होते हैं।

हिन्दू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों से सम्बन्ध रखने वाले क़ानून के मसविदों पर विचार करने के लिये दो पृथक् पृथक् स्थायी समितियाँ हैं। इन समितियों में, अधिकांश में, उस उस जाति के ही सुधारक तथा कट्टर सदस्य होते हैं। उनके अतिरिक्त, इनमें उस विषय के क़ानूनी विशेषज्ञ भी सम्मिलित किये जाते हैं।

दूसरी सभा में भेजा जाता है। वहाँ पर फिर इसी क्रम के अनुसार विचार होता है। यदि मसविदा यहाँ बिना संशोधन के पास हो जाय तो उसे गवर्नर-जनरल की स्वीकृति के लिये भेज दिया जाता है; स्वीकृति मिल जाने पर वह क़ानून बन जाता है। अगर दूसरी सभा में मसविदा संशोधनों सहित पास हो तो उसे इस निवेदन सहित लौटाया जाता है कि पहली सभा उन संशोधनों पर सहमत हो जाय। संशोधनों पर फिर वही कार्रवाई, सूचना देने, विचार करने, स्वीकृति या अस्वीकृति का समाचार भेजने आदि की, की जाती है। अगर अन्त में मसविदा इस सूचना से लौटाया जाय कि दूसरी सभा ऐसे संशोधनों पर अनुरोध करती है, जिन्हें पहली सभा मानने को तैयार नहीं है तो वह सभा चाहे तो, (१) मसविदे को रोकदे, या (२) अपने सहमत न होने की रिपोर्ट गवर्नर-जनरल के पास भेज दे। दूसरी परिस्थिति में, मसविदा और संशोधन, दोनों सभाओं की ऐसी संयुक्त मीटिंग में पेश होंगे जो गवर्नर-जनरल अपनी इच्छानुसार करे। इसके अध्यक्ष राज्य परिषद् के सभापति होंगे। मसविदे और विचारणीय संशोधनों पर वादानुवाद होगा, जिन संशोधनों के पक्ष में बहुमत होगा, वे स्वीकृत समझे जायेंगे। इस प्रकार संशोधित मसविदा दोनों सभाओं से पास हुआ समझा जायगा।

गवर्नर-जनरल के अधिकार—गवर्नर-जनरल को यह अधिकार है कि वह राज्य परिषद् द्वारा निर्वाचित उसके किसी सदस्य को उसका सभापति नियुक्त करदे, अथवा खास हालतों में, किसी दूसरे सज्जन को सभापति का कार्य करने के लिये नियत करे। वह राज्य परिषद् तथा भारतीय व्यवस्थापक सभा

के सम्मुख भाषण कर सकता है, और इस कार्य के लिये उनके सदस्यों की मीटिंग करा सकता है। कई प्रकार के मसविदे उसकी अनुमति बिना, किसी सभा में पेश नहीं हो सकते। दोनों सभाओं में पास होने पर भी मसविदा उसकी स्वीकृति बिना क़ानून नहीं बनता।

जब कोई सभा किसी क़ानूनी मसविदे के उपस्थित किये जाने की अनुमति न दे, या गवर्नर-जनरल की इच्छानुसार पास न करे तो गवर्नर-जनरल का यह तमदीक़ करने का अधिकार है कि देश की शान्ति, सुरक्षा या हित की दृष्टि से इस मसविदे का पास होना आवश्यक है। उसके ऐसा कर देने पर, वह मसविदा क़ानून बन जायगा, चाहे कोई सभा उसे स्वीकार न करे।

भारतीय आय-व्यय और भारत सरकार—भारत सरकार के अनुमानित आय-व्यय का विवरण (बजट) प्रतिवर्ष भारतीय व्यवस्थापक मंडल के सामने रखा जाता है। गवर्नर-जनरल की सिफ़ारिश बिना, किसी काम में रुपया लगाने का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। निम्न लिखित व्यय की महीने के लिये कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल के प्रस्ताव व्यवस्थापक सभा के मत (वोट) के लिये नहीं रखे जाते, न सालाना विवरण के समय कोई सभा उन पर वादानुवाद कर सकती है, जब तक कि गवर्नर-जनरल इसके लिये आज्ञा न दे:—

(१) ऋण का मूद।

(२) ऐसा खर्च जिसकी रक़म क़ानून से निर्धारित हो।

(३) उन लोगों की पेंशन या तनखाहें, जो सम्राट् या भारत मन्त्री द्वारा, या सम्राट् की स्वीकृति से, नियुक्त किये गये हों । चीफ कमिश्नरों या जुडिशल कमिश्नरों का वेतन ।

(४) वह रकम जो सम्राट् को देशी राज्यों सम्बन्धी कार्य के खर्च के लिये दी जाने वाली हो ।

(५) किसी प्रान्त के पृथक् किये हुए ('एक्सक्लूडेड') क्षेत्रों* के शासन सम्बन्धी खर्च ।

(६) ऐसी रकम जो गवर्नर-जनरल उन कार्यों में खर्च करे, जिन्हें उसको अपनी मर्जी से करना आवश्यक हो ।

(७) वह खर्च, जिसे कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल ने धार्मिक, राजनैतिक, या रक्षा अर्थात् सेना सम्बन्धी ठहराया हो ।

इन मदों को छोड़ कर आय-व्यय के अन्य विषयों के खर्च के लिये कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल के अन्य प्रस्ताव भारतीय व्यवस्थापक सभा के मत के वास्ते, माँग के स्वरूप में, रखे जाते हैं । सभा को अधिकार है कि वह किसी माँग को स्वीकार करे या न करे, अथवा घटाकर स्वीकार करे, परन्तु कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल सभा के निश्चय को रह कर सकता है । वह ऐसे खर्च के लिये स्वीकृति भी दे सकता है जो उसकी सम्मति में देश की रक्षा या शान्ति के लिये आवश्यक हो ।

दसवाँ पाठ भारत मंत्री

—: * :—

पिछले पाठ से यह तो तुम्हें ज्ञात हो ही गया है कि ब्रिटिश पार्लिमेंट को भारत सरकार के कार्य का निरीक्षण तथा नियंत्रण करने का अधिकार है। पार्लिमेंट यह कार्य भारत मंत्री (तथा उसकी कौंसिल) के द्वारा करती है। पार्लिमेंट और भारत सरकार के बीच में भारत मंत्री मध्यस्थ की तरह है। इस पाठ में हम भारत मंत्री अर्थात् ('सेक्रेटरी-आफ-स्टेट फार इंडिया') तथा उसकी कौंसिल के बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें बतलायेंगे।

भारत मन्त्री के दो सहायक मंत्री होते हैं; एक स्थायी, और दूसरा पार्लिमेंट की उस सभा का सदस्य जिसमें, भारत मन्त्री न हो। भारत मंत्री के दफ्तर को 'इण्डिया आफिस' कहते हैं। यह इंग्लैंड की राजधानी लन्दन में है।

भारत मन्त्री और उसका कार्य—भारत मन्त्री को सम्राट्, अपने प्रधान मन्त्री के परामर्श से, नियत करता है। ब्रिटिश मन्त्री का मण्डल सदस्य होने के कारण, भारत मन्त्री की नियुक्ति और बरखास्तगी वहाँ के अन्य राजमंत्रियों के साथ लगी हुई है। वह पार्लिमेंट के सामने प्रति वर्ष मई महीने की पहली तारीख के बाद, जिस दिन पार्लिमेंट का अधिवेशन आरम्भ हो, उससे २८ दिन के भीतर, भारतवर्ष के आय-व्यय का हिसाब पेश करता है। उसी समय, वह इस बात की सविस्तर रिपोर्ट देता है कि गत

आलोचनीय वर्ष की नैतिक, सामाजिक तथा राजकीय उन्नति किस प्रकार अथवा कितनी हुई है। ब्रिटिश प्रतिनिधि सभा या 'हाउस-ऑफ-कॉमन्स' की एक कमेटी इस पर विचार करती है और भारत मंत्री या उसका प्रतिनिधि इसे समझाने के लिये व्याख्यान देता है। उस समय पार्लिमेंट के सदस्य भारतवर्ष के शासन सम्बन्धी विषयों पर आलोचना कर सकते हैं। इसे 'भारतीय बजट की बहस, कहते हैं।

समय समय पर पार्लिमेंट को भारत सम्बन्धी आवश्यक सूचना देते रहना भी भारत मंत्री का ही काम है। सम्राट् चाहे तो इसके द्वारा भारत सरकार के बनाये क़ानून को रद्द कर सकता है। भारतवर्ष के जंगी लाट (कमांडरन चीफ) बंगाल, बम्बई और मद्रास के गवर्नर, इनकी कौंसिलों के सदस्य, हाईकोर्ट के जज, तथा अन्य उच्च राजकर्मचारियों की नियुक्ति के लिये, यह सम्राट् को सम्मति देता है।

भारत मंत्री, भारतीय शासन के लिये पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदाता है। उसे भारतीय शासन—व्यवस्था के निरीक्षण और नियंत्रण के नियम बनाने का अधिकार है।

इंडिया कौंसिल—भारत मंत्री को शासन सम्बन्धी कार्य में सहायता या परामर्श देने वाली सभा 'इंडिया कौंसिल' कहलाती है। इसका अधिवेशन भारत मंत्री की आज्ञा से एक मास में एक बार होता है। इसका सभापति भारत मंत्री, अथवा उसका सहकारी मंत्री, या भारत मंत्री द्वारा नामज़द, कौंसिल का कोई सदस्य होता है। इस कौंसिल के सदस्यों को भारत मंत्री नियुक्त करता है। भारत मंत्री को कौंसिल में साधारण मत

('वाोट') देने के अतिरिक्त एक अधिक मत देने का भी अधिकार है । वह विशेष अवसरों पर इस कौंसिल के बहुमत बिना भी कार्य कर सकता है ।

भारत मंत्री 'इंडिया कौंसिल' की कुछ कमेटियाँ बना सकता है और यह आदेश कर सकता है कि उन कमेटियों के अधीन क्या क्या विभाग रहेंगे और कौंसिल का कार्य किस पद्धति से किया जायगा । साधारणतया भारतवर्ष को कोई आज्ञा या सूचना भेजने, अथवा गवर्नर-जनरल या प्रान्तीय सरकारों के साथ भारत मन्त्री का पत्र व्यवहार होने का ढंग कौंसिल-युक्त भारत मन्त्री द्वारा निश्चित किया जाता है ।

कौंसिल के सदस्य—इस कौंसिल के सदस्यों की संख्या ८ से १२ तक होती है । इनमें से आधे सदस्य वे ही हो सकते हैं जो भारतवर्ष में, भारत सरकार की नौकरी, कम से कम दस वर्ष तक कर चुके हों, और, जिन्हें वह नौकरी छोड़े पाँच वर्ष से अधिक न हुए हों । प्रत्येक सदस्य पाँच वर्ष के लिये चुना जाता है, विशेष कारण होने से उसका समय पाँच वर्ष और बढ़ाया जा सकता है । सदस्य किसी भी देश या धर्म का हो, इस बात का कोई बन्धन नहीं है । प्रायः तीन सदस्य हिन्दुस्तानी होते हैं । प्रत्येक सदस्य का मासिक वेतन १५०० रुपये हैं, भारतीय सदस्यों को ७५००० मासिक भत्ता और मिलता है । कौंसिल का कुछ खर्च ब्रिटिश कोष से दिया जाता है ।

सदस्यों के अधिकार—इंडिया कौंसिल के सदस्यों का काम यह है कि भारत मन्त्री को भारतीय विषयों में ज्ञान प्राप्त करावें । परन्तु सदस्य किसी विषय पर केवल अपनी सम्मति

प्रगट कर सकते हैं। भारत मन्त्री को अधिकार है कि उसे, कुछ विषयों को छोड़कर, माने या न माने। भारत मन्त्री को कोई इसके लिये बाध्य नहीं कर सकता। कौंसिल के सदस्य भारत-मन्त्री की आज्ञानुसार लंदन में भारतवर्ष सम्बन्धी काम करते हैं। इन सदस्यों को पार्लिमेंट में बैठने का अधिकार नहीं है, इन्हें इनके काम से हटाने का अधिकार पार्लिमेंट को ही है।

हाई कमिश्नर—यह अधिकारी पाँच वर्ष के लिये नियुक्त होता है। इसका वार्षिक वेतन तीन हजार पौंड है, जो भारतीय कोष से दिया जाता है। यह कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल के अधीन है और उसी के द्वारा भारत मन्त्री की अनुमति से नियुक्त किया जाता है। इसका काम है, ठेके देना, इंडिया आफिस का स्टोर्स विभाग, और इसी के सम्बन्ध की हिसाब की शाखा, भारतीय विद्यार्थियों की शाखा और भारतीय ट्रेड (व्यापार) कमिश्नर के कार्य का निरीक्षण।

ग्यारहवाँ पाठ

सरकारी आय-व्यय

— : * : —

प्रत्येक देश में सरकार विविध प्रकार के कार्य करती है, देश को बाहर के आक्रमण से बचाने के लिये सेना का प्रबन्ध करती है, भीतरी शान्ति तथा अपराधों के दमन के लिये पुलिस रखती है, शिक्षा प्रचार के लिये स्कूल खोलती है, लोगों के झगड़ों का निपटारा कराने के लिये न्यायालयों की स्थापना करती है। कहीं

कहों लोगों के धाने जानें तथा व्यापार करने के सुभीते के लिये सरकार रेल, तार, डाक आदि की सुव्यवस्था, तथा अन्य कार्य करती है। इन कामों के लिये प्रति वर्ष बहुत सा रुपया खर्च हाता है।

भारतवर्ष के सरकारी खर्च का हाल जानने के लिये यह स्मरण रखना चाहिये कि सरकारी साल अप्रैल महीने की पहली तारीख से आरम्भ होता है और ३१ मार्च को समाप्त होता है। इस प्रकार १ अप्रैल १९३५ से ३१ मार्च १९३६ तक, एक साल हुआ, इसे सन् १९३५-३६ ई० कहते हैं।

भारतवर्ष का सरकारी खर्च—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय विषयों के लिये खर्च करती है, और प्रान्तीय सरकारें प्रान्तीय विषयों के लिये कौन कौन से विषय केन्द्रीय हैं और कौन कौन से प्रान्तीय यह भारत सरकार के, और प्रान्तीय सरकार के पाठ में बताया जा चुका है। आगे दिये हुए नक्शे में, संक्षिप्त करने के अभिप्राय से, सब प्रान्तों का एक एक मद का खर्च इकट्ठा ही जोड़कर दे दिया गया है। विदित हो कि कुछ चीफ़ कमिश्नरों के प्रान्तों का (प्रान्तीय विषयों में किया गया) खर्च भी केन्द्रीय सरकार के हिसाब में शामिल है; कारण, इनका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार ही करती है। इस नक्शे से यह ज्ञात हो जायगा कि भारत सरकार और प्रान्तीय सरकार किस किस काम में कितना कितना रुपया खर्च करती हैं।

सरकारी व्यय (लाख रुपयों में)

सन् १९३४-३५ ई० का अनुमान

मह	केन्द्रीय सरकार	प्रान्तीय सरकार
रक्षा (१) सेना	४६,५८	...
शान्ति सुव्यवस्था { (२) कर वसूल करने का खर्च	४,०१	६ ०४
(३) पेन्शन	३,०८	२,४१
(४) शासन		११,०७
(५) न्याय, पुलिस और जेल		१६,०८
हितकारी कार्य { (६) शिक्षा	६,५६	११,६०
(७) स्वास्थ्य और चिकित्सा		६,११
(८) कृषि और उद्योग		२,६६
(९) सिविल निर्माण कार्य	२,०२	५,०६
जन { (१०) मुद्रा, टकसाल, विनिमय	६	...
(११) अन्य विभाग	...	७२
व्यवसायिक कार्य { (१२) रेल	३२,५८	..
(१३) डाक और तार	८४	...
(१४) जंगल	...	२,५५
(१५) आबपाशी	...	५,७३
(१६) विविध	१,२५	२,००
ऋण { (१७) ऋण का सुद	१३,३४	४,०८
योग	१,१६,६५	७६,४७

खर्च की मद्दों का व्यौरा—(१) सेना की मद् में स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना का व्यय है। केन्द्रीय सरकार का सब से अधिक खर्च इसी मद् में होता है। महायुद्ध से पूर्व यह खर्च ३२ करोड़ रुपये वार्षिक था। महायुद्ध के बाद यह बढ़ कर ७० करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया। तब इसे घटाने का विचार हुआ। इस खर्च की अधिकता के कारण भारतीय जनता पर कर-भार बहुत अधिक होने पर भी अन्य उपयोगी कार्यों के लिये धन की कमी रहती है। भारतीय नेताओं का मत है कि यहाँ सेना का संचालन और प्रबन्ध भारतवर्ष की आवश्यकता का विचार न कर साम्राज्य रक्षा के हेतु किया जा रहा है, तथा सेना में प्रत्येक अंगरेज सैनिक का खर्च भारतीय सैनिक की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। यहाँ सैनिक शिक्षा का समुचित प्रबन्ध होने से तथा भारतीय सैनिकों और अफसरों से ही काम लेने से सैनिक व्यय में बहुत कमी हो सकती है।

(२) कर वसूल करने के खर्च में आयात-निर्यात कर, आय-कर, मालगुजारी, स्टाम्प, रजिस्ट्री, अफ़ीम, नमक, और आवश्यक आदि विभागों के खर्च के अतिरिक्त, अफ़ीम और नमक तैयार करने का खर्च भी सम्मिलित है।

(३) इस मद् में सिविल कर्मचारियों का दी जाने वाली पेंशनों का खर्च शामिल है।

(४), (५), (६), (७) और (८) मद् स्पष्ट हैं।

(९) इस मद् में सरकारी इमारतें और सड़कें बनवाने तथा उनकी मरम्मत आदि करवाने का खर्च शामिल है।

(१०) यह मद् स्पष्ट है।

(११) अन्य विभाग में विज्ञान सम्बन्धी तथा बन्दरगाहों आदि का खर्च शामिल है ।

(१२), (१३), (१४) और (१५) में क्रमशः रेल, डाक और तार, जङ्गलों, और नहरों में लगायी हुई पूँजी का सूद शामिल है ।

(१६) विविध व्यय में अकाल-पीड़ितों की सहायता, स्टेशनरी और क़र्पाई का खर्च शामिल है ।

(१७) डाकखानों के सेविंग बैंकों या प्रोविडेंट फण्ड के अस्थायी ऋण के अतिरिक्त, भारत सरकार यहाँ के सरकारी (पब्लिक) ऋण पर सूद देती है । इस ऋण की मात्रा सन् १९३५ ई० में १२३६ करोड़ रुपये थी । इसमें से १०३३ करोड़ का ऋण पेसा है, जिसके बदले में किसी न किसी प्रकार की सम्पत्ति है । ७५७ करोड़ रुपये तो रेलों में ही लगे हुए हैं । इसका सूद रेल की मद में दिखाया जाता है; यह सन् १९३५ ई० में ३३ करोड़ रुपये था । रेल और नहर आदि की रकम को छोड़ कर शेष रकम का सूद ऋण के सूद की मद में दिखाया जाता है ।

अब तुम्हें यह मालूम हो गया कि सरकार प्रति वर्ष बहुत सा रुपया खर्च करती है । अच्छा, यह रुपया कहाँ से आता है ? यह रुपया लोगों पर कर या टेक्स लगाकर वसूल किया जाता है । परन्तु, कर किस हिसाब से लगाये जाते हैं, उनके लगाने के सिद्धान्त क्या हैं ?

कर सम्बन्धी सिद्धान्त—भिन्न भिन्न लेखकों ने, कर लगाने के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त स्थिर किये हैं, उनका आशय संक्षेप में इस प्रकार है :—

१—कर, प्रत्येक व्यक्ति की सामर्थ्य के अनुसार लगाये जाने चाहिये, अर्थात् इस प्रकार लगाये जाने चाहियें कि उनका बोझ सब पर बराबर पड़े ।

२—कर-दाता को कर की मात्रा तथा उसे देने का समय निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिये, जिससे उसको देने में सुविधा हो और कोई उससे अधिक न ले सके ।

३—प्रत्येक कर ऐसे समय में और ऐसी रीति से वसूल किया जाना चाहिये कि कर-दाता को बहुत सुभीता हो ।

४—कर वे ही लगाये जाने चाहिये, जिनके वसूल करने में खर्च तथा परिश्रम कम पड़े ।

५—निर्धन आदमियों से, जिन की आय केवल उनके निर्वाह के लिये ही काफ़ी है, या उससे भी कम है, कोई कर न लिया जाना चाहिये । उन पदार्थों पर यथा-सम्भव कर न लगाना चाहिये, जो दरिद्र लोगों के व्यवहार में आते हैं, जो जीवन-रत्नक है । इसके विपरीत, विलासिता या शौकीनी की चीजों पर भारी कर लगाना भी उचित है ।

६—कर निर्धारित करने में देश के आदमियों के प्रतिनिधियों का यथेष्ट भाग रहना चाहिये । यथा-सम्भव उनकी इच्छा के विरुद्ध न तो कोई कर लगाया जाना चाहिये, और न करों से होने वाली आय का कोई भाग व्यय किया जाना चाहिये ।

यथा-शक्ति इन सिद्धान्तों के अनुसार, प्रत्येक सभ्य सरकार को, कर निर्धारित करने चाहिये । अब हम यह बतलाते हैं कि कर कितने प्रकार के होते हैं और उनके लगाने के क्या उद्देश्य होते हैं ।

प्रत्यक्ष और परोक्ष कर—कर दो प्रकार के होते हैं:—
 प्रत्यक्ष और परोक्ष । प्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं जिसका भार उस आदमी (या संस्था) पर पड़ता है, जिस पर वह लगाया जाता है । यह कर देते समय कर-दाता यह भली भाँति जान लेता है, कि वह कितना कर किस रूप में सरकार को देता है । उदाहरण के लिये आय-कर या इनकम टैक्स लोगों की आमदनी पर लगता है, यह प्रत्यक्ष कर है ।

परोक्ष कर उस कर को कहते हैं जिसको चुकाने वाला उस का भार औरों पर डाल देता है । उदाहरणवत्, व्यापारी माल की आयात या निर्यात पर जो महसूल देते हैं, उसे वे माल बेचने के समय अपने ग्राहकों से वसूल कर लेते हैं; यह परोक्ष कर है ।

प्रत्यक्ष कर लोगों को बहुत अखरते हैं, परन्तु परोक्ष करों की भरमार भी बहुत हानिकारक होती है ।

करों का, व्यापार और उद्योग धंधों से सम्बन्ध—
 करों से सरकार को आमदनी तो होती ही है । इसके सिवाय कर लगाने का एक और उद्देश भी हो सकता है, वह है व्यापार का नियंत्रण, तथा स्वदेशी उद्योग धन्धों की उन्नति । जो चीज़ विदेशों से सस्ते भाव में आती है, उस पर यदि भारी कर लग जाय तो वह यहाँ की बनी चीज़ों से मँहगी हो सकती है, फिर वह बाजारों में बहुत कम बिकेगी और स्वदेशी वस्तु बनाने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा । इसी प्रकार, कल्पना करो कि कुछ व्यापारी यहाँ से बाहर अन्न या रुई आदि कच्चे पदार्थ भेजते हैं । उन्हें इन चीज़ों के वहाँ अच्छे दाम मिलते हैं और वे इनकी निर्यात से लाभ उठाना चाहते हैं । अब यदि सरकार इन वस्तुओं पर

ऐसा भारी कर लगादे कि ये विदेशियों के लिये वहाँ की अपेक्षा सस्ती न रहें, और वे उन्हें माल न लें, तो भारतीय व्यापारियों को इन वस्तुओं को निर्यात करने की आवश्यकता न रहे। निस्संदेह इससे उन्हें लाभ होना रुक जायगा, परन्तु सर्व साधारण के लिये ये चीज़ सस्ती हो जायँगी, उन्हें खाने पीने की कमी न रहेगी तथा कारखानों में माल तैयार करने के लिये कच्चे सामान लेने का बहुत सुभीता हो जायगा।

इस प्रकार करों का विषय बहुत महत्व का है।

भारतवर्ष में कर लगाने वाली संस्थाएँ—भारतवर्ष में जनता पर टैक्स लगाने का अधिकार निम्न लिखित तीन संस्थाओं को है:—

१—भारत सरकार को,

२—प्रान्तीय सरकारों को,

३—स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं अर्थात् म्युनिसिपैलिटी, ज़िला-बोर्ड और पंचायतों को।

उपर्युक्त तीनों प्रकार की संस्थाएँ यहाँ प्रति वर्ष लगभग सवा दो सौ करोड़ रुपये वसूल करती हैं। इनमें से प्रथम दो की आय के विषय में, इस पाठ में विचार किया जायगा; तीसरी प्रकार की संस्थाओं का वर्णन पहले किया जा चुका है।

सरकारी आय—आगे दिये हुए नक्शे से वह ज्ञात हो जायगा कि भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारों की आय की मुख्य मुख्य मद्दें कौन कौन सी हैं, तथा उन्हें किस किस कर से कितनी कितनी आय होती है।

सरकारी आय (लाख रुपयों में)

सन् १९३४-३५ ई० का अनुमान

मह		केन्द्रीय सरकार	प्रान्तीय सरकार
प्रत्यक्ष कर	(१) आय कर	१७,२५	
	(२) मालगुजारी	...	३३,८८
परिचय कर	(३) आयात-निर्यात कर	४७,७६	...
	(४) नमक	८,७३	...
	(५) अफ्रीम	६५	...
	(६) आवकारी	...	१४,४७
	(७) अन्य कर	१,८२	४१
	(८) स्टाम्प	...	११,६६
प्रीति	(९) रजिस्टरी	...	१,११
	(१०) न्याय पुलिस जेल		१,७०
	(११) शिक्षा स्वाध्यादि	७८	३,३१
	(१२) सिविल निर्माण कार्य	२४	१,५४
	(१३) मुद्रा टकसाल विनियम	१,२७	...
व्यवसायिक आय	(१४) रेल	३२,५८	...
	(१५) डाक तार	७०	...
	(१६) जंगल	...	३,०५
	(१७) आवपाशी	...	६,८७
अन्य आय	(१८) सैनिक आय	५,२०	...
	(१९) सूद की आय	१,८६	२,११
	(२०) विविध	५७	८६
योग		१,१६,११	८१,३३

अब हम आय की मुख्य मुख्य मही के बारे में कुछ आवश्यक बातों पर विचार करते हैं:—

(१) आय कर—यह प्रत्यक्ष कर है, अर्थात् जिससे यह लिया जाता है, वह इसका भार दूसरों पर नहीं डाल सकता । यह समझा गया है कि लगभग दो हजार रुपये सालाना की आमदनी एक परिवार के निर्वाह के लिये अत्यन्त आवश्यक होती है, इसलिये इससे कम पर आय कर नहीं लिया जाता । यह कर दो हजार रुपये की आय से आरम्भ होता है । पश्चात् ज्यों ज्यों आय का परिमाण बढ़ता है, कर की दर बढ़ती जाती है । उदाहरणवत् दो हजार से पाँच हजार रुपये तक की आय पर कर प्रति रुपया पाँच पाई हो तो पाँच हजार से दस हजार रुपये तक प्रति रुपया छः पाई, और इस से अधिक आय पर और अधिक । कम्पनियों या कोठियों की आय पर इस कर की दर विशेष परिमाण में निर्धारित है । एक खास रकम से अधिक आय पर अतिरिक्त कर ('सूपर टैक्स') भी लिया जाता है । भारतवर्ष में आय कर और 'सूपर टैक्स' की मद में सरकार को अपेक्षाकृत बहुत कम आय होती है । इसका कारण यह है कि यहाँ अधिकतर आदमियों की आमदनी बहुत कम है, देश गरीब है ।

(२) मालगुजारी—यह प्रान्तीय सरकारों की आमदनी की सबसे बड़ी मद है । ब्रिटिश भारत में तीन तरह का बन्दोबस्त है:—(१) स्थायी प्रबन्ध; बंगाल में, बिहार के दक्षिण भाग में, एवं आसाम के आठवें और संयुक्त प्रान्त के दसवें भाग में । (२) जमींदारी या ग्राम्य प्रबन्ध; संयुक्तप्रान्त में ३० वर्ष और पंजाब तथा मध्य प्रान्त में २० वर्ष के लिये मालगुजारी निश्चित कर दी जाती है । गाँव वाले मिल कर इसे चुकाने के लिये उत्तरदायी

होते हैं। (३) रय्यतवारी प्रबन्ध; बम्बई, सिंध, मदरास, आसाम और बर्मा में, एवं बिहार के कुछ भाग में। इन स्थानों में सरकार सीधे काश्तकारों से सम्बन्ध रखती है। बम्बई, मदरास में ३० वर्ष में तथा अन्य प्रान्तों में जल्दी जल्दी बन्दोबस्त होता है। नये बन्दोबस्त में प्रायः हर जगह सरकारी मालगुजारी बढ़ जाती है।

(३) आयात-निर्यात कर—सरकारी आय की यह सब से बड़ी मद है। यह कर उन चीजों पर लगता है जो भारतवर्ष से विदेशों को जाती हैं, या विदेशों से यहाँ आती हैं। यह एक परोक्ष कर है। यह व्यापारियों से लिया जाता है। इससे सरकार को आमदनी तो होती ही है; इसके अतिरिक्त, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इस कर का यहाँ के व्यापार तथा उद्योग धन्यों पर भी असर पड़ता है।

(४) नमक कर—नमक एक जीवन-रक्षक पदार्थ है; इसके कर का भार गरीबों पर भी पड़ता है। नमक तैयार कराने में सरकार का खर्च बहुत थोड़ा होता है, किराये में भी कुछ खर्च पड़ता है। इस खर्च को छोड़कर नमक का मूल्य कर पर निर्भर है। यह कर इस समय ११ प्रति मन है। इस देश में जितना नमक तैयार होता है, उस पर सरकार का एकाधिकार है। सरकारी आज्ञा बिना नमक कोई नहीं बना सकता।

(५) अफीम—भारत सरकार को इस मद की आय, इस पदार्थ को विदेशों के लिये नीलाम करने से होती है। भारतवर्ष के लिये भारत सरकार इसे एक निर्धारित दर से प्रान्तीय सरकारों के हाथ बेचती है। कुछ अफीम तो औषधियों के काम आती है; शेष का सेवन लोग नशे के लिये करते हैं, जो बहुत हानिकारक है।

(६) **आबकारी**—इस मद में शराब, गाँजा, अफ़ीम आदि नशे के पदार्थों पर लगाये हुए सरकारी टेक्सों की आय सम्मिलित है। इन पदार्थों की बिक्री तथा पैदावार पर कड़ा नियन्त्रण रहता है। इनका प्रचार बढ़ना, देश के लिये हानिकर है।

(७), अन्य आय में, केन्द्रीय सरकार तो देशी रियासतों से जो नज़राना लेती है, और प्रान्तिक सरकार सिनेमा आदि खेल तमाशों का जो कर लेती है वह रक़म सम्मिलित है।

(८) से (११) तक की मदें स्पष्ट हैं।

(१२) सिविल निर्माण कार्य की आय में सरकारी मकानों का किराया तथा उनकी बिक्री आदि से होने वाली प्राप्ति सम्मिलित है।

(१३) इस मद की आय में विशेषतया पैसा इकत्री आदि सिके, तथा कुछ देशी राज्यों के सिक्के ढालने का लाभ सम्मिलित है।

(१४) से (१७) तक की मदें स्पष्ट हैं।

(१८) सैनिक आय में सैनिक स्टोर कपड़े दूध मक्खन तथा पशुओं की बिक्री से होने वाली आय गिनी जाती है।

(१९) सूद की आय में, सरकार जो रुपया किसानों तथा म्युनिसिपैलिटियों आदि को उधार देती है, उसके सूद की रक़म सम्मिलित होती है।

(२०) विविध मद में पेन्शन सम्बन्धी आय के अतिरिक्त, सरकारी स्टेशनरी और रिपोर्टें आदि की बिक्री की आय भी सम्मिलित है।

हिसाब और उसकी जाँच—भारत सरकार का हिसाब

केन्द्रीय 'हिसाब विभाग' रखता है। इसका प्रधान 'एकाउन्टेंट और आडिटर-जनरल' कहलाता है। प्रान्तीय सरकारों का हिसाब प्रान्तीय एकाउन्टेंट जनरल रखते हैं। प्रायः प्रत्येक ज़िले के प्रधान नगर में इम्पीरियल बैंक की शाखा है, उसमें सरकारी आय जमा होती रहती है, आवश्यकतानुसार उसी में से खर्च होता रहता है। उस का हिसाब बैंक के अतिरिक्त ज़िले के खजाने में भी रहता है। 'एकाउन्टेंट आडिटर जनरल' के अधीन कर्मचारी ज़िलों के खजानों के हिसाब का निरीक्षण करते हैं।

बारहवाँ पाठ

देशी राज्य

—: #:—

इस पुस्तक के पहले पाठ में यह बताया गया था कि राज्य-प्रबन्ध की दृष्टि से भारतवर्ष के पाँच भाग हैं :—(१) स्वाधीन राज्य, (२) फ्रांसीसी और पुर्तगीज़ राज्य, (३) बर्मा (४) ब्रिटिश भारतवर्ष, और (५) देशी राज्य। इनमें से प्रथम तीन भागों के सम्बन्ध में आवश्यक बातें उसी पाठ में बतादी गयी थीं। उसके पीछे के पाठों में अब तक ब्रिटिश भारत की शासन प्रणाली का वर्णन किया गया है। अब इस पाठ में भारतवर्ष के शेष महत्व-पूर्ण भाग अर्थात् देशी राज्यों के विषय में विचार किया जायगा।

साधारण परिचय—देशी राज्यों से भारतवर्ष के उन भागों का प्रयोजन है जिनका आन्तरिक शासन यहाँ के ही राजा

या सरदार, विविध संधियों के अनुसार, सम्राट् की अधीनता में रहते हुए, करते हैं। छोटे बड़े सब राज्यों की संख्या ५६० है। इनमें से कुछ अपने विस्तार में योरप के बड़े बड़े राष्ट्रों के समान हैं और बहुत से, बहुत छोटे छोटे हैं।

देशी राज्यों का शासन प्रबन्ध—अधिकतर देशी राज्यों में कोई शासन विधान नहीं है। उनका शासन, शासक की व्यक्तिगत इच्छा, रुचि या योग्यता आदि के अनुसार बदलता रहता है। जिन राज्यों का शासन प्रबन्ध कुछ निश्चित है, उनमें भी परस्पर में समानता नहीं है, प्रायः सबका अपना अपना निराला ढङ्ग है। यहाँ उनके सम्बन्ध में कुछ मुख्य मुख्य बातें ही बतायी जाती हैं। कहीं कहीं तो महाराजा (प्रधान शासक) के बाद मुख्याधिकारी दीवान होता है, और अन्य सब बड़े बड़े अधिकारी उसके अधीन रहते हैं। कहीं कहीं दीवान प्रधान मन्त्री होता है, और विविध विभागों का प्रबन्ध करने वाले मन्त्री उसके सहायक होते हैं। किसी किसी राज्य में प्रबन्धकारिणी कौंसिल है, इसके सदस्य भिन्न भिन्न विभागों का सञ्चालन करते हैं, परन्तु सब पर महाराजा का नियन्त्रण रहता है।

कुछ देशी राज्यों में व्यवस्थापक सभाएँ हैं। पर ऐसे राज्यों की संख्या केवल तीस के लगभग है। इनकी सभाओं में से भी अधिकतर में सरकारी सदस्यों की काफ़ी संख्या है, तथा गैर-सरकारी सदस्य भी जनता द्वारा निर्वाचित न होकर नामज़द अथवा म्युनिसिपैलिटियों आदि संस्थाओं द्वारा चुने हुए होते हैं। वास्तव में देशी राज्यों में निर्वाचन प्रथा का बहुत ही कम उपयोग हो रहा है। जनता को व्यवस्था कार्य के लिये अपने प्रतिनिधि

चुनने का अधिकार नहीं-सा है। फिर, देशी राज्यों की अधिकतर व्यवस्थापक सभाओं को क़ानून बनाने या बजट की मर्द्दे स्वीकार करने का यथेष्ट अधिकार न होने से वे एक प्रकार की परामर्शदातृ संस्था हैं; उनका शासकों पर कुछ नियंत्रण नहीं है।

न्याय के सम्बन्ध में बात यह है कि शासन की भाँति उसकी भी भिन्न भिन्न राज्यों में पृथक् पृथक् रीति है। अधिकांश राज्यों में निराले निराले क़ानून प्रचलित हैं। कुछ में तो न्याय सम्बन्धी क़ानून का अभाव ही कहा जासकता है, शासकों की इच्छा ही क़ानून है। लगभग चालीस राज्यों में हाईकोर्ट ब्रिटिश भारत के ढंग पर संगठित है। हाँ, कुछ राज्यों में यह विशेषता है कि उनमें न्याय विभाग शासन विभाग से पृथक् है; परन्तु ऐसे राज्यों की संख्या केवल ३४ के ही लगभग है।

कुछ थोड़े से उन्नत राज्यों को छोड़ कर अन्य राज्यों में म्युनिसिपैलिटियों आदि स्थानीय संस्थाओं की भी बहुत कमी है। कितने ही राज्यों की तो राजधानी में भी म्युनिसिपैलिटि नहीं है, अथवा, यदि है भी, तो उसमें नागरिकों का यथेष्ट प्रतिनिधित्व नहीं, राज-कर्मचारियों का ही प्रभुत्व रहता है।

राज्यों का आय-व्यय—अधिकांश देशी राज्य अपना वार्षिक शासन विवरण या रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करते, और जो रिपोर्टें प्रकाशित भी होती हैं वे अङ्गरेज़ों में तो होती ही हैं, इसके अतिरिक्त वे सर्वसाधारण को सुलभ नहीं होतीं। इसलिये यह ठीक ठीक मालूम नहीं हो सकता कि किसी खास वर्ष में किसी राज्य को किस किस मद्दे से कितनी कितनी आय हुई, तथा वह किस प्रकार खर्च की गयी। यह अनुमान किया जा

सकता है, कि उनका व्यय आय के लगभग होगा; किन्तु कुछ राज्य अपनी आय से कम खर्च करते हैं, तां कुछ उससे अधिक भी करते हैं। कुछ राज्यों पर तो ऋण-भार बहुत अधिक है, यद्यपि उन्होंने किसी विशेष उत्पादक कार्य में पूँजी नहीं लगा रखी है।

अस्तु, समस्त राज्यों की वार्षिक आय कुल मिलाकर लगभग पचास करोड़ रुपये हैं। पर्याप्त सामग्री और स्थान के अभाव में इस आय की, ब्रिटिश भारत की सरकारी आय से तुलना करना ठीक नहीं है। यहाँ कुछ अन्य बातों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसा कि पहले किया गया है, अधिकतर देशी नरेश प्रजा के प्रति कुछ भी उत्तरदायी नहीं हैं, वे स्वच्छानुसार भाँति भाँति के कर लगाते हैं, और जब चाहें वे उन्हें बढ़ा देते हैं; किसी व्यवस्थापक सभा आदि का कुछ नियन्त्रण नहीं रहता।

खर्च के विषय में भी वे बहुधा स्वच्छन्द हैं। वे आय का अधिकांश भाग अपनी इच्छानुसार खर्च करते हैं। उनका स्वयं अपने लिये या राज्य परिवार के वास्ते लिया जाने वाला द्रव्य निर्धारित नहीं होता, और यदि निर्धारित भी होता है तो उसकी मात्रा काफी अधिक होती है। अवश्य ही द्रावकोर आदि राज्य में पेसा नहीं होता, पर कुल राज्यों को देखते हुए इन की संख्या अत्यल्प है। प्रायः नरेश अपने कृपा-पात्रों को उच्च पदाधिकारी बना कर खूब वेतन आदि देते हैं। जिन की रुचि सत्कार्यों में होती है, उन के द्वारा दान धर्म आदि लोकोपकारी कार्यों में भी अच्छा खर्च हो जाता है।

नरेशों का सम्मान—भारत सरकार की ओर से देशी नरेश दो प्रकार सम्मानित होते हैं, (१) उपाधियों तथा अवैत-

निक सैनिक पदों से, और (२) तोपों की सलामी से । कुछ उपाधियाँ पैत्रिक होती हैं, ये स्थायी रहती हैं । इनके अतिरिक्त जा उपाधियाँ ब्रिटिश सरकार या भारत सरकार प्रदान करती है, वे अस्थायी और व्यक्तिगत रहती हैं, अर्थात् नरेश का उत्तराधिकारी ऐसी उपाधि का उपयोग नहीं कर सकता । उपाधियों के अतिरिक्त, ब्रिटिश सरकार कभी कभी नरेशों को अवैतनिक सैनिक पद भी देती है, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल, या कर्नल आदि ।

देशी नरेशों में से ११८ को तोपों की सलामी का सम्मान प्राप्त है, इनमें से जब कोई नरेश अपने राज्य से बाहर जाता है, या बाहर से आता है, अथवा नरेश की हैसियत ब्रिटिश भारत में आता है, या वहाँ से लौटता है तो उसके सम्मान के लिये निर्धारित संख्या में तोपें छोड़ी जाती हैं, यह संख्या ६ से २१ तक होती है ।

देशी राज्यों के अधिकार—देशी राज्यों के निवासी अपने अपने नरेश की प्रजा हैं । साधारणतया इन पर, अथवा इनके शासकों पर ब्रिटिश भारत का क़ानून नहीं लग सकता । हाँ, देशी राज्य में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा पर, तथा रेज़िडेन्सी, छावनी, रेल या नहर की भूमि में, अथवा राजकोट या बड़वान (गुजरात) जैसे स्थानों में जहाँ व्यापार आदि के कारण बहुत से अंगरेज़ रहते हों, अंगरेज़ी सरकार के ही क़ानून का व्यवहार होता है । यदि ब्रिटिश भारत का कोई अपराधी किसी देशी रियासत में भाग जाय तो वह उसके नरेश की आज्ञा से पकड़ा जाकर, ब्रिटिश भारत में भेज दिया जाता है । देशी रियासतों की प्रजा अपनी रियासत की सीमा के बाहर, ब्रिटिश प्रजा की तरह मानी जाती है ।

साधारणतया भारतीय नरेश अपनी प्रजा से कर लेते हैं, और उसके दीवानी और फ़ौजदारी मामलों का फ़ैसला करते हैं। कुछ नरेश अपने यहाँ आने वाले माल पर चुंगी लेते हैं। कुछ अपने रुपये आदि सिक्के भी ढालते हैं। परन्तु इन सब को अपने यहाँ भारत सरकार के रुपये को वही स्थान देना पड़ता है, जो उसे ब्रिटिश भारत में मिला है।

भारत सरकार से सम्बन्ध—देशी रियासतों के प्रति भारत सरकार की नीति यह है कि जब तक ये उसके प्रति राज-भक्ति बनाये रखें और पहले की हुई संधियों की शर्तों का यथोचित पालन करती रहें, तब तक सरकार इनकी रक्षा करेगी, और इनका अस्तित्व बनाये रखेगी। साधारण दशा में भारतीय नरेश अपनी रियासतों का स्वयं प्रबन्ध करते हैं, परन्तु आवश्यक समझने पर भारत सरकार इनके प्रबन्ध में हस्तक्षेप कर सकती है। भारतीय नरेश सरकार के परामर्श की अवहेलना नहीं कर सकते। भारत सरकार जिस नरेश को अयोग्य या असमर्थ समझे, उसे गद्दी से उतार कर, उसके किसी सम्बन्धी को पदारूढ़ कर देती है। यदि किसी नरेश के सन्तान न हो तो उसे उत्तराधिकारी या वारिस गोद लेने की इजाज़त दी जाती है। वारिस की नाबालगी (अल्पवस्था) की हालत में सरकार देशी राज्य के शासन का प्रबन्ध करती है। इन रियासतों को इस बात की अनुमति नहीं रहती कि सरकार की आज्ञा बिना परस्पर एक दूसरे से, अथवा किसी विदेशी राष्ट्र से, किसी प्रकार का राजनैतिक व्यवहार कर सकें अथवा किसी विदेशी को अपने यहाँ नौकर रख सकें। इन रियासतों की रक्षा का भार सरकार ने अपने ऊपर रखा है, और इन्हें सरकार की

स० भा० शा०—७

सहायता के लिये कुछ सेना रखनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त ये थोड़ी सी फ़ौज अपनी आन्तरिक शान्ति अथवा दिखावे के लिये रख सकती हैं, परन्तु किसी पर चढ़ाई करने, अथवा किसी की चढ़ाई से अपने को बचाने के लिये ये कोई फ़ौज नहीं रख सकती।

भारत सरकार का नियन्त्रण—सब देशी राज्य भारत-सरकार के न्यूनाधिक अधीन हैं। भारत सरकार का विदेश विभाग उनकी निगरानी किया करता है। यह विभाग स्वयं वाइसराय के अधीन है; उसकी सहायता के लिये एक पोलिटिकल सेक्रेटरी, तथा उसके कुछ सहायक रहते हैं। देशी राज्यों में से हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा, कश्मीर, ग्वालियर और सिक्किम, ये छः ऐसे हैं, जिनका भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध है। इनमें से प्रत्येक की राजधानी में भारत सरकार का एक एक रेज़िडेंट रहता है। देशी राज्य और भारत सरकार में जा पत्र-व्यवहार आदि होता है, वह रेज़िडेंट द्वारा ही होता है। रेज़िडेंट देशी नरेश को प्रत्येक आवश्यक विषय पर परामर्श देता रहता है।

कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनके एक एक समूह की एक एक 'एजन्सी' है। प्रत्येक एजन्सी में एक गवर्नर-जनरल का एजेंट, ('एजेंट टू दि गवर्नर-जनरल') या 'ए. जी. जो.' रहता है। यह भारत सरकार के अधीन होता है, और इसके अधीन कई कई पोलिटिकल एजेंट (या छोटे रेज़िडेंट) होते हैं। प्रत्येक पोलिटिकल एजेंट एक या अधिक देशी राज्यों का कार्य करता है। पोलिटिकल एजेंट इनके नरेशों को शासन आदि विषयों में आवश्यक परामर्श देते हैं। इन नरेशों और भारत-

सरकार में जा पत्र व्यवहार आदि होता है वह कमशः पोलिटिकल एजन्ट और 'ए. जी. जी.' के द्वारा होता है।

जो राज्य प्रान्तीय सरकारों के अधीन होते हैं, उनमें भी पोलिटिकल एजन्ट (या छोटे रेजीडेंट) रहते हैं। किन्तु जहाँ तहाँ फैले हुए छोटे छोटे राज्यों या जागीरों ('इस्टेट्स') में एजन्ट का कार्य प्रायः उस कलेक्टर या कमिश्नर का ही सौंपा हुआ रहता है, जिसके क्षेत्र में वह राज्य होता है।

धरार के सम्बन्ध में, निज़ाम हैदराबाद से पत्र व्यवहार करते समय भूत-पूर्व वायसराय लार्ड रीडिंग ने जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, उसका आशय यह है कि देशी नरेश अपने राज्यों के भीतरी प्रबन्ध में भी स्वतंत्र नहीं हैं। भारतवर्ष में, शान्ति और सुव्यवस्था रखना साम्राज्य सरकार का, किसी संधि-पत्र से नहीं, स्वयं सिद्ध अधिकार है। ब्रिटिश सरकार को जब जैसा ज़ूचे, वह किसी देशी राज्य के भीतरी प्रबन्ध में हस्तक्षेप कर सकती है।

जाँच कमीशन—ऐसे झगड़ों के विषय में जा दो या अधिक राज्यों में, अथवा, किसी राज्य और किसी प्रान्तिक सरकार या भारत सरकार में उपस्थित हों, एवं जब कोई राज्य भारत सरकार अथवा उसके किसी प्रतिनिधि के आदेश से असन्तुष्ट हों, वायसराय एक कमीशन नियुक्त कर सकता है, जो झगड़े वाले मामले की जाँच करके अपनी सम्मति उसके सामने उपस्थित करे। अगर वायसराय इस सम्मति को मंजूर न कर सके तो वह उस मामले को फ़ैसले के लिए भारत मंत्री के पास भेज देगा।

जाँच कमीशन की यह व्यवस्था सन् १९२० ई० से हुई है। पर अभी तक इसके प्रयोग का अवसर नहीं आया।

नरेन्द्र मंडल—पिछले सुधारों के अनुसार, १९२१ से नरेन्द्र मंडल (चेम्बर-आफ-प्रिंसेज़) नामक एक समिति बनी हुई है। इसमें १२० सदस्य हैं। बड़ी बड़ी १०८ रियासतों के नरेशों को एक एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, और १२ सदस्य १२७ नरेशों के प्रतिनिधि हैं। शेष ३२५ छोटी रियासतों को इसमें कोई स्थान प्राप्त नहीं है। जिन विषयों का प्रभाव कई रियासतों पर पड़ता हो, अथवा जिनका सम्बन्ध ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों से हो, उन पर इस संस्था को सम्मति मांगी जाती है। इसका सभापति वायसराय होता है, उसकी अनुपस्थिति में राजाओं में से ही कोई प्रधान का कार्य करता है। मंडल के नियम, वायसराय नरेशों की सम्मति लेकर बनाता है। मंडल प्रति वर्ष एक छोटी सी स्थायी समिति बनाता है, जिससे वायसराय या सरकार का विदेश और राज-नैतिक विभाग देशी रियासतों सम्बन्धी महत्व-पूर्ण विषयों में सम्मति लेता है।

मंडल का प्रधान कार्यालय देहली में है। अधिवेशन प्रायः साल में एक बार होता है, उसमें वायसराय द्वारा स्वीकृत विषयों पर ही वादानुवाद होता है। सन् १९२८ ई० तक अधिवेशन की सब कारवाई गुप्त रखी जाती थी, अब इसमें कुछ दर्शक भी उपस्थित हो सकते हैं।

बटलर कमेटी की सिफारिशें—सन् १९२७ ई० में ब्रिटिश भारत के शासन सुधारों के सम्बन्ध में जाँच करने के

लिए साइमन कमीशन नियुक्त हुआ था। उसी समय, देशी रियासतों का ब्रिटिश सरकार से क्या सम्बन्ध रहे, तथा उनका ब्रिटिश भारत से आर्थिक सम्बन्ध कैसा हो, इस विषय का विचार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त हुई, जिसे उसके सभापति के नाम पर 'बटलर कमेटी' कहते हैं। इसने सिफारिश की कि देशी नरेशों को ब्रिटिश भारत की आयात-कर आदि उन मर्हों की आय में से कुछ हिस्सा दिया जाय, जिनकी आय देशी राज्यों की प्रजा से वसूल होती है। इसकी यह भी सिफारिश थी कि देशी रियासतों का सम्बन्ध भारत सरकार से न रह कर सम्राट् से रहे, अर्थात् गवर्नर-जनरल से न रह कर सम्राट् प्रतिनिधि वायसराय से रहा करे।

देशी राज्यों के गुण दोष—देशी राज्यों में कई बात तो बहुत अच्छी हैं। वे हमारे स्वराज्य-भोगी प्रदेश हैं। यहाँ हमारे प्रबन्ध की परीक्षा होती है और स्वराज्य की शिक्षा मिलती है। जहाँ हमारे अनेक पुरुष-रत्न ब्रिटिश भारत में 'क्लेक्टर' जैसी नौकरियों को प्राप्त करने में सहज ही सफल नहीं होते, देशी राज्यों में योग्य भारतीय सज्जन दीवान जैसे उच्च पद को शोभित करते हैं। कई राज्यों में अनिवार्य शिक्षा प्रणाली व्यवहृत कर दी गई है। यहाँ कोई 'आर्म्स ऐक्ट' नहीं, लोगों को हथियार रखने की मनाई नहीं। ब्रिटिश भारत पाश्चात्य सभ्यता दर्शाता है तो ये प्राचीन आचार विचार की कृपा दिखाते हैं। परन्तु इन राज्यों में बहुत से दोष भी हैं। कुछ उन्नत या सुधार-प्रिय राज्यों को छोड़ कर, उनकी प्रजा को सार्वजनिक कार्य करने की उतनी भी स्वाधीनता नहीं, जितनी ब्रिटिश भारत की जनता को है। बहुधा उनमें सार्वजनिक मत को दर्शाने वाले समाचार पत्रों का

अभाव ही है। अनेक स्थानों में राजा करे सो न्याय, और नरेश की इच्छा ही कानून है। कर लगाने की निश्चित नीति नहीं, प्रजा से कितने ही प्रकार से धन संग्रह करके उसे स्वेच्छानुसार खर्च किया जाता है; प्रजा की सुनाई नहीं होती। शिक्षा और स्वास्थ्य आदि की ओर भी यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता।

उपर्युक्त गुणों की वृद्धि तथा दोषों का निवारण होने की आवश्यकता है। इसके लिये देशी नरेशों तथा उनके शुभ-चिन्तकों द्वारा यथेष्ट प्रयत्न होना चाहिये। अखिल भारतवर्षीय देशी राज्य प्रजा परिषद् जहाँ तहाँ सुधार का आन्दोलन कर रही है।

—: ० :—

तेरहवाँ पाठ

पार्लिमेंट और शासन-सुधार

—: #:—

हम पहले बता आये हैं कि भारतवर्ष के शासन का, भारत मंत्री तथा ब्रिटिश पार्लिमेंट और सम्राट् से, घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस देश में जो शासन पद्धति प्रचलित है, वह पार्लिमेंट के द्वारा निश्चित की हुई है, और वही इसमें सुधार या परिवर्तन करती है। अब हम तुम्हें सम्राट् और पार्लिमेंट के बारे में मुख्य मुख्य बातों के अतिरिक्त यह भी बतलायेंगे कि हमारे देश में शासन सुधारों की क्या गति है।

ब्रिटिश पार्लिमेंट—ब्रिटिश पार्लिमेंट के संगठन में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। इसके प्रधान अंग तीन हैं:—

(१) बादशाह (या रानी), जो भारतवर्ष का सम्राट् (या साम्राज्ञी) है । (२) ब्रिटिश प्रतिनिधि सभा ('हाउस-ऑफ-कामन्स'), और (३) ब्रिटिश सरदार सभा ('हाउस-ऑफ-लार्ड्स') । ब्रिटिश प्रतिनिधि सभा में लगभग छः सौ सदस्य होते हैं, ये सर्व साधारण द्वारा प्रति पाँचवें वर्ष निर्वाचित होते हैं । ब्रिटिश सरदार सभा में लगभग सात सौ सदस्य होते हैं, इनमें से अधिकांश वंशागत, तथा कुछ पादरी और जज होते हैं । पार्लिमेंट की दोनों सभाओं में से मुख्य अधिकार प्रतिनिधिसभा को है; सरदार सभा को तो केवल संशोधन सम्बन्धी अधिकार हैं, वे भी एक परिमित सीमा तक ।

बादशाह को शासन कार्य में, क़ानून की दृष्टि से सर्वोच्च तथा अपरिमित अधिकार हैं, परन्तु प्रायः वह उन्हें व्यवहार में नहीं लाता । उसे परामर्श देने के लिये एक गुप्त सभा अर्थात् 'प्रिवी कौंसिल' रहती है । इसके सदस्यों को बादशाह स्वयं नियत एवं बर्खास्त करता है । गुप्त सभा की एक जुडिशल (न्याय सम्बन्धी) कमेटी को भारतवर्ष, उपनिवेशों तथा पादरियों की अदालतों के फ़ैसलों की अपील सुनने का अधिकार है । गुप्त सभा के कुल सदस्यों की संख्या ३०० से ऊपर हो जाती है । परन्तु प्रायः छः सदस्यों की उपस्थिति में ही काम हो सकता है । सम्राट् की परिषद् कहने से इसी सभा का आशय लिया जाता है ।

गुप्त सभा के बहुत बड़ी होने के कारण, बादशाह को सलाह देने का काम अधिकांश में मंत्री मंडल करता है । शासन कार्य के लिये भिन्न भिन्न विभागों के लगभग पचास मंत्री

('मिनिस्टर') होते हैं, इनके समूह को मंत्री-दल कहते हैं। कुछ मुख्य मुख्य विभागों के मंत्रियों की एक अन्तरंग सभा होती है, इसे मंत्री-मंडल ('केबिनेट') कहते हैं। मंत्री मण्डल को ब्रिटिश राज्य चक्र की धुरी समझना चाहिये। यह सब शासन कार्य का उत्तरदायी है। इसमें प्रधान मंत्री के अतिरिक्त लगभग २० मंत्री रहते हैं। कोई मंत्री मण्डल उस समय तक रहता है, जब तक कि पार्लिमेंट में उसकी नीति के समर्थन करने वालों का बहुमत हो। जब एक मंत्री मंडल त्याग पत्र देता है तो बादशाह दूसरा मंत्री मंडल बनाने के लिये किसी दूसरे राज-नीतिज्ञ को बुलाता है। अगर यह राजनीतिज्ञ अपने कार्य में सफल हो जाय तो इसे प्रधान मंत्री बना दिया जाता है।

प्रधान मंत्री, मंत्री मंडल के अधिवेशनों में सभापति होता है। वह सरकार की नीति ठहराता है और विविध विभागों की निगरानी करता है। भारत मंत्री भी मंत्री मण्डल का एक सदस्य होता है। जैसा कि पहले कहा गया है, इंग्लैंड का बादशाह सब काम, अपने मंत्रियों को सलाह से करता है, और राज्य प्रबन्ध के लिये मंत्री ही उत्तरदायी होते हैं; जिन प्रस्तावों को पार्लिमेंट स्वीकार कर लेती है, उन पर बादशाह हस्ताक्षर कर देता है, और वे क़ानून बन जाते हैं। इस प्रकार यद्यपि इंग्लैंड नरेश भारतवर्ष का सम्राट् है, इस देश का शासन-सूत्र वास्तव में पार्लिमेंट के हाथ में है। सम्राट् के अधीन होने का अर्थ, पार्लिमेंट के ही अधीन होना है।

अँगरेजों का भारतवर्ष से सम्बन्ध—अब हम तुम्हें यह बतलायेंगे कि पार्लिमेंट का भारतवर्ष के शासन से जो सम्बन्ध है, वह किस समय से, तथा किस प्रकार हुआ।

मोटे हिसाब से भारतीय इतिहास में अंगरेजों का समय पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है :—

१—सन् १६०० से १७५७ ई० तक, लगभग डेढ़ सौ वर्ष । इस समय में अंगरेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतवर्ष में अपने व्यापार की वृद्धि की ।

२—सन् १७५७ से १८५७ ई० तक, सौ वर्ष । इस समय में कम्पनी के राज्य का विस्तार हुआ । सन् १८५७ ई० में कम्पनी के शासन का अन्त हुआ, और ब्रिटिश पार्लिमेंट ने भारतीय शासन प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया ।

३—सन् १८५८ से १९१९ ई० तक, लगभग साठ वर्ष । इस समय में शिक्षा का कुछ प्रचार हुआ । सन् १८८४ ई० से स्थानीय स्वराज्य का कार्य क्रमशः बढ़ाया गया । शासन प्रबन्ध में कुछ सुधार हुए ।

४—सन् १९१९ ई० से १९३५ ई० तक । इस समय में शासन सुधार, उत्तरदायी शासन नीति का व्यवहार, और स्वराज्य-प्राप्ति के लिये जनता का आन्दोलन हुआ ।

५—सन् १९३५ ई० से संघ शासन योजना, प्रान्तों को 'स्वराज्य' ।

पार्लिमेंट का प्रबन्ध—पार्लिमेंट सन् १७७३ ई० से प्रति बीसवें वर्ष, भारत के सुशासन के लिये क़ानून बनाती थी । परन्तु शासन-व्यवस्था में भारतवासियों का कुछ हाथ न रहा । सन् १८५८ ई० में पार्लिमेंट की सम्मति से इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन सम्बन्धी सब अधिकार अपने हाथ में ले लिये और राजकीय घोषणा द्वारा, यह प्रतिज्ञा

की कि हम देशी राज्यों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, प्रजा के धार्मिक विचारों में हस्तक्षेप न करेंगे, जाति या धर्म का पक्षपात न कर सब को योग्यतानुसार नौकरियाँ देंगे, तथा सब से ब्रिटिश प्रजा के समान व्यवहार करेंगे ।

उसी वर्ष में “ भारतवर्ष को बेहतर तरीके से शासन करने ” का क़ानून पास हुआ । इसके अनुसार भारतवर्ष के लिये एक राज-मन्त्री (भारत मन्त्री) और उसकी कौंसिल (इंडिया कौंसिल) की सृष्टि हुई । इनका वर्णन पहले किया जा चुका है ।

पिछले अस्सी वर्षों में यहाँ समय समय पर कुछ शासन सुधार हुए तथा जनता की राजनैतिक आकांक्षाएँ बढ़ीं । सन् १९१४ ई० में योरोपीय महायुद्ध आरम्भ हुआ । उसमें भारतवर्ष ने जन धन से महान् सहायता की । तब से यहाँ जागृति की नयी लहर पैदा हो गयी । स्वराज्य की माँग अधिक उच्च और स्पष्ट स्वर से की जाने लगी । इसके फल-स्वरूप सन् १९१६ ई० में यहाँ कई सुधार योजना तैयार की गयीं, और भारत सरकार ने इस विषय में ब्रिटिश सरकार से पत्र व्यवहार किया ।

अन्ततः २० अगस्त १९१७ को ब्रिटिश प्रतिनिधि सभा में भारत मन्त्री ने नवीन नीति की घोषणा की, जिसकी मुख्य बातें यह हैं :—

१—भारतवर्ष में शासन नीति का लक्ष्य उत्तरदायी शासन स्थापित करना है ।

२—इसकी प्राप्ति के लिये भारतवासियों को शासन कार्य के प्रत्येक भाग में क्रमशः अधिकाधिक भाग दिया जाय ।

३—भारतवर्ष जो उन्नति करे, वह ब्रिटिश साम्राज्य का भाग रहते हुए ही करे ।

४—भारतवर्ष की राजनैतिक उन्नति क्रमशः, मंज़िल दर मंज़िल ही हो सकती है ।

५—प्रान्तीय सरकारों को आन्तरिक शासन के लिये भारत सरकार से अधिकाधिक स्वतन्त्र किया जाय ।

६—उन्नति-क्रम के समय और सीमा का निर्णय ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार करेंगी ।

इस नीति के अनुसार पिछला सुधार क़ानून सन् १९१६ ई० में बना । इसका उद्देश्य भारतवासियों को उत्तरदायी शासन का अधिकार देना था । * इससे भारत मन्त्री के विभाग में कुछ अंतर नहीं आया, एक हाई कमिश्नर नियत किया गया, जो भारत सरकार की ओर से इङ्ग्लैंड में एजन्ट का कार्य करे । उत्तरदायी शासन केन्द्र में आरम्भ नहीं किया गया, भारत सरकार ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति ही उत्तरदायी रही । भारतीय व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी, और उसमें एक की जगह दो सभाएँ की गयीं, भारतीय व्यवस्थापक सभा और राज्य परिषद् । उत्तरदायी शासन केवल नौ प्रान्तों में, और वह भी कुछ अंश में, आरम्भ किया गया । प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के सदस्यों की, एवं मतदाताओं की संख्या बढ़ी । इन

* उत्तरदायी शासन पद्धति का तात्पर्य यह है कि प्रबन्धकारिणी के सदस्य, प्रजा प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हों, और वे उनके द्वारा हटाये भी जा सकें ।

सुधारों के अनुसार ही इस समय केन्द्रीय शासन का स्वरूप निर्धारित है जा पहले विस्तार-पूर्वक बताया जा चुका है। प्रान्तों का शासन अब बदल गया है, वह सन् १९३५ ई० के विधान के अनुसार है। इसका भी पहले वर्णन किया जा चुका है।

नवीन शासन विधान—सन् १९१९ ई० के विधान में ऐसी व्यवस्था की गयी थी कि दस वर्ष के भीतर एक कमीशन नियत हो, और वह इस बात को रिपोर्ट करे कि उस समय जो उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन प्रचलित हो, उसे कहाँ तक बढ़ाना, बदलना या घटाना ठीक है। तदनुसार 'साइमन कमीशन' सन् १९२७ ई० में नियुक्त हुआ। इसके सातों सदस्य अंगरेज थे, और वे भी अनुदार विचार वाले। इस कमीशन की रिपोर्ट सन् १९२९ ई० में प्रकाशित हुई। पश्चात् सन् १९३० से ३२ ई० तक लन्दन में तीन बार 'गोलमेज सभा' हुई, इनमें से केवल दूसरी में कांग्रेस ने, महात्मा गांधी की भेज कर भाग लिया। गोलमेज सभाओं तथा विविध कमेटियों के परिणाम-स्वरूप शासन सम्बन्धी प्रस्ताव 'श्वेत पत्र' में प्रकाशित किये गये। और, यह श्वेत पत्र पार्लिमेंट की दोनों सभाओं की संयुक्त कमेटी के सामने विचारार्थ उपस्थित किया गया। इस पर पार्लिमेंट ने सन् १९३५ ई० के भारतीय शासन विधान की रचना की। पहले इसका, प्रान्तों सम्बन्धी भाग ही अमल में लाया जाने लगा है। विधान का उद्देश्य भी प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना बताया गया है। केन्द्रीय शासन के लिये संघ शासन को आयोजना की गयी है, यह अभी कार्य में परिणत नहीं हुआ है; इसके सम्बन्ध में अगले पाठ में लिखा जायगा।

पार्लिमेंट का, भारतीय शासन से सम्बन्ध—

पहले बताया जा चुका है कि भारतवर्ष पर ब्रिटिश पार्लिमेंट का प्रभुत्व है। इंग्लैण्ड का बादशाह भारतवर्ष का सम्राट् कहलाता है, और ब्रिटिश मंत्री मंडल का एक सदस्य भारत मंत्री यहाँ के शासन कार्य का निरीक्षण तथा नियंत्रण करता है। पार्लिमेंट का भारतवर्ष के शासन से सम्बन्धी निम्न लिखित हैं :—

(१) वह भारतवर्ष की शासन पद्धति निश्चित करती है, प्रचलित शासन पद्धति की जाँच के लिये कमीशन नियुक्त करती है, तथा उसमें परिवर्तन करने के वास्ते नया विधान बनाती है।

(२) भारतवर्ष के आय-व्यय का अनुमान पत्र तथा इस देश की उन्नति का निवारण प्रति वर्ष पार्लिमेंट के सामने उपस्थित किया जाता है, इस अवसर पर सदस्य भारतीय शासन पद्धति की आलोचना कर सकते हैं।

(३) पार्लिमेंट की दोनों सभाओं के कुछ सदस्यों की एक कमेटी है, जो भारतवर्ष सम्बन्धी घटनाओं की जानकारी प्राप्त करती तथा, पार्लिमेंट को उनके सम्बन्ध में परामर्श देती है।

(४) भारत मंत्री का वेतन ब्रिटिश कोष से दिया जाता है, अतः ब्रिटिश बजट की इस मद्द पर विचार करने के समय पार्लिमेंट में भारतीय विषयों की चर्चा होती है।

(५) पार्लिमेंट के अधिवेशन में, उसके सदस्य कभी कभी भारतवर्ष सम्बन्धी प्रश्न पूछते, और प्रस्ताव करते हैं।

साधारणतया पार्लिमेंट के अधिकांश सदस्य भारतवर्ष सम्बन्धी विषयों में विशेष दिलचस्पी नहीं लेते; उनका इस देश

सम्बन्धो ज्ञान अत्यल्प होता है, और उन्हें इंगलैण्ड तथा ब्रिटिश साम्राज्य की विविध समस्याओं को सोचने से बहुत कम अवकाश मिलता है।

—: ० :—

चौदहवाँ पाठ संघ शासन

—: * :—

पिछले पाठ में यह बताया जा चुका है कि सन् १९३४ ई० के विधान के अनुसार भारतवर्ष के केन्द्रीय शासन का स्वरूप संघ-शासन रखने का निश्चय किया गया है। उसे समझने के लिये पहले यह जान लेना चाहिये कि संघ किसे कहते हैं।

जब कुछ राज्य आत्म-रक्षा या आर्थिक अथवा राजनैतिक उन्नति के लिये अपनी सेना, मुद्रा या व्यापार आदि विभागों का प्रबन्ध सामुहिक रूप से करना चाहते हैं, और इस उद्देश से अपना संगठन करते हैं, तो यह कहा जाता है कि उन्होंने अपना संघ (फ़ेडरेशन) बनाया।

संघ शासन में, संघान्तरित राज्यों की सरकारें अपने अपने राज्य सम्बन्धी धर्म, शिक्षा आदि विषयों में स्वाधीन रहती हैं। ऐसी शासन पद्धति आस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमरीका, और जर्मनी आदि में प्रचलित है। यह उन देशों के लिये अधिक उपयुक्त होती है, जिनका विस्तार बहुत हो, जहाँ के विविध भागों के निवासियों की आवश्यकताओं, भाषा, रहन-सहन, और रीति रस्म आदि में बहुत भिन्नता हो; कारण, इस शासन पद्धति के

अनुसार विविध राज्यों को अपने आन्तरिक शासन प्रबन्ध में यथेष्ट स्वतन्त्रता होती है। ये अपनी आय का कुछ भाग और अपने कुछ अधिकार संघ सरकार को देती हैं, जो इन राज्यों के पारस्परिक झगड़े मिटाने, तथा उनकी आपत्ति से रक्षा करने के अतिरिक्त, सार्वदेशिक हित सम्पादन करने का कार्य करती है।

भारतीय संघ निर्माण; समय और शर्तें—नवीन विधान में बताया गया है कि भारतवर्ष में संघ निर्माण की घोषणा सम्राट् द्वारा उस समय की जायगी, जब कि पार्लिमेंट प्रस्ताव करके उससे इस कार्य के लिये निवेदन करेगी; और, जब इतने देशी राज्य संघ शासन को स्वीकार कर लेंगे, जितने राज्यपरिषद् (कौंसिल-ऑफ़-स्टेट) के कम से कम ५२ सदस्य चुनने के अधिकारी हों, और जिनकी जन-संख्या, देशी राज्यों की कुल जन-संख्या को कम से कम आधी हो।

विधान में मुख्य मुख्य देशी राज्यों की पृथक् पृथक् तथा शेष की इकट्ठी जन-संख्या दी हुई है, कुल जनसंख्या ७,८६,८१,६१२ मानी गयी है। इस प्रकार जब संघ में ३ करोड़ ६५ लाख के लगभग जन-संख्या वाले राज्य सम्मिलित होना स्वीकार कर लेंगे, तब संघ का निर्माण होगा। परन्तु यद्यपि हैदराबाद, मैसूर आदि सात आठ बड़े बड़े राज्यों के मिलने से भी जन संख्या वाली शर्त पूरी हो सकती है, पर इससे संघ निर्माण नहीं होगा; संघान्तरित होने वाले राज्य इतने होने चाहिये कि उनके नरेशों को राज्य परिषद् में कुल मिलाकर ५२ सदस्य चुनने का अधिकार हो। उपर्युक्त दोनों शर्तें पूरी होने के अतिरिक्त, संघ निर्माण होने

के लिये यह भी आवश्यक है पार्लिमेंट इस सम्बन्ध में सम्राट् से निवेदन करे । सम्भवतः यह व्यवस्था इसलिये की गयी है कि पार्लिमेंट पहले यह देखले कि देशी राज्यों का संघ के प्रति क्या रुख है, और भारतवर्ष की राजनैतिक तथा आर्थिक स्थिति ऐसी है या नहीं कि संघ सफलता-पूर्वक कार्य कर सके ।

किसी देशी राज्य का, संघ में सम्मिलित होना उस समय सम्भवा जायगा, जब सम्राट् उस राज्य के नरेश द्वारा किया हुआ शर्तनामा (इन्स्ट्रुमेंट-आफ़-एक्सेशन) स्वीकार कर लेगा । शर्तनामे में नरेश अपनी आर से, तथा अपने धारिस्सों और उत्तराधिकारियों की आर से यह सूचित करेगा कि वह संघ में सम्मिलित होना स्वीकार करता है, और, यह स्वीकार करता है कि उसके राज्य के अन्दर खास खास बातों की व्यवस्था वह स्वयं न करके सम्राट्, गवर्नर-जनरल, संघीय व्यवस्थापक मंडल, संघ न्यायालय और संघीय रेलवे 'अथारिटी' करे । नरेश इस शर्तनामे से अपने ऊपर यह उत्तरादित्व भी लेगा कि शासन विधान की, शर्तनामे सम्बन्धी बातों का उसके राज्य में ठीक तरह पालन किया जायगा ।

संघ शासन में होने वाले परिवर्तन—संघ का निर्माण हो जाने पर भारत मंत्री के भारतीय शासन सम्बन्धी अधिकारों में तथा केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल के स्वरूप एवं अधिकारों में अन्तर हो जायगा । संघ शासन को लक्ष्य में रख कर ही संघ न्यायालय की व्यवस्था की गयी है । इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है ।

भारत मंत्री—भारतवर्ष में संघ की स्थापना हो जाने

के बाद, भारत मंत्रों की सभा अर्थात् इंडिया कौंसिल तोड़ दी जायगी। हाँ, भारत मंत्रों के कुछ परामर्शदाता रहा करेंगे, उनकी संख्या तीन से कम और दू: से अधिक न होगी; उनकी नियुक्ति वह स्वयं करेगा। भारत मन्त्री और उसके परामर्श-दाताओं तथा उसके विभाग के कर्मचारियों का वेतन और भत्ता, तथा अन्य खर्च ब्रिटिश सरकार के कोष से दिया जायगा।

नवीन विधान के अनुसार जिन विषयों में गवर्नर-जनरल को अपनी मर्जी या व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य करना होगा, उनमें वह भारत मन्त्री के नियंत्रण में रहेगा, और उसके द्वारा समय समय पर दी जाने वाली आज्ञाओं का पालन करेगा।

प्रान्तों के गवर्नरों को जिन विषयों में अपनी मर्जी या व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य करना होगा, उनमें भी भारत मन्त्री का ही नियंत्रण रहेगा, हाँ, यह नियंत्रण गवर्नर-जनरल के द्वारा होगा।

संघ शासन और केन्द्रीय सरकार—संघ निर्माण होने के बाद, सम्राट् का प्रतिनिधि, ब्रिटिश भारत के शासन सम्बन्धी विषयों में गवर्नर जनरल, और देशी राज्यों के शासन प्रबन्ध में वायसराय होगा। दोनों पदों पर नियुक्तियाँ सम्राट् द्वारा हुआ करेंगी, और सम्राट् को दोनों पदों के लिये एक ही व्यक्ति नियुक्त करने का भी अधिकार होगा।

इस समय जो शासन कार्य कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल के नाम से हाता है, वह फिर गवर्नर-जनरल के ही नाम से होगा। उसका एक मंत्री मंडल ('कौंसिल-आफ-मिनिस्टर्स') होगा। यह मंडल उसे, उसके विशेषाधिकारों का छोड़ कर अन्य विषयों में, स० भा० शा०—८

सहायता या परामर्श देगा। इसमें अधिक से अधिक दस मंत्री होंगे।

देश रक्षा अर्थात् सेना, धर्म (ईसाई मत), पर-राष्ट्र तथा जंगली जातियों के विषय के सम्बन्ध में गवर्नर-जनरल अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करेगा। इनमें मंत्रियों का परामर्श नहीं लिया जायगा। इनके सम्बन्ध में गवर्नर-जनरल को सहायता देने के लिये अधिक से अधिक तीन सलाहकार ('कौंसिलर') रहेंगे।

निम्नलिखित विषयों के लिये गवर्नर-जनरल विशेष रूप से उत्तरदायी होगा, इनके सम्बन्ध में वह (मंत्रियों की सलाह के विरुद्ध भी) अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य कर सकेगा :—

(१) भारतवर्ष या इसके किसी भाग के शान्ति-भंग का निवारण करना।

(२) संघ सरकार की आर्थिक स्थिरता और साख को सुरक्षित रखना। [गवर्नर-जनरल को इस कार्य में सहायता देने के लिये एक आर्थिक परामर्शदाता ('फाइनेन्शल ऐडवाइज़र') होगा।]

(३) ऐसे कार्य को रोकना, जिससे इंग्लैंड या बर्मा से भारत में आने वाले माल के सम्बन्ध में भेद नीति का व्यवहार हो।

(४) अल्प-संख्यकों के उचित हितों की रक्षा करना।

(५) वर्तमान तथा भूत-पूर्व सरकारी कर्मचारियों और उन के आश्रितों के उचित हितों की रक्षा करना।

(६) संघीय कानूनों के सम्बन्ध में इस बात की व्यवस्था

करना कि व्यापारिक और जातिगत विषयों के भेद भाव या पक्षपात वाले क़ानून न बनें ।

(७) देशी राज्यों के अधिकारों तथा उनके नरेशों के अधिकारों और मान-मर्यादा की रक्षा करना ।

पेडवोकेट-जनरल संघ सरकार को आवश्यक क़ानूनी विषयों में परामर्श देगा, और वह ब्रिटिश भारत के, तथा संघ में सम्मिलित देशी राज्यों के न्यायालयों में पैरवी कर सकेगा ।

सन् १९३५ ई० के विधान से प्रान्तीय सरकारों पर भारत सरकार का नियंत्रण बहुत ही कम और विशेष दशाओं में होगा, साधारणतया वे अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ स्वाधीन होंगी । गवर्नर अपने विशेषाधिकार के अनुसार किये हुए कार्यों के सम्बन्ध में भारतमन्त्री के अधीन और उसके प्रति उत्तरदायी होंगे, हाँ, जैसा कि पहले कहा गया है भारतमन्त्री का यह नियंत्रण गवर्नर-जनरल द्वारा होगा ।

केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल—सन् १९३५ ई० के विधान के अनुसार, संघ का निर्माण हो जाने पर भारतवर्ष के केन्द्रीय क़ानून बनाने वाली संस्था का नाम संघीय व्यवस्थापक मंडल ('फीडरल लेजिस्लेचर') होगा । उसमें दो सभाएँ होंगी, राज्य परिषद् ('कौंसिल आफ-स्टेट') और मंघीय व्यवस्थापक सभा ('फीडरल पेसेम्बली') । राज्य परिषद् में २६० सदस्य होंगे:—१५६ ब्रिटिश भारत के, और १०४ देशी राज्यों के । यह एक स्थायी संस्था होगी, इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति तीसरे वर्ष चुने जाया करेंगे । ब्रिटिश भारत के सदस्यों में से १५० जनता द्वारा निर्वाचित और ६ नामज़द होंगे ।

संघीय व्यवस्थापक सभा में ३७ सदस्य होंगे, २५ ब्रिटिश भारत के और १२ देशी राज्यों के। ब्रिटिश भारत के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा—प्रान्तों की व्यवस्थापक सभाओं (ऐसेम्बली) के सदस्यों द्वारा, प्रति पांचवें वर्ष होगा।

दोनों सभाओं में देशी राज्यों की ओर से लिये जाने वाले सदस्य निर्वाचित न होकर नरेशों द्वारा निर्धारित हिस्सा से नियुक्त हूँगा करेंगे। निर्धारित नियमों तथा सीमा को ध्यान में रखते हुए संघीय व्यवस्थापक मंडल समस्त ब्रिटिश भारत, या उसके किसी भाग के लिये, या संघ में सम्मिलित देशी राज्य के लिये, कानून बना सकेगा। कुछ विषय ऐसे हैं, जिनके सम्बन्ध या संज्ञाधन गवर्नर-जनरल की स्वीकृति बिना मंडल में उपस्थित नहीं किये जा सकेंगे। गवर्नर-जनरल चाहें तो वह मंडल में स्वीकृत प्रस्ताव तथा कानून को अस्वीकार कर सकेगा, अथवा उसे सम्राट की स्वीकृति के लिये रख सकेगा।

अनुमानित आय-व्यय का नक्शा दोनों सभाओं के सामने उपस्थित किया जाया करेगा, परन्तु जैसा कि आज कल है, मंडल को व्यय की कितनी ही मही पर मत देने का अधिकार न होगा। व्यय की जिन मही पर मंडल का मत देने का अधिकार होगा, यदि उनमें से किसी के सम्बन्ध में उसकी सभाओं में मत भेद हो तो दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में बहुमत से जो निर्णय होगा, वह माना जायगा। गवर्नर-जनरल का अधिकार होगा कि यदि सभाओं ने व्यय की कोई माँग स्वीकार नहीं की, या घटा कर स्वीकार की, तो वह आवश्यकता समझने पर अपने विशेषाधिकार से रह की हुई या घटायी हुई माँग की पूर्ति कर सकेगा।

गवर्नर-जनरल (१) संघीय व्यवस्थापक मंडल के अवकाश के समय आर्डिनेंस (अस्थायी कानून) बना सकेगा। (२) अपने उत्तरदायित्व के विचार से आवश्यक समझने पर, कुछ दशाओं में, मंडल के कार्य-काल में आर्डिनेंस बना सकेगा, और (३) विशेष दशाओं में, वह स्थायी रूप से भी मंडल की इच्छा के विरुद्ध कानून बना सकेगा।

संघ न्यायालय—नवीन विधान से पूर्व, भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में ऊँची अदालतें हाईकोर्ट थीं। अब भारतवर्ष भर के लिये एक सर्वाच्च न्यायालय 'संघ न्यायालय' (फीडरल कार्ट) का भी आयोजन किया गया है। इसे शासन विधान के नियमों का वास्तविक अर्थ निश्चित करने का भी अधिकार है। इसका, संघ और संघान्तर्गत देशों राज्यों सम्बन्धी बातें, यहाँ संघ की स्थापना होने पर अमल में आएंगी। यह न्यायालय देहली में होगा। इसके प्रधान जज को 'भारत का चारु जस्टिस' कहा जायगा। इसके अतिरिक्त इसमें आवश्यकतानुसार साधारणतः दूः तक जज रहेंगे। सब जजों की नियुक्ति सम्राट् द्वारा की जायगी।

संघ न्यायालय के दो भाग होंगे :—'आरिजिनल' और अपील भाग। संघ प्रान्तों और देशों राज्यों का परस्पर में कानूनी अधिकार सम्बन्धी मत-भेद होने पर उस का फैसला संघ न्यायालय के आरिजिनल भाग में होगा। अपील भाग में ब्रिटिश भारत के हाईकोर्टों के ऐसे फैसलों का अपील हा सकेगी, जिनके विषय में हाईकोर्ट यह तसदीक कर दें कि इन में शासन विधान की व्याख्या सम्बन्धी कोई महत्व-पूर्ण कानूनी प्रश्न आता

है।* गवर्नर-जनरल जिस सार्वजनिक महत्व के क़ानूनी प्रश्न पर इस न्यायालय की सम्मति लेना चाहे, उस पर उसे सम्मति दी जायगी।

संघ न्यायालय के फैसले की अपील इंग्लैंड की प्रिबी कौंसिल में हो सकती है। अपील सुनने का काम, प्रिबी कौंसिल के क़ानून में निपुण कुछ सदस्यों की एक जूडीशल कमेटी करती है। इस का निर्णय सम्राट् का निर्णय माना जाता है। इसकी कहीं अपील नहीं हो सकती। संघ न्यायालय द्वारा तथा प्रिबी-कौंसिल के फैसलों से सूचित किया हुआ क़ानून ब्रिटिश भारत के सब न्यायालयों में मान्य होगा।



* भारतवर्ष के हाईकोर्टों तथा उनके अधीन दीवानी और फैसलदारी अदालतों के विषय में, एवं सेना, पुलिस जेल आदि राज्य के अन्य कार्यों के सम्बन्ध में हमारी 'नागरिक शिक्षा' पुस्तक में लिखा गया है।

पारिभाषिक शब्द

Accounts	हिमाय
Act	क्रानून
Additional Member	अतिरिक्त सदस्य
Administration	शामन
Administrator	शासक, एडमिनिस्ट्रेटर
Admiralty	जल सेना विभाग
Adjourn	(अधिवेशन) स्थगित करना
Adult	बालिग
Agent	एजन्ट
Air Forces	वायु सेना
Alliens	विदेशी
Allies	मित्र राष्ट्र
Allowance	भत्ता, अलाउंस
Ambassador	राजदूत
Amendment	संशोधन
Anarchist	अराजक
Anarchy	अराजकता
Announcement	सूचना, घोषणा
Appeal	अपील
Appellate side	अपील भाग
Armed Police	सशस्त्र पुलिस, इथियार-बन्द पुलिस

Arms Act	अस्त्र विधान, हथियार क़ानून
Army	सेना
Assembly	भारतीय व्यवस्थापक सभा
Assembly Indian Legislative	„ „ „
Assessor	असेसर
Audit	हिमाय की जाँच
Auditor	हिमाय-परीक्षक, लेखा परीक्षक
Authority	अधिकार । अधिकारी, सत्ता
Autonomy, Provincial—	प्रान्तीय स्वराज्य
Auxiliary Forces	सहायक सेना
Ballot Paper	निर्वाचन पत्र
Bill	(क़ानून का) मसविदा
Birthright	जन्म सिद्ध अधिकार
Board	बोर्ड, समिति
Boycott	वहिष्कार
British	अंगरेजी, ब्रिटिश
Budget	बजट, आय व्यय अनुमान पत्र
Budget estimate	आय व्यय अनुमान पत्र
Bureaucracy	नौकरशाही, कर्मचारी वर्ग
Bye-election	पूरक निर्वाचन, उप-निर्वाचन
Bye-law	उप-नियम
Cabinet	मंत्री मंडल
Candidate	उम्मेदवार
Cantonment	छावनी
Capital punishment	प्राण दंड, फाँसी
Cattle-pond	मवेशीखाना
Census	मनुष्य गणना

Central Government	केन्द्रीय सरकार
Central Provinces	मध्य प्रान्त
Central Subject	केन्द्रीय विषय
Certify	तस्दीक करना, प्रमाण पत्र देना
Cess	महगूल
Chamber of Princes	नरेन्द्र मंडल
Chairman	सभापति, चेयरमेन
Chief Commissioner	चीफ कमिश्नर
C. I. D. (Criminal Investigation Dept.)	क्रिमिया पुलिस
Circle	हल्का, सर्कल
Citizen	नागरिक
Citizenship	नागरिकता
Civic	नगर सम्बन्धी, नागरिक सम्बन्धी
Civics	नागरिक ज्ञान
Civil Court	दीवानी अदालत
Civil Disobedience	सविनय अवज्ञा
Civil Procedure Code	दीवानी कार्य विधान, ज़ासा दीवानी
Civil Service	सिविल सर्विस
Civil War	गृह युद्ध
Code	विधान, ज़ासा
Collector	क्लेक्टर
Colony	उपनिवेश
Commander-in-Chief	जंगी लाट, प्रधान सेनापति
Commerce	वाणिज्य
Commission, Enquiry—	जॉच कमीशन
Commissioner	कमिश्नर

Communal	जातिगत
Confinement, Solitary—	एकान्त की कैद
Conscription	अनिवार्य सैनिक सेवा
Conservative	अनुदार, कट्टर, पुरातन प्रेमी
Constituency	निर्वाचक संघ, निर्वाचन क्षेत्र
Constitution	विधान, शासन पद्धति । संगठन
Constitutional	वैध
Control	नियंत्रण
Convict	दोषी
Co-operation	सहकारिता
Co-operative	सहकारी
Co-opted Member	मिलाये हुए सदस्य
Copyright	मुद्रणाधिकार
Coronation	राजतिलक
Corporation, Municipal—	म्युनिसिपल कारपोरेशन
Council, Executive—	प्रबन्धकारिणी सभा, कार्यकारिणी सभा
Council, India—	इंडिया कौंसिल, भारत-मंत्री की सभा
Council, Legislative—	व्यवस्थापक परिषद
Council of State	राज्य परिषद
Court	अदालत, न्यायालय
Credit	साख
Criminal Court	फौजदारी अदालत
Criminal Procedure Code	फौजदारी कार्य विधान ज्ञाप्ता फौजदारी
Criminal Investigation	खूफिया पुलिस
Department	
Crown	सम्राट्
Currency	मुद्रा

Customs	आयात निर्यात कर
Debt, Public—	सरकारी ऋण
Declaration	घोषणा, बयान
Defence	रक्षा
Defendant	प्रतिवादी, मुद्दायला
Delegate	प्रतिनिधि
Democracy	प्रजातंत्र
Department	विभाग
Deputy Commissioner	डिप्टी कमिश्नर
Despotic	स्वेच्छाचारी
Diplomatic	कूटनीतिक
Direct Demands on Revenue	कर वसूल करने का खर्च
Direct Election	प्रत्यक्ष निर्वाचन
Direct Tax	प्रत्यक्ष कर
Dissolve	(सभा) भंग करना
District Administration	ज़िले का शासन
District Board	ज़िला-बोर्ड
District Council	ज़िला कौंसिल
Dominion Status	अपनिवेशिक स्वराज्य, उपनिवेश पद
Dyarchy	द्वैध शासन पद्धति
Ecclesiastical Department	धर्म सम्बन्धी विभाग, ईसाईमत विभाग
Economic	आर्थिक
Election	निर्वाचन, चुनाव
Electoral Roll	निर्वाचक सूची
Electorate	निर्वाचक समूह
Emigrant	प्रवासी, विदेशवासी

Emigration	प्रवास, विदेश-गमन
Emperor	सम्राट्
Empire	साम्राज्य
Excise Duties	आवकारी कर । देशी माल पर कर
Executive Council	प्रबन्धकारिणी सभा
Executive, The—	प्रबन्धक वर्ग
Ex-officio	पद के कारण
Expenditure, Public—	सरकारी खर्च
Export	निर्यात
Famine Relief	दुर्भिक्ष निवारण, अकाल निवारण
Federal Assembly	संघीय व्यवस्थापक सभा
Federal Court	संघ न्यायालय
Federal Government	संघ सरकार
Federal Legislature	संघीय व्यवस्थापक मंडल
Federation	संघ
Finance	राजस्व, राजधन । अर्थ
Financial	राजस्व सम्बन्धी, आर्थिक
Fiscal policy	अर्थ नीति
Foreign Department	विदेश विभाग
Franchise	मताधिकार
Freedom	स्वतंत्रता
Free Trade	मुक्त द्वार व्यापार, अबाध व्यापार
General Election	साधारण निर्वाचन, व्यापक निर्वाचन
Gold Standard Reserve	मुद्रा ढलाई लाभ कोष, स्वर्णमान कोष
Government of India	भारत सरकार
Governor	गवर्नर

Governor-General	गवर्नर-जनरल
Governor-General in Council	कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल, सपरिषद् गवर्नर-जनरल
Governor in Council	कौंसिल-युक्त गवर्नर, सपरिषद् गवर्नर
Headman	मुखिया
Head-quarter	सदर मुकाम
Heads of Departments	विभागों के अध्यक्ष
Heads of Income	आय की मंद्
Health Officer	स्वास्थ्य-अधिकारी, 'हैल्थ-आफिसर'
High Commissioner	हाई कमिश्नर
High Court	हाईकोर्ट
His Majesty's Government	सम्राट की सरकार, ब्रिटिश सरकार
Home Charges	(भारत सरकार का) इंग्लैंड में होने वाला खर्च, होम चार्जेस ।
Home Department	स्वदेश विभाग
Home Government	ब्रिटिश सरकार
Home Member	स्वदेश मंत्री, गृह-सचिव
Home Rule	स्वराज्य, होम रूल
House of Commons	प्रतिनिधि सभा
House of Lords	सरदार सभा
I. C. S. (Indian Civil Service)	आई० सी० एस०, भारतीय मुल्की नौकरी, इंडियन सिविल सर्विस
Imperial	साम्राज्य सम्बन्धी, शाही
Import	आयात
Imprisonment, Rigorous—	सख्त कैद, सपरिश्रम कारावास
Imprisonment, Simple—	सादी कैद
Improvement Trust	इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, नगरोन्नतिकारिणी सभा

Income-tax	आय कर
Independent	स्वाधीन, स्वतंत्र
India Council	इंडिया काँसिल, भारत मंत्री की सभा
Indian Administration	भारतीय शासन
Indian Civil Service	इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय मुल्की नौकरी
Indianisation	भारतीयकरण
Indian Legislative Assembly	भारतीय व्यवस्थापक सभा
Indian Penal Code	भारतीय दंड विधान, ताजीरात हिन्द
Indian Office	इंडिया आफिस, भारत मंत्री का कार्यालय
Indirect Tax	परोक्ष कर
Industry	उद्योग धन्धा
Infantry	पैदल सेना
Instruments of Accession	(देशी राज्यों का) शर्तनामा
Instruments of Instructions	आदेश पत्र
Insurance	बीमा
International	अन्तर्राष्ट्रीय
Internment	नजरबन्दी
Introduce a bill	प्रस्ताव पेश करना
Irrigation	सिंचाई, आबपाशी
Jail	जेल
Joint Committee	संयुक्त कमेटी
Judge	जज, न्यायाधीश
Judicial Committee	न्याय समिति
Jurisdiction	अधिकार सीमा

Jury	जूरी, पंच
Kine-house	कांजी हौस, मवेशीखाना
King	बादशाह, नरेश
Labour	मजदूर । मजदूरी । श्रम
Labour Party	मजदूर दल
Landholder	काश्तकार
Landlord	ज़मींदार
Land Revenue	मालगुजारी माल
Law	क्रानून
Lawful	जायज़, न्याय्य
League of Nations	राष्ट्र-संघ
Legislation	व्यवस्था
Legislative Council	व्यवस्थापक परिषद
Legislature	व्यवस्थापक मंडल
Liberal	उदार
Liberty	स्वाधीनता
License	लेसेंस, सरकारी अनुमति
Local Board	लोकल बोर्ड, स्थानीय बोर्ड
Local Government	प्रान्तीय सरकार, प्रान्तिक सरकार
Local Self-Government	स्थानीय स्वराज्य
Magistrate	मजिस्ट्रेट
Majority	बहुमत
Mandate	आदेश
Mayor	मेयर, म्युनिसिपल कारपोरेशन का अध्यक्ष
Membership	सदस्यता, मेम्बरी
Message	संदेश

Migration	स्थानान्तर गमन
Military	फौज, सेना । सैनिक, फौजी
Minister	मंत्री
Minister, Prime—	प्रधान मंत्री
Ministry	मंत्री दल
Minor	अल्प वयस्क, नाबालिग
Minority	नाबालिगी, अल्प वयस्कता । अल्प मत
M. L. A. (Member Legislative Assembly)	एम० एल० ए० (भारतीय व्यवस्थापक सभा का सदस्य)
Monarchy	राजतंत्र
Mother-country	स्वदेश
Mother-land	मातृ-भूमि
Municipality	म्युनिसिपैलिटी
Mutiny	विद्रोह, गुदर
Nation-building	राष्ट्र निर्माण
National Movement	राष्ट्रीय आन्दोलन
Nationalisation	राष्ट्रीयकरण
Nationality	राष्ट्रीयता
Native States	देशी राज्य, देशी रियासतें
Navy	जल सेना
Nominated-Member	नामजद सदस्य
Nomination Paper	उम्मेदवारी का प्रस्ताव-पत्र
N. W. F. (North-Western Frontier) Provinces	पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त
Octroi	चुंगी, शुल्क
Official	सरकारी, अधिकारी, सरकारी कर्मचारी
Opposition, The—	विरोधी दल

Ordinance	अस्थायी क़ानून, आर्डिनैन्स
Paper Currency	कागजी मुद्रा
Paramount Power	सर्वोच्च शक्ति
Parliament	पार्लिमेंट
Parliament, Both Houses of—	पार्लिमेंट की दोनों सभाएँ
Party	दल
Penal Code	दंड विधान
People	जनता
Permanent Settlement	स्थायी बन्दोबस्त
Personation	भूठे नाम से काम करना
Plaintiff	वादी, मुद्दई
Police	पुलिस
Political	राजनैतिक, राजनीतिक
Political Agent	पोलिटिकल एजन्ट
Politics	राजनीति
Poll	मत देना । मत देने का स्थान
Popular Control	सार्वजनिक नियंत्रण
Popular Govt.	प्रजा-प्रिय सरकार
President	सभापति, अध्यक्ष
Prime Minister	प्रधान मंत्री
Princes, Indian—	भारतीय नरेश, भारतीय राजा महाराजा
Privy Council	प्रिवी कौंसिल, गुप्त सभा
Proclamation, Royal—	शाही घोषणा
Protection	रक्षा । व्यापार-संरक्षण
Province	प्रान्त
Provincial Autonomy	प्रान्तीय (प्रान्तिक) स्वराज्य

Public Debt	सरकारी ऋण, सार्वजनिक ऋण
Public Services	सरकारी नौकरियाँ
Public Works	सरकारी निर्माण कार्य
Qualification	योग्यता
Queen	रानी
Quorum	कोरम
Race	जाति
Rate-payer	कर-दाता
Reformatory	सुधारशाला
Rent	लगान, किराया
Representative	प्रतिनिधि
Repression	दमन
Research	अनुसंधान
Reserved Subjects	रक्षित विषय
Reserve Force	आपत्काल सेना
Reserve Fund	सुरक्षित कोष, रिजर्व फंड
Resident	रेजीडेंट । निवासी
Resolution	प्रस्ताव
Resolution, Govt.—	सरकारी मन्तव्य
Responsible Govt.	उत्तरदायी सरकार
Returning Officer	निर्वाचन अफसर
Revenue	मालगुजारी, माल । (सरकारी) आय
Revolution	क्रान्ति
Right, Birth—	जन्म-सिद्ध अधिकार
Royal	शाही
Royal Indian Marine	भारतीय जल सेना
Ruler	नरेश, शासक

Rules	नियम, क़ायदे
Safe-guard	संरक्षण
Sanitary Inspector	सफ़ाई निरीक्षक, सेनिटरी इन्स्पेक्टर
Scheme, Reforms—	सुधार योजना
Secretariat	सेक्रेटरियों का दफ़्तर, सेक्रेटेरियट
Secretary	सेक्रेटरी
Secretary of State	राज मंत्री
Secretary of State for India	भारत मंत्री
Sedition	राजद्रोह
Select Committee	विशिष्ट समिति
Self-government	स्वराज्य
Self-governing	स्वराज्य प्राप्त
Sentence, Death—	प्राण दंड
Session Court	दौरा अदालत, सेशन कोर्ट
Session Judge	सेशन जज, दौरा जज
Settlement	बन्दोबस्त
Socialism	साम्यवाद
Standing Committee	स्थायी समिति
State	राज्य
Subject	विषय । प्रजा
Suffrage	मताधिकार
Superintendent	निरीक्षक, सुपरिटेन्डेंट
Supertax	अतिरिक्त कर
Tax	कर
Term of Office—	कार्य-काल
Transferred Subject	हस्तान्तरित विषय
Transitional Period	परिवर्तन काल

Transportation	देश-निकाला
Treason	राजद्रोह
Treaty	सन्धि
Tribute	नज़राना, खिराज
Trust	समिति, ट्रस्ट । धरोहर
Unanimous	सर्व सम्मत
University	विश्व-विद्यालय, विद्यापीठ
Veto	निषेध, रद्द करना
Vice-chairman	उपसभापति, वाइस चेयरमेन
Vice-president	उपसभापति, वाइस-प्रेसीडेन्ट
Viceroy	वाइसराय
Vote	मत, 'वोट'
Voter	मतदाता, 'वोटर'

भारतीय राज्य शासन

पृष्ठ संख्या १८०]

[मूल्य ॥॥]

(मध्यप्रान्त के हाई स्कूलों की दसवीं और ग्यारहवीं
श्रेणियों के लिये स्वीकृत)

लेखक

भारतीय शासन, भारतीय जागृति, नागरिक शिक्षा, और
सरल भारतीय शासन, आदि के रचयिता

भगवान दास केला

इसमें कम्पनी के समय से लेकर सन् १९३५ ई० तक की राजनैतिक घटनाओं का, तथा भारतीय शासन पद्धति का सरल भाषा में वर्णन किया गया है। इसमें २३ विषय हैं:—१—कम्पनी का शासन, २—पार्लिमेंट का शासन, ३—भारत मंत्री, ४—भारत सरकार, ५—प्रान्तीय सरकार, ६—भारतीय व्यवस्थापक मंडल, ७—प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल, ८—ज़िले का शासन, ९—सरकारी आय-व्यय, १०—सेना, ११—पुलिस, १२—न्याय और जेल, १३—कृषि, १४—आबपाशी और निर्माण कार्य, १५—स्वास्थ्य और चिकित्सा, १६—आबकारी, १७—शिक्षा, १८—रेल, १९—डाक और तार, २०—उद्योग धंधे और व्यापार, २१—सहकारिता आन्दोलन, २२—स्थानीय स्वराज्य, २३—देशी रियासतें।

विद्यार्थियों के अतिरिक्त, सुयोग्य नागरिक बनने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक लड़के और लड़की को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये।

मिलने का पता—

लाला रामनारायण लाल,

प्रिन्सिपल और बुकसेलर, इलाहाबाद

छप गयी !

छप गयो !!

अवश्य पढ़िये !!!

धन की उत्पत्ति

लेखक

श्री प्रोफ़ेसर दयाशंकर दूबे, एम० ए०

अध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय,

और

श्री० भगवानदास केला, वृन्दावन

हिन्दी में यह पुस्तक अपने विषय की अद्वितीय, नवीन तथा सर्वांगपूर्ण है। इसमें धनोत्पत्ति सम्बन्धी आधुनिक नये सिद्धान्तों का सम्यग् विचार किया गया है। साथ ही भारतीय विचारों का भी परिचय दिया गया है। अर्थ के साथ-साथ धर्म का, पश्चिम के साथ पूर्व का समन्वय है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, सरकारी विश्वविद्यालयों, गुरुकुल, विद्यापीठ, और इंटरमीजियट कालिजों के, अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिये यह अत्यन्त उपयोगी है।

इसमें २१ अध्याय हैं, कुछ अध्यायों के विषय निम्नलिखित हैं:—

उत्पत्ति का महत्व

उत्पत्ति के साधन

उत्पत्ति के नियम

एकाधिकार

सरकार और उत्पत्ति

उत्पत्ति का आदर्श

अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों तथा स्वदेश की आर्थिक उन्नति चाहनेवाले प्रत्येक पाठक को इस पुस्तक का अवश्य अध्ययन और मनन करना चाहिये।

पृष्ठ संख्या ३००

मूल्य १।)

मिलने का पता—

लाला राम नारायण लाल,

पब्लिशर और बुकसेलर, इलाहाबाद

